

Title : Discussion on the Demand for Grants No. 104 under the control of the Ministry of Women and Child Development for 2009-10 (Cut motions were moved and negatived. All the outstanding Demands for Grants were passed voted in full. Discussion concluded.)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, तो वे उनके द्वारा पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को सूचित करते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पत्रियां भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा, जिनके बारे में सभा पटल पर सूचना प्राप्त हुई है।

ऐसे कटौती प्रस्तावों के क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची, जिन्हें पेश किया गया माना गया है, उसके तुरंत पश्चात् नोटिस बोर्ड में लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसकी सूचना तुरंत सभा पटल के अधिकारी को दें।

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand No.104 relating to the Ministry of Women and Child Development."

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे लगता है आज इतने साल बाद इस सदन में पहली बार महिला एवं बाल विकास विभाग चर्चा में आ रहा है। आप सबकी सुरक्षा की चिंता पूरी हो गई हो तो हम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की चिंता कर लें, तो अच्छा रहेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): जब हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो इनकी क्या चिंता करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिए। आप इन्हें बोलने दीजिए।

â€(लव्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अगर हम माता और बच्चों के बारे में एकत्रित विचार करें तो एक सम्पूर्ण विश्व की कल्पना सामने आ जाती है। वूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केवल एक विभाग नहीं है, केवल एक मंत्रालय नहीं है, यह देश का पूरा भविष्य है। इनकी सुरक्षा, इनका स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा इस विभाग की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी उतना ही उच्च कोटि का होना चाहिए। हमें इस बजट पर चर्चा करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ या कितने आंकड़े हैं क्योंकि यह आंकड़ों का खेल नहीं है। इसके लिए एक-एक रुपए का आबंटन इस देश के भविष्य को सुधारेगा और बनाएगा। यही भाव मन में लेकर इस विभाग की तरफ देखा जाना चाहिए और उसी दृष्टि से चर्चा भी होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। चाहे वित्त मंत्री जी का बजट भाषण हो या महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण हो, इसमें कहा गया है कि युवाओं के सपनों को वजन मिलना चाहिए। जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि युवा भारत की बढ़ती अपेक्षाओं की चुनौती के प्रति संवेदनशील हैं। आज भारत में 44 करोड़ से अधिक जनता 18 साल से कम उम्र की है और इसमें भी करीब 40 प्रतिशत जनसंख्या छोटे बच्चों की है। इन बच्चों की शिक्षा के लिए बजट में 4 या 4.15 प्रतिशत पैसा रखा गया है और महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख योजना में 0-6 साल के बच्चों को रखा गया है। इन बच्चों के लिए आईसीडीएस प्रमुख योजना है। हम इसे केवल आंगनवाड़ी योजना के नाम से जानते हैं। लेकिन यह केवल आंगनवाड़ी चलाने वाली बात नहीं है। इस योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों का लालन-पालन, उन्हें सिखाना, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली मां के पोषित आहार, बच्चों का टीकाकरण से लेकर 6 साल तक के बच्चों की देखभाल आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन तो करना ही है और यूनिवर्सलाइजेशन की बात भी की जाती है। एक अनुमान लगाया गया है, आश्वासन दिया गया है कि वर्ष 2012 तक 6 साल के हर बच्चे तक यह योजना पहुंच जाएगी। लेकिन योजना के बारे में कोई भी बात स्पष्टता से नहीं की गई है।

अगर हम देखें तो इस विभाग के लिए जो आबंटन मिला है, उसे 5662 से बढ़ाकर 6026 करोड़ रुपये किया गया है। यानी केवल 361 करोड़ रुपये ज्यादा दिये गये हैं। यदि इस पूरी आई.सी.डी.एस. योजना को हम समझें तो हमें यह भी मालूम है कि इस योजना में 90 प्रतिशत खर्चा व्यवस्थापन पर खर्च हो जाता है, फिर बच्चों के जिम्मे कौन सा पैसा आयेगा। यदि इस पूरी योजना में वेतन पर इतना पैसा खर्च हो जायेगा तो वास्तव में जो बच्चों को पोषण आहार और बाकी सुविधाएं देने की बात है और इस कार्यक्रम को बढ़ाने की बात है, इसे एक-एक बच्चे तक पहुंचाने की बात है, इस दृष्टि से बजट में किया गया आबंटन कहां तक ठीक बैठता है। आई.सी.डी.एस. योजना वास्तव में एक उपेक्षित योजना हो गई थी। यद्यपि यहां काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा बहुत की जाती है। मगर मैं दुख के साथ कहूंगी कि यह योजना 1975 में शुरू हुई थी और 1975 से लेकर 25 साल तक वही पांच सौ रुपये मानदेय, वही उसके सहयोगी को ढाई सौ

रुपये का मानदेय दिया जाता था और इस तरह से न तो उनकी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दिया जाता था और न अन्य बातों की तरफ कोई ध्यान दिया जाता था। पहली बार जब माननीय अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और मैं महिला बाल विकास मंत्री बनी और पूरी योजना की जब समीक्षा की गई तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार उस समय की सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें काम करती हैं, भले ही यह उनका मानदेय हो, मगर 25 साल से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव-गांव के छोटे-छोटे बच्चों की तरफ ध्यान दे रही है तो यह बड़ा अहम काम है। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय पहली बार एनडीए की सरकार में एकदम से दोगुना यानी एक हजार रुपये किया गया था और सहयोगी का पांच सौ रुपये किया गया था। लेकिन केवल मानदेय बढ़ाकर ही हम नहीं रुके। हमने एक ग्रीवांस रिड्रेसल सैल भी बनाया। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो तकलीफ होती है, उसे पोषण आहार लेने के लिए दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर जिला स्थान या तहसील स्थान पर जाना पड़ता है और इसके लिए उसके पास कोई सुविधा नहीं होती है। इस तरह की छोटी-छोटी बातों का भी हमने उस समय ध्यान रखा था। अगर उसे कुछ तकलीफ होती है तो उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सैल बनाया गया था। लेकिन हम केवल यहीं नहीं रुके। हमने उनके लिए ट्रेनिंग की एक पुख्ता व्यवस्था की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वास्तव में देखो तो ये हमारा आधार पक्का करने वाली कार्यकर्ता हैं। ये गांव-गांव में काम करती हैं और इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट की तरफ एक समग्र दृष्टि से देखना आवश्यक था। इसलिए हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार देने की योजना शुरू की। उसमें इन्हें प्रदेश लैवल और राष्ट्रीय लैवल के पुरस्कार मिलेंगे। ताकि जो गांव में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़े कि मेरे काम की दखल कहीं न कहीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर ली जा रही है। क्योंकि मैं अपने बच्चों का या अपने देश का भविष्य सुधार रही हूँ, यह भाव उसमें आ जाए। ऐसी एक पूरी कल्पना लेकर इस आई.सी.डी.एस. योजना की तरफ हमने देखा था। लेकिन धीरे-धीरे हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं केवल थोड़ा सा पैसा बढ़ाओ, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करो। इस पर स्टेट गवर्नमेंट जरूर ध्यान दे रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आज जो पोषण आहार दिया जाता है, इस बार के बजट में भी उसका पैसा बढ़ाया गया है। आज आंगनबाड़ी पर हम महिलाओं की गोद भराई के कार्यक्रम भी करते हैं और इस गोद भराई में उन्हें दवा, गोलियां भी दी जाती हैं, अच्छा पोषण आहार दिया जाता है, पोषण आहार के लिए थोड़े से पैसे भी दिये जाते हैं, ताकि गर्भवती महिला की हम जितनी अच्छी देख-रेख करेंगे, आने वाला बच्चा भी उतना ही स्वस्थ होगा। ये सब भाव मन में रखकर प्रदेश की सरकारें तो काम कर रही हैं। मगर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं केन्द्र की सरकार को इस तरफ जो ध्यान देना चाहिए, वैसा ध्यान वह इस तरफ नहीं दे रही है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा,

The Government is committed to universalisation of the ICDS project. लेकिन हमारे काम में, बजट आवंटन में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम में या हर उस चीज में जो झलकना चाहिये था, वह नहीं झलक रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आज हम देखते हैं कि सब से ज्यादा बच्चों की असुरक्षा है जो कि निराशा की बात है। छोटे-छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। उन पर अनेक प्रकार की विपत्तियां हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिये चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में हम केवल 0.08 प्रतिशत बजट रख रहे हैं। पूरे बजट में केवल यही थोड़ा सा हिस्सा बच्चों की सुरक्षा के लिये रखा है। हम देखते हैं कि विभाग में एक National Institute for Public Cooperation and Child Development नाम की संस्था है। इस संस्था का उदय हमारे एन.डी.ए. गवर्नमेंट के समय में हुआ था। इसका काम कहीं कहीं रिसर्च कराने के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम भी था। उन लोगों को समझाते और उनसे समझते कि किस तरीके से यह कार्यक्रम करना है। महिलाओं के लिये रिसर्च प्रोग्राम तैयार करें। साथ ही समाजसेवी संस्थाओं के लिए ट्रेनिंग दें। समाज-सेवी संस्थाओं का एकत्रीकरण करें। यह सारा कार्यक्रम NIPCCD का था। इस संस्था के रीजनल कार्यालय दो जगहों पर थे लेकिन हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर दो से चार कर दिया था। तब से बात आगे नहीं बढ़ रही है। आगे जिस तरीके से इसके रिसर्च प्रोग्राम्स होने चाहिये, मुझे लगता है कि इस संस्था का जितना उपयोग होना चाहिये था, आज यह विभाग नहीं कर रहा है। इस ओर सरकार को देखने की आवश्यकता है। बार-बार वर्ल्ड रिपोर्ट आती है कि भारत में सब से ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं। अगर देखा जाये तो हमारे देश में पांच साल की उम्र के अंदर-अंदर 20 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। इसलिये मृत्यु दर हमारे यहां ज्यादा है। अगर यह सब चीजें हो रही हैं तो कहीं न कहीं न्यूट्रीशन की जो संस्था है - Food Nutrition Board इसका यही काम है कि छोटे स्तर तक जाकर एक प्रकार से न्यूट्रीशन दे। जो हमारे पास उपलब्ध है, उसे दे। जिस प्रकार यू.पी.ए. सरकार के समय में महंगाई बढ़ रही है, उससे न सब्जियां मिल रही हैं, न प्रोटीन के लिये दालें मिल रही हैं तो उसके लिये न्यूट्रीशन कोर्सेस कराये जायें तो फायदा होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता फिर भी जो कुछ उपलब्ध है, उससे बच्चों को कैसे पोषण मिले, उसके लिये सोचना है।

उपाध्यक्ष महोदय, National Nutrition Mission की स्थापना हमने की थी लेकिन अगर देखा जाये तो मालूम होगा कि बजट में उसका क्या हाल है? मेरा विचार है कि Food Nutrition Board के जगह-जगह प्रोग्राम्स होने चाहिये, एडवोकेसी होनी चाहिये। National Nutrition Mission का काम अच्छी प्रकार से पूरे राष्ट्र में शुरू होना चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि वर्ष 2000 में दो करोड़ रुपये से इसकी शुरुआत हुई, वह आज 9 करोड़ रुपये तक पहुंची है। मेरा कहना है कि वर्ष 2002-03 में 9 करोड़ रुपये रखे गये और आज भी वहीं 9 करोड़ रुपये रखे हैं। वैसे देखने के लिये बजट 21 करोड़ रुपये का है लेकिन 9 करोड़ रुपये प्लान में और बाकी नॉन-प्लान में रखे गये हैं। इसका अर्थ यही है कि हम केवल 9 करोड़ रुपये पर काम करेंगे। यही स्थिति National Nutrition Mission की है। हमने इसके लिये 4 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी लेकिन आज यह केवल एक करोड़ रुपये है। हम यही कह सकते हैं कि वर्ष 2002-03 में जिस 9 करोड़ रुपये की बात की जाती है, आज भी वही राशि है तो उसकी कितनी कीमत रह जाती है? आज रुपये का अवमूल्यन हुआ है। मैं चाहूंगी कि इसका बजट पूरा रखना चाहिये।

लेकिन ऐसा लगता है कि न तो इस मामले में मंत्रालय सीरियस है और न ही वित्त मंत्री जी। वे केवल महिला बाल विकास की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। आज का बच्चा ही कल का युवा होने वाला है। अगर इस बजट की तरफ, योजनाओं की तरफ इसी हेय भाव से देखा गया तो युवाओं की बात करना बेकार हो जाता है और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना एक तरह का ढकोसला मात्र है। बच्चे तो कुपोषित हैं ही, लेकिन मैं यह कहूंगी कि बच्चे कुपोषित कैसे हो जाते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि मां कमजोर है, मां प्रताड़ित है, मां सहमी हुई है, मां दुखी है। इस देश की स्त्री का रूप क्या है, इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है? कई लोग स्त्री को देवी

मानते हैं और उसकी पूजा करने की बात करते हैं और कोई कहता है कि वह तो पांव तले की दासी है। उस स्त्री के मन में यह भाव है कि न देवी कहो, न दासी कहो, मैं भी एक मनुष्य हूँ और एक इंसान के रूप में मुझे पहचानो, एक मनुष्य के रूप में मुझे पहचानो, लेकिन इसे कोई नहीं मानता है। आज हम उसे नारी कहते हैं। अगर स्त्री सशक्त होगी तभी उसका बच्चा सशक्त होगा। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम नारी की कल्पना करते हैं, हम कहते हैं कि नारी का सशक्तीकरण करेंगे। यह नारी क्या है, मन में यह बात आती है कि यह शब्द कहां से आया है। नारी यानी कि न+अरी, अरी माने शत्रु, यानी वह किसी की शत्रु नहीं है।

नहीं किसी की अरी, वही है भारतीय नारी,

फिर भी युगो, युगों से रही ताड़न की अधिकारी ,

उसे कहते तो नारी है लेकिन वह ताड़न की अधिकारी रही है

जिनके तन-मन और अधिकार पर चल रही समाज की आरी।

यह सालों साल से हो रहा है

लेकिन इतना होने के बावजूद ध्यान देने लायक बात है

कि फिर भी वह अपने कर्तव्य वेदी पर वारी-वारी ।

यह एक सम्पूर्ण स्त्री का स्वरूप है और यही आज की नारी का स्वरूप है। यह नारी मातृत्व से ओतप्रोत है और उसके लिए कुछ करना समाज के लिए कुछ करना है। अगर हम उसका अपलिफ्टमेंट करते हैं तो पूरे देश के भविष्य को ऊपर ले जाते हैं। इस भाव से इस बजट की तरफ देखना चाहिए, लेकिन क्या इस भाव से इसकी तरफ देखा जा रहा है। जिस प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही हैं, क्या उन योजनाओं की तरफ इस प्रकार से देखा जा रहा है। अगर हम इस पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं और मुझे समझ नहीं आता है, इन्होंने मंत्रालय में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप विक्टिम्स नाम से 53 करोड़ रूपए का नया बजट आबंटन किया है। जो बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हैं, उन्हें साधन मिलना चाहिए, उसे मुआवजा मिलना चाहिए। आप मुआवजा देंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, कंसोलेशन करेंगे, उसकी मैडिकल जांच होगी। उसके लिए 53 करोड़ रूपया, जा-जा कर मुआवजा बांटेंगे, पैसा दोगे। अब उसमें भी क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो उसके लिए 53 करोड़ रूपया रखा है और आज झगड़ा हो रहा है कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री मुआवजा बांट रही है। उसके ऊपर कई ऑब्जेक्शन्स आये, कई बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि ये बांटें तो अनाचार हैं। वह बांटें तो अनाचार और हम ही कर सकते हैं प्यार, हमारा ही हो सब दूर संचार या हमारा ही फैले विचार, क्या ये पैसे आपने इस भाव से रखे हैं? मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि आपने जो बजट रखा है, इसके पहले पूरा ध्यान नहीं दिया गया है कि इस महिला बाल विकास में एक स्वाधार की योजना है। यह स्वाधार योजना इसलिए शुरू की गई थी कि ऐसी जो महिलाएँ हैं जो इस प्रकार से कहीं न कहीं प्रताड़ित होती हैं, जो परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, उन सभी महिलाओं के लिए कहीं न कहीं शैल्टर होम्स बनें और केवल शैल्टर होम्स नहीं बनें, काउंसलिंग के साथ वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएँ, ऐसी कुछ ट्रेनिंग भी उनको मिले। यह ट्रेनिंग मिलकर जीवन में वह फिर से खड़ी हो। इस दृष्टि से यह स्वाधार योजना बनाई गई थी। हमारे ही समय एक प्रकार से बनाई गई थी। यह जो स्वाधार योजना हमने बनाई थी, आज हम यह देखते हैं कि यह स्वाधार योजना की कल्पना थी कि बड़े-बड़े शैल्टर होम्स बन जाएँ। पहले उसकी शुरुआत ज़रूर हुई थी वृंदावन विडोज को लेकर। हमने यह सोचा कि कहीं से महिलाएँ आकर वृंदावन में रहें और अपना आधार ढूँढें। क्यों न ऐसा हो जाए कि हर प्रदेश में स्वाधार के अंतर्गत उनको वहीं के वहीं जगह मिल जाए, वहीं उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हो, वहीं उनकी काउंसलिंग भी हो जाए, वहीं उनको आधार मिले और वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएँ। उनको लगे कि हाँ यह पूरा समाज मेरे साथ है। वह भाव अगर वहीं जागृत हो जाए तो उस महिला को कहीं इधर-उधर नहीं भागना पड़ेगा। मगर यह स्वाधार योजना जो थी, आपने एक नयी योजना बनाकर 53 करोड़ रुपये तो रख दिये, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि स्वाधार योजना की क्या स्थिति कर दी। 2002-03 में 13.5 करोड़ रुपये के बजट से शुरुआत की थी और बाद में जब मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। एक बार तो यह बजट 2.70 करोड़ रुपये हो गया, फिर मालूम नहीं कैसे 5.50 करोड़ रुपये हो गया और आज फिर 13.50 पर आकर रुक गया। फिर वहीं बात आ गई। अब 2002 के 13.5 करोड़ रुपये की कीमत आज क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? जो एक अच्छी-भली योजना शुरू भी हो गयी थी, चल रही थी, उसके लिए बजट आबंटन नहीं, एक नयी कुछ बात करके रख दी कि हम रेप विक्टिम्स को पैसा बांटेंगे और 53 करोड़ रुपये रख दिये। अब बोलते हैं कि स्वाधार योजना का सैकेंड फेज़ चालू करेंगे। मुझे मालूम नहीं कि करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बजट आबंटन जिस तरीके से दिख रहा है तो कहीं न कहीं मन में यह बात आती है कि मालूम नहीं कि सरकार ध्यान से देखती है या नहीं कि हम इस देश की मातृ-शक्ति के लिए यह योजना बना रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह भाव ही नहीं है। केवल योजना के लिए योजना नहीं है यह। कहीं न कहीं उस महिला को आधार देने वाली बात है और केवल आधार नहीं, आधार के साथ स्व भी जुड़ जाए कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। उसका स्व भी जागृत करना था। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया।

उसके आगे देखिये एक योजना है - स्वयंसिद्धा योजना। यह नाम भी इसीलिए ऐसा रखा था कि जितने भी हम सैल्फ हैल्प गुप्स बनाते हैं, जो बचत गट के रूप में बनते हैं - महिलाओं के स्वसहायता समूह, इनको अगर हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि आपके गाँवों में आप अपने पैरों पर खड़े होने की दृष्टि से भी विचार करो, लेकिन साथ ही साथ आप एकत्रित होकर अपने गाँव के लिए, अपने आस-पास के चार गाँवों के लिए सोचो कि आपको कौन सी योजना चाहिए, आपको कौन सा विकास का रास्ता पसंद है, और यह सब ट्रेनिंग अगर उनको अच्छी तरह से मिले, यह सैल्फ हैल्प गुप्स बनें भी और अपनी ताकत से वे खड़े भी हो जाएँ, यह पूरा का पूरा भाव कहीं न कहीं स्वयंसिद्धा योजना बनाने के पीछे था। यह योजना अच्छी भी चल रही थी जो हमने शुरू की थी। उसके बाद मुझे यहाँ

देखने को मिला कि केवल इसी के अंतर्गत 75000 से भी ज्यादा सैल्फ हैल्प ग्रुप्स बन गए हैं। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने के पीछे भी भाव यही था। आज हम आरक्षण की बात करते हैं, महिला सरपंच बनने की बात करते हैं। अगर यह स्वयंसिद्धा योजना अच्छी चलती है तो गांव-गांव में नेतृत्व देने वाली महिलाएँ मिलेंगी जो स्वयं ही अपने गाँव का भला सोचेगी। जो अपने आप कहेगी कि मुझे मेरे गांव के लिए क्या चाहिए? मेरे गांव के लिए कहां बंधान बनना है? कहां सड़क बननी है? यह वह अपने आप सोच सकती है। इसलिए यह स्वयंसिद्धा योजना थी। इसका परिणाम अच्छा आ रहा था। एक गांव की महिलाओं ने मुझे यह बात कही थी कि इतनी अच्छी योजना को चलाने में पचास साल क्यों लग गए? मैंने उन्हें कहा कि हम भी क्या करें, हमारी सरकार आने में पचास साल लग गए। किसी भी अच्छी बात को कायम रखा जाना चाहिए। लेकिन आप इसका बजट एलोकेशन देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, जो अच्छी योजना है, महिलाओं को बढ़ावा देगी और दे रही है। हमने स्वयंसिद्धा योजना का एलोकेशन 19.89 करोड़ रुपये वर्ष 2001-02 में रखा था। उसमें अभी तक एक-दो करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आज वह बीस करोड़ रुपये पर अटका हुआ है। क्या यह राशि पूरी पड़ेगी? बीस करोड़ की उस समय जो कीमत थी, क्या आज उसकी वही कीमत है? यहां भी वही है कि आगे हम देखेंगे, कब देखेंगे, क्या देखेंगे? यह योजनाएं गांव की महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए है।

महोदय, इसी प्रकार से स्टैप योजना है। यह योजना महिलाओं को सपोर्ट और ट्रेनिंग देने के लिए है, ताकि महिलाएं अपना कुछ काम कर सकें, अपने पैरों पर खड़ी हों, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हों। इसके लिए ही स्टैप योजना बनायी गयी थी। लेकिन इस योजना की भी वही गति की गई है। एक तरफ आरएमके की राशि बढ़ाकर पांच सौ करोड़ रुपये कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरएमके का जो पांच सौ करोड़ रुपये किया जा रहा है, वह कोर्पस फंड है। स्टैप योजना महिलाओं को support to training and employment है। इस योजना के पीछे मुख्य ध्येय है कि सामाजिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर इसे चलाएं तथा महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हों। इसके बजट के लिए वर्ष 2000-01 में 13 करोड़ रुपये रखे गए थे, बीच में उसे 23 तक बढ़ाया गया, फिर 13 करोड़ पर आ गए और आज वह 12 करोड़ रुपये है। हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाना चाहते हैं? क्या हम यह नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएँ अपना ग्रुप बनाएं, अपने लिए सोचें और समाज के लिए सोचें। आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस मंत्रालय द्वारा सकारात्मक और व्यवहारिक सोच रखनी आवश्यक है। अटल जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, उस समय हमने पहली बार इस मंत्रालय में एक टास्क फोर्स बनायी। उसमें सामाजिक संगठनों की महिलाएं, अधिकारी, दूसरे मंत्रियों को भी बुलाया गया और सबके बीच में बैठकर हमने यह सोच बनायी कि इस विभाग में क्या करना चाहिए? किस तरह से यह विभाग चले? यह बातें हमने उस समय तय कीं। उस समय हमने राष्ट्रीय महिला नीति बनायी और एक निर्णय लिया कि वह वर्ष महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाएं। यह एक्शन हमने सकारात्मक सोच के साथ लिया था। अभी जो घरेलू हिंसा कानून बना है, उस समय हमने महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए बनाया था। उस समय हमने नेशनल रिसोर्स सेंटर फोर वीमन बनाया था। वह इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाओं पर रिसर्च भी हो और महिलाओं की प्रगति की बात राष्ट्रीय स्तर पर हो। मगर आज उसकी हालत यह है, कभी नेशनल रिसोर्स सेंटर एनसीडब्ल्यू को दिया जाता है। मुझे मालूम नहीं, गिरिजा जी में सुन रही हूँ कि अब उसे वापस लेने की बात भी हो रही है। यह क्या हो रहा है? महिलाओं के लिए कोई बात होती है तो कभी इधर और कभी उधर देखते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। हम चाहते ही नहीं, उस समय हमने जो जेंडर बजटिंग की बात की, मैं धन्यवाद देती हूँ कि वास्तव में हमारे जो वित्त मंत्री हैं, इन दोनों ने ही जेंडर बजटिंग को उस समय आगे बढ़ाया था, लेकिन वहां केवल जेंडर बजटिंग की बात शुरू हुई। आज हम खाली बोलते हैं, मगर महिलाओं के इश्युज़ पर हमें कोई भी पोजिटिव सोच नहीं दिखाई दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्त्री शक्ति पुरस्कार शुरू किए थे, इसके पीछे भी एक भाव था। सब जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। महिलाएं खेल के क्षेत्र से लेकर राजनीति के क्षेत्र तक, हर क्षेत्र में हैं। हमने उस समय यह भी सोचा था कि ऐसी भी कई महिलाएं हैं, जो कहीं न कहीं देश के कोने में, आपत्ति में भी, उस आपत्ति को भी वरदान मान कर खुद खड़ी हो जाती हैं और दूसरों के लिए काम करती हैं। ऐसी जो सामान्य महिलाएं हैं, जिन्हें कोई ज्यादा जानता भी न हो, लेकिन वे समाज के लिए बहुत कुछ करती हैं। उनकी सामाजिक पहचान बनना भी जरूरी है और यह सामाजिक पहचान भी इसलिए जरूरी है कि कहीं न कहीं महिलाओं में आत्मविश्वास आ जाए कि सामान्य से सामान्य महिला भी इस प्रकार से खड़ी हो सकती हैं, समाज को कुछ दे सकती हैं। इसलिए स्त्री शक्ति पुरस्कार हमने पांच स्थापित किए थे कि वह राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार होगा, उसके पीछे ये भाव थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज भी याद है कि हमने उस समय तमिलनाडु में रहने वाली चिन्नापेल्ली, एक सामान्य महिला, खेतिहर मजदूरों के लिए लड़ने वाली सामान्य महिला को उस समय पुरस्कार दिया था। आज भी जब चर्चाएं होती हैं तो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा खेतिहर मजदूर महिलाएं हैं। राजस्थान की बाल विधवा कमला जी को गिरिजा जी जानती हैं। उस महिला के पति बचपन में ही गुजर गए और वह बाल विधवा हो गई। वह पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ने-लिखने के बाद छः बच्चों के साथ उसने स्कूल शुरू किया और आज वह बहुत बड़े पैमाने पर लड़कियों को शिक्षा दे रही है। हम ऐसी महिलाओं को ढूंढ-ढूंढ कर आगे लाए थे और उन्हें यह दिखाने के लिए पुरस्कृत किया था कि महिलाओं में स्वाभिमान जगे। उनमें यह भाव आ जाए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मुझे आज भी वह प्रसंग याद है कि जब यह चिन्नापेल्ली पुरस्कार लेने के लिए आई, उस समय उसने सादे स्लीपर पहन रखे थे, पूरे बाल पके हुए थे और बिलकुल दुबली थी। उसे देखने से ही लगता था कि वह अभी-अभी खेत से मजदूरी करके आ रही है। उसका वह स्वरूप देख कर और उसका काम जानने के बाद देश के प्रधान मंत्री मा0 अटल जी उस समय उसके चरण छुने के लिए झुके थे। यह महिलाओं का सम्मान होता है और यह सम्मान देना आवश्यक है। आज हम क्या कर रहे हैं? मुस्लिम महिलाओं की बात आती है, कोई बात नहीं, आपने उनके लिए अलग से पैसे रखे हैं, अलग से मुस्लिम महिलाओं के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आप चलाएंगे, यह बहुत आवश्यक है। मैं उसका कदापि विरोध नहीं करती, महिला कोई भी हो, उसके लिए आप जरूर काम करें। लेकिन मेरी बात को भी आप शांति से सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, हमने उस रिपोर्ट का भी विरोध नहीं किया, क्योंकि जो वास्तविकता है, वास्तविक रूप से इस देश में पूरा अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ा रह गया, जो पूर्णतया आपके लिए कांग्रेस के लिए समर्पित था, म्लायम सिंह जी वगैरह बाद में

आए। वे शुरू से आपको कांग्रेस को सिर-आंखों, सत्ता पर बैठते रहे, मगर आजादी के 60 साल बाद भी आज कोई कमेटी रिपोर्ट देती है कि आज ये वर्ग पिछड़ा हुआ है, इन तक किसी भी प्रकार का विकास नहीं पहुंचा है, इसके लिए कौन दोषी है? अगर वास्तविक रूप से थोड़ी सी भी प्रमाणिकता यूपीए की सरकार में हो, आप उन्हें आगे लाने के लिए भरपूर योजनाएं चलाएं, मगर एक बार उनसे माफी मांगो कि आप हमारे साथ 60 साल तक चले। मगर हमने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। इस भाव से अगर चलोगे, तो वास्तविक रूप से उन वर्गों के लिए जो आप काम करोगे, वह काम फलित हो जाएगा, यही मेरा कहना है।

महोदय, मेरा एक और कहना है कि आपकी अनेकों योजनाएं हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करूंगी। आप एक बात और सोचो कि हर चीज पर पॉलिटिक्स नहीं होती है। हर चीज को पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मैं गिरिजा जी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग, एक स्वतंत्र आयोग है। It is a statutory body. उसका अपना स्वतंत्र अधिकार है। वह किसी के अन्तर्गत नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग का फंड जरूर वहां जाता है, लेकिन अपनी ओर से स्वतंत्र रूप से काम करने वाला यह आयोग है। आप देखिए, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है। Is it a parking place? आपको यदि टिकिट नहीं मिलता, तो आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए। यदि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहो। It is not a parking place. माफ करना, फिर वह काम भी उसी तरीके का होता है और यह हुआ है। महिला आयोग की सदस्य, महिलाओं के लिए काम करें। महिलाओं पर कहीं अत्याचार होता है, तो उनके बचाव में आयोग काम करे। वे डाउन-ट्रॉडन महिलाओं की आवाज बनें। उनके लिए जो कानून बनते हैं उनका अभ्यास और पालन कराएं।

महोदय, हमारे समय में भी महिला आयोग था और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि उस समय हम लोगों ने जजेज को लेकर भी सेमीनार किए थे। बहुत कानूनी उपाय सुझाए गए थे कि किस प्रकार से बदलाव होना है और उस समय आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करता था, लेकिन आज यह क्या हो रहा है। आज महिला आयोग की सदस्य अगर हमारी बात नहीं बोलती हैं, तो उसे महिला आयोग से निकाल दो, बाजू में कर दो, यह क्या हो रहा है और यह सब टोटली पॉलिटिकल बेस पर किया जा रहा है। कोई भी एक सांसद महिला, जो किसी पार्टी की सदस्य है और आज यदि वह पार्टी कोई व्हिप इश्यू करती है, तो वह उन पर भी लागू होता है। इस बात पर विचार कीजिए। अगर किसी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर कल मान लीजिए गोपीनाथ जी के महाराष्ट्र में कोई घटना घटती है, क्या महिला आयोग की अध्यक्ष वहां जाकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को इतनी पावर हैं कि वे वहां की पुलिस को बुला सकती हैं, वहां के डी.जी.पी. को बुला सकती हैं, बात कर सकती हैं, क्या कुछ निर्णय दे सकती हैं, क्या कुछ चर्चा कर सकती हैं। चूंकि वहां कांग्रेस की ही प्रदेश में सरकार है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी की है, तो क्या वे उतनी निष्पक्षता से वहां काम कर पाएंगी और पीड़ितों को न्याय दिला पाएंगी? मैं समझती हूँ कि ऐसा वे नहीं कर पाएंगी। मेरा कहना है कि स्टेट्यूटरी बॉडी को स्टेट्यूटरी ही रहने दिया जाए, तभी महिला आयोग को जिस उद्देश्य से गठित किया गया है, उसका उद्देश्य पूरा हो पाएगा। वह उद्देश्य कहीं न कहीं कायम रहना चाहिए। यही मेरी भावना है। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मेरा निवेदन है कि इन बातों पर सोचना चाहिए। अगर हम हर चीज का राजनीतिकरण करेंगे, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम स्त्री के मामले में तो हम ऐसा न करें।

महोदय, एक ही बात कहूंगी कि यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का आधा हिस्सा, कहने के लिए वह आधा हिस्सा है, मगर मैं कहूंगी कि वह पूरा का पूरा समाज का आधार है। मातृ शक्ति पूरे राष्ट्र की आधारभूत शक्ति है और इसे अबला की मानसिकता से बाहर निकालना है। मैंने जैसा शुरू में कहा कि महिला को न देवी मानो न दासी मानो, बल्कि केवल मनुष्य मानो। मनुष्य के रूप में हमारा जो भी अधिकार है, मनुष्य के रूप में हमारे लिए जो विकास आवश्यक है, मनुष्य के रूप में जो पहचान आवश्यक है, वह हमें चाहिए। मैं एक कविता सुनती आ रही हूँ और वही कविता चलती रहती है कि-

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।

आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

वास्तव में यह अबला शब्द जिसका आप कमजोर के रूप में अर्थ लेते हैं, वह नहीं है। अगर आप 'थाह' शब्द के पहले यदि आप "अ" लगा दें, तो वह 'अथाह' बन जाता है। अथाह का मतलब है कि उसकी कोई थाह नहीं है। वैसे ही यदि 'अबला' शब्द बोलो, तो वह दुर्बल नहीं है। उसके बल की थाह ही नहीं है। आप लोग अभी तक समझे ही नहीं हैं कि उसके बल की कोई थाह नहीं है। उसे खुद नहीं मालूम है कि उसकी इतनी शक्ति है। वह अभी भूल रही है, हनुमान बन रही है। उसे जागरूक करना है।

महोदय, मैं यह भी कहूंगी कि महिला को 'हाय' कहने की आवश्यकता नहीं है। यह जो आंचल में दूध है, यह मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। यह उसे समझ में आना चाहिए कि एक प्रकार से यह ममत्व का प्रतीक है। अगर जीवन से ममत्व समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य, मनुष्य नहीं रह सकता। आंखों में पानी है, यह दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि आंखों में जो पानी है, वह संवेदनशीलता का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन से अगर संवेदनशीलता, दूसरों का दुख देखकर अगर आंखों में पानी आना बन्द हो जाए, तो मनुष्य, मनुष्य नहीं रह सकेगा। यह भाव हमें महिलाओं में जागृत करना पड़ेगा। इसलिए 'अबला जीवन हाय' मत कहो। इसका ममत्व कायम रहने दो, इसकी आंखों में संवेदना का पानी भी रहने दो।

15.00 hrs.

बाल विकास विभाग को यह कहो-हे मातृशक्ति, हमारा विभाग तुम्हारे पीछे खड़ा है।

सबला बनकर लिखो, एक नई कहानी,

मन में हो विश्वास, बनो स्वाभिमानी, राष्ट्रभिमानी।

इस प्रकार से माताओं और बच्चों का निर्माण पूरा करने के काम के लिए यह नोडल मिनिस्ट्री बनी। मगर हमारा यह कहना था कि न यह नोडल मिनिस्ट्री बन पाई, न इसको किसी प्रकार के अधिकार मिले और यह केवल एक छोटा सा विभाग, जो वास्तव में सभी विभागों को संभालने वाला, पूरे देश को बनाने वाला एक विभाग है, यह कहीं न कहीं छोटे से विभाग के रूप में सिमटकर रह गया। उसका बजट भी कम से कम होता गया। उसकी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं पर ठीक तरह से विचार नहीं हो रहा है।

मैं धन्यवाद दूंगी कि इतने साल बाद पहली बार इस विभाग की इस संसद में चर्चा हो रही है। एक महिला की सुरक्षा की बात आज यहां पर होती है, लेकिन आज इस देश की लाखों महिलाएं ऐसी हैं, जो सुरक्षा की मांग कर रही हैं। केवल इसी बात के लिए कि हमें एक इन्सान के रूप में सुरक्षित तरह से जीने दो, वे यह मांग कर रही हैं। यह महिला बाल विकास विभाग इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। मेरा यही निवेदन है।

CUT MOTIONS

Token

SK. SAIDUL HAQUE :

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि सभी ने मिलकर महिला और बाल विकास मंत्रालय को आज के विषय के अन्तर्गत चुना। मैं मेरी बहन को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने कछ बातें बेबाकी के साथ कहीं तो

कुछ में राजनैतिक पुट लगाया। किसी ने अपने कार्यकाल की तारीफ की तो यू.पी.ए. को हमेशा और हर वक्त के लिए एक कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोग समझते हैं कि महिलाओं के विषय केवल महिलाओं तक सीमित कर दिये गये, लेकिन इस बार का रिजल्ट इस बात का साक्षी है कि जितनी महिलाएं इस बार जीतकर संसद में पहुंचीं, इससे लगता है कि पुरुष मानसिकताएं भी बदली हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सलाम करना चाहती हूँ, आप लोगों को नमस्कार करना चाहती हूँ।

अपनी बात की शुरुआत में मैं यही कहूंगी कि महिलाएं थकी नहीं हैं, महिलाएं रुकेंगी नहीं और इसीलिए छतें उम्मीद की हैं, सहन इन्तजार का, मेरे यहां असासा है, एतबार का। इसी के साथ वह खड़ा होना चाहती है। लेकिन महिला पर चर्चा होगी तो दो महान व्यक्तियों को हम कभी नहीं भूल सकते। एक गांधी जी और दूसरा, दूसरा गांधी, राजीव गांधी थे। गांधी जी ने 1922 में कहा था, फिर गोलमेज सम्मेलन में उस बात को दोहराया था कि मेरी आजादी का अर्थ होगा कि सभी व्यक्तियों को एक जैसा अधिकार मिले और मैं जब सभी शब्द का प्रयोग करता हूँ तो उसका अर्थ महिलाओं की तरफ ज्यादा होता है।

राजीव गांधी जी ने आकर देखा कि गांधीजी के उस कथन के बाद महिलाएं आजादी की जंग में कूदीं। आजादी आई, संविधान बना, संविधान ने हमें सारे ऐसे अधिकार दिये, बराबर के अधिकार देकर एक बराबरी की जगह पर लाकर खड़ा किया कि वह प्रजातांत्रिक देश, जिसे सबसे ज्यादा अगुवा समझा जाता था, वहां पर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार बाद में मिला। लेकिन हम लोगों को समान अधिकार मिले। लेकिन उस सब के बावजूद जब 1985 में राजीव गांधी जी ने देखा तो उन्होंने यही सोचा कि आज भी वे अधिकार महिलाओं को नहीं मिले हैं, जो उनको मिलने चाहिए थे। मौलिक अधिकारों के बीच भी गैप्स हैं और उनकी पूर्ति करने की जरूरत है। इसलिए मैं श्रद्धा के साथ उन्हें नमन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि शिक्षा में वह बराबरी का दर्जा कहां है, कहां है राजनीति में बराबरी का दर्जा, जहां पर निर्णय लेने की प्रक्रिया महिलाओं के साथ होती है। कहां है उनको न्याय और वे सारे अधिकार जो मिलने के बावजूद भी वे वहीं की वहीं खड़ी हैं। इसलिए पर्सपेक्टिव प्लान, जो बाद में 2001 में पूरे रूप में बनकर सामने आया, उन्होंने उस वक्त बनाया। उन्हें मैं अपनी और सभी महिलाओं की तरफ से प्रणाम करना चाहती हूँ।

महोदय, अगर हम अभी की बात करें, तो मैं सोचती हूँ कि महिला और बाल विकास विभाग को अलग विभाग बनाकर पिछली यूपीए सरकार ने अपनी सोच की एक मिसाल दी है। हमारी बहन बजट की बात कर रही थीं, लेकिन महिलाओं और बच्चों पर जब चर्चा हो, तो बात पैसों की नहीं, मानसिकता की होती है, सोच की होती है, योजना की होती है, प्रतिबद्धता की होती है और फिर इसमें हर एक चीज को बढ़ाकर इस बात को दिखाया है कि पिछले वर्षों में हमने बजट को बढ़ाया है। उन्होंने जेंडर बजट की बात कही, लेकिन पहले जेंडर बजट का कंसेप्ट ही नहीं था। इसका कंसेप्ट ही इस सरकार के आने के बाद आया। जेंडर बजट, जो तीस प्रतिशत की भागीदारी महिलाओं को प्रत्येक मंत्रालय में देता है, तो निश्चित तौर पर तीस प्रतिशत बजट वहां उन्हें एक्सट्रा मिल ही रहा है। इसके बावजूद जब फिर रिव्यू होगा और पैसों की कमी होगी, तो यूपीए की सरकार प्रतिबद्ध है कि वह उसकी पूर्ति करेगी।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यूपीए के पिछले कार्यकाल में ही जो सपना गांधी जी ने देखा था, उस सपने की पूर्ति हुयी। इस देश की राष्ट्रपति महिला बनीं। इस बात की पूर्ति में एक कदम और बढ़ा कि प्रजातंत्र के इस सबसे बड़े घर और सबसे बड़ी पंचायत की हेड, स्पीकर एक महिला बनीं, महिलाएं पार्लिमेन्ट-थू परेड का नेतृत्व कर रही हैं, महिलाएं दूसरे गृहों में जाकर अपनी पताका फहरा रही हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा। हालांकि यह बात भी सच है कि यदि हम इसका दूसरा पहलू देखें तो हमारे ऊपर अत्याचार भी कम नहीं हैं, लेकिन हमने जो पाया है, उसको तो हम लोग स्वीकार करें, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या चाहे कोई और क्षेत्र हो, महिलाओं ने अपनी पहचान बनायी है और उस पहचान को बनाने में निश्चित तौर पर सरकार का हाथ रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आज तक सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश तक में कई तरह की मुश्किलें आती थीं, लेकिन यूपीए की सरकार ने जिस तरह से उस क्षेत्र में, उस मंत्रालय में एक तरह का उनको जो आमंत्रण दिया, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है।

महोदय, संविधान बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनीं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए योगदान के लिए राशि का आबंटन नेहरू जी की अपनी सोच थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक, जहां हमारी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं रहीं, वहीं छठी योजना के साथ सोच बदली और राजीव जी ने उन्हें वेल्फेयर से डेवलपमेंट की तरफ मोड़ा कि हमें विकास की दिशा में जाना होगा, महिलाओं की शिक्षा, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास, महिलाओं का राजनीति में प्रवेश, इन सब में उसे गुंजाइश देनी होगी। उसके बाद की योजनाएं जिसमें ग्यारहवीं योजना भी सम्मिलित है, वह एंपावरमेंट की योजना है। एंपावरमेंट का अर्थ है, पूरी तरह से सशक्तीकरण - सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक। इस दिशा में सरकार का प्रयास अतुलनीय है। मैं इसके लिए सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ।

महिला एवं बाल विकास की ग्यारहवीं योजना की बात करें, तो इस योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई है, तो महिला और बाल विकास विभाग है। ग्यारहवीं योजना में सुरक्षा, कल्याण, विकास, सशक्तीकरण व योजना प्रक्रिया के अभिन्न भाग के रूप में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी की परिकल्पना ही नहीं की गयी है, बल्कि उस परिकल्पना को कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी सोच को भी इसमें डाला है। इसमें जेंडर इक्विटी को बहुत महत्व दिया गया है और साथ ही आर्थिक सशक्तीकरण, महिलाओं के प्रति हिंसा के सभी रूपों चाहे वह शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो और चाहे मनोवैज्ञानिक हो, उससे मुक्ति के परिवेश को सुनिश्चित करना, इस योजना का आधार है। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रभावी नीति क्रियान्वयन हेतु विद्यमान संस्थागत तंत्रों का सुदृढीकरण इसका आधार है। उच्चतम नीति स्तरों विशेषकर संसद और विधायकों में, माननीय मुलायम सिंह जी चले गए, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब आवश्यक प्रतीत हो गया है। मुझे विश्वास है कि उसकी पूर्ति अवश्य होगी।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था और जिसको यह देश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत एक आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। बात केवल संवाद भर की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के आने से किसी की नेतागिरी खत्म नहीं होगी। यह किसी नेतृत्व को समाप्त करने का प्रयास नहीं है बल्कि ममत्व का एक आधार देकर हमारे प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने का एक प्रयास होगा। इसलिए हमें सैयाद मत समझिए, हमें अपना मित्र समझिए, यही मैं निवेदन करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि जो मानसिकताएं बदली हैं, मानसिकताएं तो बदली थीं। 73वें और 74वें अमेंडमेंट के समय भी हमारी संख्या 6 और 7 प्रतिशत थी, लेकिन बिल पास हुआ और इसके लिए मैं पुरुष मानसिकता, मेरे साथियों को इस आगाज के साथ बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यदि फिर मन में वैसी बात हो तो उसे निकाल फेंकिए, क्योंकि मन से निकला है। महिलाओं को टिकट देने में सभी पोलिटिकल पार्टीज ने एक सोच के साथ अधिक टिकट दिए हैं। फिर हमारे यहां पर अधिक बैठने को अब बहुत दिन इंतजार मत करवाइए।

वार्षिक योजना के प्रारूप की बात की गई। मैं सोचती हूँ कि प्रत्येक विधाओं में कुछ न कुछ जोड़ा गया है, घटाया नहीं गया है। लेकिन वक्त से साथ हमें नई योजनाओं को लेना पड़ता है। वक्त इस बात का साक्षी है कि हर वक्त देश और काल के अनुरूप विशेषकर वे विषय, विशेषकर समाज का वह हिस्सा जहां रोज तब्दीली होती है, वहां पर नई योजनाओं की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए चाहे वह क्रेच स्कीम हो, जन-सहकारिता की स्कीम हो, चाहे कार्यशील महिलाओं के लिए होस्टल या प्रशिक्षण सह-रोजगार हों, महिला क्रेडिट फंड हो, चाहे महिला राष्ट्रीय आयोग का फंड हो, चाहे कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए स्वधार स्कीम हो, समाज कल्याण बोर्ड हो, अन्य सहायता अनुदान के योग हों, बालिकाओं के लिए सशक्त मदद की योजना हो, महिला और बाल विकास व्यापार को समाप्त करने के लिए स्कीम हो, बलात्कार पीड़ितों के लिए राहत और उनके पुनर्वास की बात हो, चाहे जेंडर बजटिंग हो, एकीकृत बाल विकास योजना हो, बालिका समृद्धि योजना हो, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो, एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम स्वयं सिद्धा हो, चाहे महिलाओं के लिए स्वशक्ति हो, अभी की प्रियदर्शी योजना हो, नरेगा में महिलाओं की भागीदारी हो, गली में घूमने वाले बच्चों के लिए एकीकृत स्कीम हो, शिशु गृह स्कीम हो, समय के साथ-साथ यूपीए की सरकार ने अपने पांच सालों में इन विषयों को बढ़ाया है, इन्हें कम नहीं किया है।

अगर हम बजट की बात करें तो महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित बजट ही कहा जाएगा, क्योंकि इस बजट में फीमेल लिट्रेसी, क्रेडिट सपोर्ट, माइक्रो फाइनेंस, जो खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए हो, उनको प्राथमिकता दी गई है। जहां तक बच्चों का सवाल है, उनकी हैल्थ और ऐजुकेशन को प्राथमिकता प्रदान की गई है। आईसीडीएस स्कीम सन् 2012 तक सब तक पहुंचे, इस बात की न केवल घोषणा बल्कि प्रतिबद्धता है। इसके लिए कोष भी बढ़ाया गया है।

जहां तक महिलाओं का संबंध है, फीमेल लिट्रेसी रेट सन् 2001 में केवल 54.16 प्रतिशत है, उसके लिए नेशनल मिशन फार फीमेल लिट्रेसी का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ।

लो लैवल लिट्रेसी, विशेषकर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनोंरिटीज और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष योजना और विशेष धन का प्रावधान किया गया है। एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए कि कम से कम 50 प्रतिशत हो और वे बैंक से जुड़ें, इसके प्रावधान को बजट में स्थान मिला है। एसएचजी एक परिवर्तन की दिशा है और इसे आवश्यकतानुसार मोड़ा गया है। राष्ट्रीय महिला कोष स्कीम को न केवल चालू रखने की कोशिश की गई है बल्कि उसे बढ़ाया भी गया है और बजट में बढ़ोतरी करके इस बात का दिशा-निर्देश दिया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है।

जहां तक जेंडर बजटिंग का सवाल है, मैं सोचती हूँ कि विश्व के गिने-चुने राष्ट्रों के साथ ही हमारा नाम आता है। यदि प्रत्येक मंत्रालय से 33 प्रतिशत पैसा महिलाओं की स्कीम में खर्च होगा तो आप समझिए कि यह एक परिदृश्य को बदलेगा। नरेगा में 80 से 90 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है और इससे वे सशक्त होने की कोशिश कर रही हैं। प्रियदर्शिनी स्कीम में उनके सर्वांगीण विकास की बात कही गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगी कि जहां तक जेंडर बजटिंग का सवाल है, जब तक जेंडर ऑडिटिंग नहीं होगी, तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पिछली रिपोर्ट भी इस बात को दिखाती है कि जेंडर बजट में जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए थी, हम उस तक नहीं पहुंचे हैं। मैं नेशनल मिशन ऑन इम्पावरमेंट ऑफ वूमैन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वूमैन-सैंट्रिक प्रोग्राम्स की बात करना चाहती हूँ। यह सरकार की वह योजना है, जो नेशनल मिशन के रूप में सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ेगी। नोडल मिनिस्ट्री निश्चित तौर पर महिला बाल विकास रहेगी और इस मिशन के अंतर्गत सरकार की ऐसी योजना है कि इसके अंतर्गत 14 सोशल सैक्टर्स की मिनिस्ट्री रहेगी। उसमें महिलाओं के सम्पूर्ण विकास को देखा जा सके, इस बात को दृष्टिगत रखा जायेगा। मिशन इस बात को भी दृष्टिगत रखेगा कि महिलाओं को रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध हों। इसके लिए वे चाहे कोटा बढ़ायें, प्रायरीटी बढ़ायें या सर्विसेज का एक्सपेंशन करें, लेकिन वह करना आवश्यक होगा। एक ऐसी दिशा है कि जब तक महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं होंगी तब तक वे जिस दर्द को भोग रही हैं, उस दर्द को भोगती रहेंगी। इस दर्द को मिटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने नौकरियों में आरक्षण की जो बात की है, उसका समग्र स्वागत होना चाहिए। उसी के साथ-साथ अन्य विधाओं में भी उसके परसेंटेज को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

महोदय, आईसीडीएस की बात हमारी बहन ने की। मैं उन से सहमत हूँ कि आज सारे कार्य का बोझ बाल विकास महिलाओं पर है। वूमैन्स साथिन योजना – आज से 27-28 वर्ष पहले जब यह विभाग स्वतंत्र रूप से राजस्थान सरकार में मुझे मिला था, उस वक्त हमने इसे किया था। जब तक महिलाओं का स्वयं का योगदान नहीं होगा तब तक हम इन स्कीम्स को कार्यान्वित नहीं कर पायेंगे। उसमें हमें काफी सफलता मिली थी। आज एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस बिल है। जब उस बिल को विभाग को दे दिया जाये, तो मैं सोचती हूँ कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। सरकार की बहुत स्कीम्स हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को चतर्भुज बना दिया गया है। अभी हमारी बहन ने श्लोकों के साथ काफी बातें कहीं। मैं कहती हूँ कि हमें भी चार भुजाएँ

मिली हुई हैं। पहली, हमारे कांस्टीट्यूशनल राइट्स हैं। दूसरी, हमारी स्पेशल योजनाएं, स्पेशल बिल्स हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किये जाते हैं। तीसरी, हमारे वे स्पेशल कानून जिन्हें सुप्रीम कोर्ट हमें एक कानून के रूप में देता है और चौथी इंडियन पीनल कोड आदि है। इन चार भुजाओं के बावजूद, यदि मैं जिक्र करूं कि आर्टिकल 14, 15(1), 15(3), 16, 39, 39(बी), 51(ए)(ई), आदि हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं। इसके साथ-साथ 73वें और 74वें अमेंडमेंट से हम राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ बने हैं।

जहां तक इंडियन पीनल कोड का सवाल है, रेप या सैक्शन 376, 363-373, होमीसाइड फॉर डॉउरी, सैक्शन 302, 304, 498(ए), 354, 509 आईपीसी और 366 (बी) आईपीसी आदि हमें इंडियन पीनल कोड के रूप में मिला है। जहां तक हमारे दूसरे डोमेस्टिक वायलेंस, डॉउरी आदि के कानून हैं, वे इसी पार्लियामेंट ने पास करके स्पेशल लॉज के रूप में हमें दिये हैं। मैं कहना चाहती हूं कि साक्षी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट और विशाखा वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट के रूप में या फिर अभी चाइल्ड मैरिज के जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, वे हमारे लिए एक तरह से कानून के रूप को निर्धारित करते हैं। लेकिन मैंने एक जगह कहा था कि "जाने क्यों हम वहीं खड़े हैं, तेज कदम तो हम भी चले।" सरकार आज से नहीं, पहले से इस मामले में प्रतिबद्ध है। अगर हम पार्टी की बात करें, तो यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि केवल कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने आजादी से पहले ही महिलाओं के बारे में सोचा। उन्हें संवैधानिक अधिकार दिये, पंचवर्षीय योजनाओं में उन्हें योगदान दिया। हर सरकार ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। यही वजह है कि आज देश की राष्ट्रपति महिला है। लेकिन मानसिकताओं को बदलने की जरूरत है। वह मानसिकता कैसे बदलेगी? एक तरफ हम राष्ट्रपति जी को सलाम करते हैं, एक तरफ हमारी बहन जम्मू-कश्मीर के एक इलाके की पासिंग थू परेड सलाम करती है, तो दूसरी तरफ दोनों बांहें कटी हुई महिला हमारे सामने आ जाती है।

दूसरी तरफ आज शादी हुई और कल जली हुई एक महिला और एक बच्चे की तस्वीर हमारे सामने पेश हो जाती है, आज शादी हुई और रात को उसको घर से निकाल दिया जाता है। चाहे यह देश हो या विदेश हो, किसी महिला को नौकरी से केवल इसलिए निकाल दिया जाता है कि वह किसी की पिपासा को पूरी नहीं कर पाती है, किसी महिला को इसलिए घर की चौखट से बाहर कर दिया जाता है कि वह अपने पति को खाना पांच मिनट देर से दे पाती है। ऐसी हालत में उसकी दूसरी तस्वीर दिखती है जिसको हमारी मानसिकता को बदलने से ही बदला जा सकता है, उसके लिए दूसरा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हम आज कहां पहुंचे हैं। आजादी के इतने दिनों के बाद हम आज जहां पहुंचे हैं, वहां दूसरी तरफ नजर डालें कि वर्ष 2008 तक हमारी साक्षरता दर 54 प्रतिशत तक ही क्यों रह गयी? आज बच्चों का ड्रॉप आउट रेट वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार 41 प्रतिशत ही क्यों है? आज फीमेल फोटीसाइड के इतने मामले क्यों हो रहे हैं? आज पीएनडीटी एक्ट है, उसके बावजूद महिलाओं पर जन्म से पूर्व इतनी यातनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अनआर्गेनाज्ड सेक्टर को छोड़ दीजिए, तो आज अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या है? आज कितनी महिलाएं आईएएस और आईपीएस अफसर बनी हैं? आज सुरक्षा की दृष्टि से इसे खोलने के बावजूद भी कितनी महिलाएं वहां तक पहुंच पाई हैं? इन सब चीजों के लिए केवल सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार अपने कानून बनाकर, रिलीफ देकर, सरकार उन योजनाओं के द्वारा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें।

जहां तक राज्य सभा और लोक सभा में प्रतिनिधित्व की बात है, वर्ष 1991 में दसवीं लोक सभा में हम लोग 7.7 प्रतिशत थे, 11वीं लोक सभा में 7.36 प्रतिशत, 12वीं लोक सभा में 8.7 प्रतिशत, 13वीं लोक सभा में 8.83 प्रतिशत, 14वीं में 8.3 प्रतिशत और 15वीं लोक सभा में हमारा परसेंटेज लगभग 11 तक पहुंचा है। इस तरह मानसिकता बदली है। यही स्थिति राज्य सभा में रही। वर्ष 1999 में 9.80 प्रतिशत महिला सदस्य थीं और अब हम लोग करीब-करीब 11 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम अन्य आंकड़े देखें तो लोगों की मानसिकता पर हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है और उस मानसिकता के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि वे आंकड़े भयावह हैं। इसलिए मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वर्ष 2003 में रेप के केसेज की संख्या 15,847 थी, वह वर्ष 2007 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 20,737 हो गयी। किडनैपिंग केसेज की संख्या वर्ष 2003 में 13,296 थी, जो 17.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 20,416 हो गयी है। इसी अवधि में डायरी डेथ केसेज की संख्या 6.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 6,008 से 8,093 हो गयी है, सैक्शन 498 के अन्तर्गत टॉचर के केसेज की संख्या 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50,703 से बढ़कर 76,000 के करीब हो गयी है, मोलेस्टेशन केसेज की संख्या 5.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 32,939 से बढ़कर 38,734 हो गयी। वर्ष 2003 में सेक्सुअल हार्समेंट के केसेज की संख्या 12,385 थी जो 9 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ी है। इसलिए यह सोचने की जरूरत है कि हम इस मानसिकता को कैसे बदलें। पिछले दो महीने में जो कुछ घटित हुआ उससे सभी लोग चिन्तित हैं। मध्य प्रदेश में खुले आम महिलाओं का प्रेग्नेंसी टेस्ट करके उन महिलाओं को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर शायद पांचाली भी खड़ी नहीं हुई होगी। यह केवल इसलिए कि विवाह के लिए वे 6,000 रूपए प्राप्त कर सकें।... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है।... (व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदय, माननीय सदस्या द्वारा मेरे ऊपर पर्सनल आरोप लगाने के बाद भी मैं नहीं बोली थी। इसलिए महोदय, इन बातों को स्वीकार कीजिए और धैर्य के साथ सुनने की आदत डालिए। उस हालत में उन लोगों ने स्वयं हमारी टीम के सामने और मीडिया की टीम के सामने यह स्वीकार किया है कि जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया गया, महिला होने के नाते मैं तो शर्मिन्दा हूं ही, सभी को शर्मिन्दा होना चाहिए। इस स्कीम में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया। मैं स्कीम की बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र ने उसे चौराहे पर लाकर खड़ा किया, वहां पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। जो मुम्बई की घटना हुई, आपने कहा था, मैं जरूर गई थी और उसे सुलझा कर आई हूं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी ने मेरे सामने घोषणा की कि इस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारे फैक्ट्स के साथ लिया जाएगा। किसी भी मुख्य मंत्री का यह दायित्व होता है, लेकिन मैंने कहा कि जो घटना घटी, चाहे वह दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या मध्य प्रदेश में घटी हो, महिलाओं की उन घटनाओं के प्रति हम लोगों को चैतन्य होकर राजनीति

से ऊपर उठकर अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है।

ये ऑफुल आंकड़े हैं, बड़े भयावह आंकड़े हैं। जहां इंडियन पिनल कोड में आंध्र प्रदेश उन मामलात में आगे हैं, तो भूलें नहीं कि रेप के केस में सबसे ज्यादा आगे मध्य प्रदेश है। वहां पर रेप का प्रतिशत इतना अधिक है कि उसे पार करना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो ओवरऑल शोषण होता है, उसमें वह प्रदेश सबसे आगे है। इन सब पर हमें विचार करना होगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस शासित है, लेकिन दूसरे तीन प्रदेशों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि यहां राजनीति से प्रेरित होकर कोई नहीं आता। माननीय सदस्या, जो मध्य प्रदेश से आती हैं, आप एक बात भूल गईं कि जब व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो व्यक्ति अपने सारे वातावरण से अलग होकर केवल उसी की बात करता है।

मैं इंडियन पिनल कोड की बात कर रही थी कि आंकड़े बहुत भयावह हैं। इसलिए हम सबको अपने-अपने क्षेत्रों में इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अभी 8.8 प्रतिशत इसमें हर साल की बढ़ोत्तरी हो रही है, जो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत है, वह खुद बढ़कर 1,74,921 हो गई है। अगर हम जानने की कोशिश करें कि क्यों यह सब हो रहा है तो आप देखें कि पुलिस प्रशासन पूरा नहीं, पुलिसकर्मियों की कमी है। राज्य बार-बार इस बात को कहते हैं कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं भी तीन या चार प्रतिशत से ज्यादा पुलिसकर्मियों नहीं हैं और उनमें महिला पुलिस की संख्या तो उससे भी कम है। इसलिए हम कैसे लोगों को न्याय दे पाएंगे, जहां पर एक-डेढ़ करोड़ नीचे से लेकर ऊपर तक मामले लम्बित हैं।

अगर हम ज्यूडिशरी की बात करें तो जहां इतने मामले कोर्ट में लम्बित हों, तो फिर कैसे महिलाओं को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 50,000 मामले लम्बित हैं और उनमें से कम से कम 25,000 मामले महिलाओं से सम्बन्धित हैं, तो हम कहां पर पहुंचेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मानसिकता बदलने के साथ-साथ पांच पिलर्स बहुत जरूरी हैं। बहुत आसान होता है सरकारों को कठघरे में खड़ा करना, लेकिन हम अपने दायित्व को भूल जाते हैं। जब हम महिलाओं की बात करें, तो दायित्व का अर्थ है- पांच पिलर्स। पहला है कानून का कड़ा होना और महिला आयोग ने केवल चार वर्ष में करीब 42 कानूनों को रिव्यू किया है या नए कानून बनाकर भेजे हैं, जिसमें डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट तक शामिल है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से और विशेष कर महिला सदस्यों के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि उन कानूनों को जल्दी से जल्दी यहां लाने में और पास कराने में आप योगदान दीजिए।

मैं निवेदन कर रही थी पांच पिलर्स का। कानून होना जरूरी है, कानून है, लेकिन कानून का परिपक्व होना भी जरूरी है। सन् 1860 का बना हुआ कानून आज इतना प्रासंगिक नहीं हो सकता, हालांकि बीच-बीच में उसमें परिवर्तन हुआ है। यह हमारे संविधान में लचीलापन होने के कारण ही सम्भव हो सका है, लेकिन अब उसमें और परिवर्तन की जरूरत है। इसी प्रकार कड़ा कानून हो, दूसरा एक्जीक्यूट करने वाली जो संस्था है पुलिस से लेकर अन्य प्रशासनिक, उन्हें राजनीति के घेर में नहीं कि जब रीता जी बहुगुणा का घर जले तो दूसरी बात, जब उनका अरेस्ट हो, तब 46.4 का उल्लंघन किया जाए तो अलग बात। बाकी किसी ने निकाल दिया, वह अलग बात। हम सभी को एक साथ लेने की कोशिश क्यों नहीं करते, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। जब पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं केवल उन राजनैतिक दलों को जो सरकार में हैं, उनकी अगुवाई करने वाले बन जाएंगे, तो महिलाओं को कहां न्याय मिल पाएगा। फिर उनमें संख्या की कमी, उनकी ट्रेनिंग की अव्यवस्था और फिर उनके दिमाग में एक मानसिकता कि यह तो एक महिला है।

जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता बनी, तो मैंने देखा कि पहले ही दिन एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर महिला आयोग में आई थी। उसने कहा कि मैं रात भर से घूम रही हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन किसी पुलिस स्टेशन ने नहीं किया। सुबह तक उसके साथ खून से लथपथ 13 साल की उम्र की वह छोटी सी बच्ची थी, जिसके साथ पांच बजे तक रेप हुआ। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, वह ट्रेनिंग से सेंसेटाइजेशन से बदलेगी। इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अलग से व्यवस्थाएं केन्द्र और राज्य सरकार को करनी चाहिए। पुलिस की ट्रेनिंग की जो व्यवस्था केन्द्र में है, वह उसके अंतर्गत आती है, मेरा विशेष निवेदन होगा कि उसे करें।

तीसरी सिविल सोसाइटी की भूमिका है, जिसे लेना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक 72 साल की महिला हमारे पास आई, उसने कहा कि जब मैं पूजा के लिए जाती हूँ तो एक 80 साल का व्यक्ति उसे गाना गाकर छेड़ता है कि " मेरे सपनों की रानी कब आयेगी तू" क्योंकि उसे वहां से उसका मकान खाली कराना है। मैंने कहा कि यह देश, चाहे महिलाओं की कितनी भी खिलाफत कर ले, लेकिन महिला में इतनी ताकत बाकी है कि आपके लिए अगर वहां पर कोई पुरुष भी होगा तो वह आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। मैं दूर खड़ी रहूंगी, आप उसे केवल चप्पल से पीट देना या तेज आवाज कर देना। उसने थोड़ी सी तेज आवाज की और सब लोगों ने आकर उसे मारा। इसलिए सिविल सोसाइटी की भूमिका भी आवश्यक हो गयी है। केवल दर्शक बनकर नहीं, एक हिस्सा बनकर हमें रहना होगा।

अवेयरनेस के कार्यक्रम भी आवश्यक हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जो जैन्डर बजट है, उस 30 प्रतिशत में 10 प्रतिशत कम से कम ट्रेनिंग के लिए रखा जाए, जिससे ट्रेनिंग, अवेयरनेस, अपने बारे में, अपनी अस्मिता के बारे में, अपने बीईंग के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में और अपने को मिलने वाले अधिकारों के बारे में जानकारी उसे प्राप्त हो सके। साथ ही जो अवेयरनेस के कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त हो सके।

पांचवां है मीडिया की भूमिका। मैं मीडिया को सलाम करना चाहती हूँ क्योंकि उनके कारण ही इतना कुछ संभव हो पाता है कि दर्द को हम लोग जान सकें और उन तक पहुंच सकें। दर्द बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यही कहूंगी कि हमें सरकार की नीतियों को अच्छी तरह क्रियान्वित करने के लिए अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हम सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा न करें कि वह दूसरे राजनीतिक दल की है बल्कि इस सोच के साथ देखें कि महिलाओं के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रारम्भ से लेकर अब तक क्या रहा है?

महोदय, वक्त बदला है, बच्चियां जब हमारे पास आती हैं उस वक्त मैं कहती हूँ कि तुम सारे अत्याचार से भयभीत तो नहीं हो, जिसका जिक्र मैंने थोड़ा सा किया। उसका जवाब होता है, जैसा मैंने लिखा है कि "खौफ कहां मेरे दिल में यह सर्दी का लहरा है"। वह अपने खौफ को कम करने की कोशिश कर रही है कि यह सर्दी का लहरा आया और कहती है कि अब मैं इन परिस्थितियों से डरती नहीं हूँ। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि परिस्थितियां बदल रही हैं। जब कहा जाता है कि दर्द बहुत हो गया, डिवोर्स दे दो, अलग हो जाओ। अब वह कहती है कि मैं भी उस व्यक्ति को उतना ही दर्द दूंगी, जितना उसने मुझे दिया है। वह बेटी, वह ममता भरी मां, हाथ में राखी लिये हुए बहन, सभी सेवा करती हुई पत्नी, जिस सहृदयता के साथ कहती है कि हमारा परिवार जुड़ा रहे, लेकिन उस पर कोई हमला हो, उससे पहले हम जाग जाएं। उसके दर्द को मैंने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि "तुम भी दर्द कहां तक देते, मैं भी जुल्म कहां तक सहती, तुम भी इतने बुरे नहीं हो, मैं भी इतनी भली नहीं हूँ।" यह दौर आये उसके पहले हम लोग जाग जाएं और महिलाओं के प्रति, अपनी मानसिकता को बदलकर उनका जो देय है वह उसे दें। एक देय तो हम यहां पर दे ही सकते हैं और वह है 33 प्रतिशत की भागीदारी का बिल, यह सदन स्वागत के साथ स्वीकार करे, महिलाओं को स्थान दे, तो मैं सोचती हूँ कि एक नयी दिशा और एक नया दृश्य होगा।

मेरे संबंध में यहां पर कुछ कहा गया, केवल एक लाइन में कहूंगी कि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी बड़ी बहन है। मैं अपने कर्तव्यपालन में कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने कभी रिहैबिलिटेशन में विश्वास नहीं किया कि मेरा पुनर्वास हो। आज से 30 साल पहले से महिलाओं के हक और हकूक से लिए लड़ी रही हूँ। और आगे भी लड़ती रहूंगी, चाहे कहीं पर भी रहूँ। उस वक्त मैं इस पार्टी या उस पार्टी का भेद-भाव नहीं रखती। एक औरत हूँ और एक औरत के लिए लड़ने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आप आगे बढ़ें, जिन योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को लेकर, जिस दिशा और दशा को लेकर, जिस सोच को लेकर यूपीए की सरकार ने बजट के माध्यम से आगामी 5 वर्षों का खाका खींचा है और जो एक सोच दी है, उस सोच को पूरा करने में हम सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं। महिलाएं अब बैठेगी नहीं, वे जाग चुकी हैं, उनका रास्ता खुल चुका है, उनके बंद होंठ अब आगे बढ़ने के लिए खुलते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों के भविष्य के लिए मैं बोल नहीं पाई। आईसीडीएस का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस पर मैंने चर्चा की है। लेकिन निश्चित तौर पर बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। स्कूल के पाठ्यक्रमों से लेकर शारीरिक विकास का भी ध्यान रखना होगा। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया अभी बहुत जटिल है, इस बारे में नए बिल का हमें इंतजार है। श्रम विभाग बाल श्रम को केवल खानापूर्ति के लिए ही न ले तथा बाल श्रम रोकने के लिए स्कूल आदि की जो व्यवस्था की है, मैं अपेक्षा करती हूँ कि सरकार उस दिशा में सोचेगी और बाल श्रम की पूरी तरह से हमारे देश में समाप्ति होगी। हमारा देश और सदन महिलाओं और बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, निश्चित तौर पर इनका भविष्य यूपीए सरकार के हाथों में सुरक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मेरे पास इस विषय पर बोलने के लिए इच्छित 25 सांसदों की सूची है। चर्चा के लिए हमारे पास सवा पांच तक का समय है। इसके पश्चात् मंत्री जी उत्तर देंगी। जो सांसद अपना लिखित वक्तव्य सभापटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं। सभी लिखित भाषणों को सदन की कार्यवाही में सम्मिलित माना जाएगा।

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आईसीडीएस देश के 33 ब्लाकों में वर्ष 1975 में प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम धीरे-धीरे राष्ट्रव्यापी बन गया और आईसीडीएस का मूल उद्देश्य छह वर्ष के बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान कराने वाली महिलाएं और माताओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के लिए एक पैकेज दिया जाता है, जिसमें पूरक पोषण, स्वस्थ जांच, स्वस्थ शिक्षा, औपचारिक स्कूल शिक्षा शामिल है। 31.1.2009 की स्थिति के अनुसार कुल 773000 परियोजनाएं एवं 13.56 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें 2008 और 2009 के दौरान आईसीडीएस योजना के तीसरे चरण का विस्तार भी शामिल है। बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम को चलाने वाली आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या लाखों में है और लाखों महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर सारा भार है। हमारे माननीय सदस्य आंगनबाड़ियों का जिक्र कर रहे थे। आंगनबाड़ी महिलाएं जो बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करती हैं, लेकिन इन बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि देश के नौनिहालों का हाल बुरा है। तीन साल से कम उम्र के 49 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में से 49 फीसदी भारत में हैं। देश भर में हर साल ढाई करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। यदि तीन साल तक के बच्चों की आबादी जोड़ी जाए, तो साठ करोड़ पांच लाख बच्चे इस आयु वर्ग में आते हैं। इनमें से साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वे के हवाले से दिए गए हैं। सर्वे में कहा गया है कि निर्धनता के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी है। बच्चों का सही ढंग से टीकाकरण नहीं हो पाता है। कुपोषण की रोकथाम के लिए केंद्र या राज्य सरकारें ठीक से ठोस प्रयास नहीं कर पा रही हैं। स्कूलों में मिड डे मील की क्या हालत है, इससे सभी माननीय सदस्य वाकिफ होंगे। मैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनपद मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से चुनकर आई हूँ। वहां कस्तूरबा बाई आश्रम पद्धति के नाम से एक स्कूल चलाया जा रहा है, जो सरकार के अनुदान से चल रहा है, सरकार के संरक्षण में चल रहा है। वहां बच्चों को आज से तीन-चार महीने पहले बासी खाना और बासी चने की दाल खिलाई गई, जिससे 50 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए और तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे तथा बहुत मुश्किल से उनकी जान को बचाया जा सका।

में आपसे कहना चाहती हूँ कि बाल विकास दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमारी और निराशा के कारण बच्चों का बचपन उनसे न छीना जाए। कुपोषण को लेकर नयी नीति बनाने की जरूरत है खासकर पोषण संबंधी कार्यक्रमों में व्यापक बदलाव किये जाने की जरूरत है। बाल विकास संबंधी योजनाओं को सही दिशा में गति देने की जरूरत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सार्थक बनाया जाए। देश में राज्यों की बचत का सही प्रवाह ईमानदारी पूर्वक किया जाए और राज्य के कोने कोने में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भी इसका परिपालन सही ढंग से किया जाए।

आज बाल मजदूरों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। जहां 75 प्रतिशत आबादी महिलाओं और बच्चों की है, वहां आज हमारे बाल मजदूर और श्रमिक महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं, उनकी दयनीय स्थिति अगर देखनी है तो भारतवर्ष में देखिए। जून 1999 का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भले ही बाल श्रम को खत्म करने के लिए कदम चला चुका है। लेकिन अभी करोड़ों बच्चे अपनी जीविका चलाने के लिए बाल मजदूरी कर रहे हैं। दुनियाभर के मुकाबले में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा हमारे देश में ही है। 5 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे लगभग 1 करोड़ बच्चे घातक जानलेवा पेशे में लगे हुए हैं। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि हालांकि वर्ष 1999 में आर्थिक गतिविधियों में लिप्त बच्चों की संख्या घटी है लेकिन अभी 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के 16.5 करोड़ बच्चे अब भी इसमें लिप्त हैं। आप जाकर बस स्टेशन, होटल, दवाओं पर जाकर देखिए कि किस तरह से छोटे-छोटे बच्चों का शोषण किया जा रहा है। न उन्हें भरपेट भोजन दिया जा रहा है और न उन्हें श्रम की मजदूरी दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में भी रहने वाले श्रमिकों की ओर तथा विशेषकर मलीन बस्तियों में फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले और होटलों में काम करने वाले मजदूर की तरफ विशेष तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान होना चाहिए। जहां देश में 75 प्रतिशत बच्चों का इस तरह से शोषण किया जा रहा है, महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु और जरूरतमंद बच्चों के संरक्षण की स्कीम में मात्र 6.30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 70 लाख रुपये की राशि पूर्वोत्तर राज्यों की योजना के लिए उपलब्ध कराई गई है।

यदि चमकते हुए इंडिया के साथ चमकता हुआ भारत भी देखना चाहते हैं तो जरूरी होगा कि करोड़ों बच्चों को कुपोषण, बाल-मजदूरी और अशिक्षा के अभिशाप से बाहर निकाला जाए और उनके चेहरे पर प्रगति की मुस्कान लायी जाए। मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में कहूंगी और मैं मानती हूँ कि पहले से बहुत अच्छी है लेकिन आईसीडीएस के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, मैं उसमें से राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की बात करना चाहती हूँ। यह नयी प्रस्तावित योजना डा. ए.आर.किदवई की अध्यक्षता में बनी और यह राज्यपालों की समिति की सिफारिशों का परिणाम है। प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व पंचायती राज संस्थाओं के महिला सशक्तीकरण संबंधी कार्यक्रमों, नीतियों व योजनाओं पर नज़र रखेगा ताकि महिलाओं को सामाजिक आर्थिक अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के लिए सौ करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। मैं माननीय सांसद श्रीमती गिरिजा व्यास जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आपने माननीय नेता मुलायम सिंह जी का नाम महिला आरक्षण के संबंध में लिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। वह महिला आरक्षण बिल के स्वरूप के खिलाफ हैं। हम लोग जिन ग्रामीण क्षेत्र से आये हैं, हम लोग जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सामान्य वर्ग की महिलाएं लड़ेंगी, बाहुबल वर्ग की महिलाएं लड़ेंगी तो उसमें क्या हम लोग जीतकर आ सकते हैं? मैं आपका ध्यान डा. लोहिया जी की तरफ दिलाना चाहती हूँ जिन्होंने यह कहा था 60 सैकड़ा जब आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक, जब इनके हाथ में सत्ता आएगी, तो जो ये मात्र भाषा बोलते हैं, वही भाषा जिस दिन इनके कलम से लिखी जाएगी, उसी दिन इस देश में सफल इक्लाब का आगमन होगा। हमारे नेता चाहते हैं कि अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अवसर मिले और वे विधान सभा और लोकसभा में पहुंचें। आप लोक सभा और विधान सभा के दरवाजे इन महिलाओं के लिए खोल दीजिए। मैं आपका ध्यान ग्रामीण महिला सशक्तीकरण और आजीविका परियोजना, आईएफएडी द्वारा नई प्रायोजित स्कीम की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। यह योजना बिहार के दो जिले सीतामढ़ी और मधुबनी में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली, श्रावस्ती, बहराइच और सुल्तानपुर में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं व किशोरियों का सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण करना है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2007-08 के लिए 10 करोड़ उपलब्ध कराए गए थे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी योजना लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में भी चलाई जाएगी?

महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के नेतृत्व में विकास की एक स्कीम आईसीडीएस द्वारा चलाई जा रही है। सचचर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग, जिसकी संख्या 13 करोड़ 83 लाख है, को विकास का लाभ नहीं मिला है। इस वर्ष इस वर्ग की महिलाएं दोहरी उपेक्षा का शिकार हो रही हैं, इन उपेक्षित महिलाओं का विकास लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए एक प्रायोजित स्कीम प्रस्तावित है। इस स्कीम के माध्यम से इन महिलाओं को सहायता, प्रशिक्षण और नेतृत्व दिया जाएगा और उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि वे अपने घरों की चारदीवारी से, समुदाय से बाहर निकलें। वर्ष 2009-10 में इस स्कीम के लिए एक करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50 लाख रुपए शामिल हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान लखनऊ की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यहां चिकन का काम व्यापक स्तर पर होता है। यहां विशेष तौर से महिलाएं, बच्चे और बूढ़े कपड़ों पर कढ़ाई करते हैं। यहां से कपड़े विदेशों में जाते हैं इससे विदेशी मुद्रा की आय होती है, राजस्व बढ़ता है। क्या आप इसमें लगी महिलाओं को विशेष पैकेज देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस स्कीम, आर्थिक सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही है। यह स्कीम दक्षता, प्रशिक्षण, रोजगार व आय सृजन क्रियाकलापों से संबंधित है जिससे महिलाओं का आर्थिक विकास हो तथा इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 10वीं योजना के अंतर्गत स्वयंसिद्धा, स्वशक्ति, महिला प्रशिक्षण, उत्पादन केंद्र, राष्ट्रीय महिला कोष स्कीमों में स्वशक्ति को बाह्य सहायता प्राप्त थी, अब वह बंद कर दी गई है। स्वयंसिद्धा केंद्र प्रायोजित स्कीम है, इसे छः वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इसमें 32 राज्य और जिलों में 650

ब्लॉक कवर किए गए थे। यह स्कीम इंदिरा गांधी महिला योजना, आईएमवाई का संशोधित रूप है जिसका उद्देश्य छोटी वस्तुओं के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहन देना है। इस स्कीम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता स्कीमों को बढ़ावा देकर आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में सीधे लाभ पहुंचाना है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा है महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। आज लगभग 22 लाख ऐसे समूह बैंकों से संबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में ग्रामीण महिलाओं के कम से कम 50 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह सदस्यों के रूप में पंजीकृत करना है और स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ना है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस योजना की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ ताकि महिलाएं सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर हों। जिस दिन वे अपने पिता, पुत्र और पति की कमाई पर आश्रित न रहकर अपनी कमाई के पैसे से चूड़ी खरीदेंगी और अपने माथे पर बिंदी सजाएंगी, मैं समझूंगी उस दिन सशक्तिकरण हो गया। ...(व्यवधान) महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट का समय मांगा था और दो मिनट हो गए हैं। इसके बाद फिर दो मिनट मांगा जाएगा।

श्रीमती सुशीला सरोज : महोदय, राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को ऋण सहायता या अतिरिक्त वित्त पोषण सुकर बनाने के लिए कार्य करता रहा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप शेष भाषण टेबल पर 'ले' कर दीजिए।

श्रीमती सुशीला सरोज : सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन विकास और साधन के रूप में कोष की स्थापना 100 करोड़ रुपये से मूल्य निधि को बढ़ाकर ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि स्पीच बाकी है तो उसे टेबल पर रख दीजिए।

श्रीमती सुशीला सरोज : सर, अब टेबल पर रखने के लिए कुछ नहीं है, बस मैं दो मिनट में समाप्त कर देती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट की जगह पांच मिनट बोल लिया है। श्रीमती मीना सिंह, आप बोलिये।

श्रीमती सुशीला सरोज : महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, जो केन्द्र के साथ राज्यों में भी काम करता है। इनका मुख्य कार्य होता है कि महिलाओं की अदालत लगाई जाए, उन्हें विधिक अधिकार है, जहां पर दमन और उत्पीड़न हो रहा है, वहां महिलाएं जाकर जांच करें और केन्द्र को रिपोर्ट दें। परंतु आज महिला की चीत्कार नारों में विलीन होती जा रही है। महिलाओं के दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध कानून बनाये जाते हैं। पुस्तकें लिखी जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी स्पीच लम्बी होती जा रही है। कृपया आप बैठ जाइये। इसके बाद आपकी स्पीच रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

* Not recorded

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** माननीय सभापति महोदया जी एवं उपस्थित नेतागण एवं हमारे समक्ष उपस्थित सभी संसद सदस्य मुझे बोलने का मौका देने के लिये आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारा देश गांवों का देश है सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक जनता गांवों में निवास करते हैं और गांवों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है। जिस प्रकार एक परिवार में एक बच्चे का विकास निर्भर करता है। उसी प्रकार

हमारा देश गांवों के विकास पर निर्भर करता है। गांवों के विकास के लिये सबसे पहले महिला का विकास बहुत जरूरी है। महिला का विकास ही देश का विकास है। यदि देश की महिलायें शिक्षित होंगी तो उनके बच्चे भी शिक्षित होंगे। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो उनके परिवार भी शिक्षित होंगे और एक शिक्षित समाज से एक शिक्षित राज्य का निर्माण होगा। इस तरह से हमारा देश शिक्षित कहलायेगा।

यहां मैं मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत के पिछड़े राज्यों, यूपी., बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, बंगाल गुजरात इत्यादि जैसे राज्यों को विकास करने के लिये ऐसी आवश्यक योजनाएँ चलानी चाहियें थी:-

1. हर गांव स्तर पर एक विद्यालय खोला जाये और उस विद्यालय का शिक्षा स्तर उत्तम होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि एक शहरी बच्चे की शिक्षा और एक गांव की शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। यह शिक्षा की असमानता के लिए सरकार को हर गांव के स्कूल में इंग्लिस मिडियम का अध्यापक नियुक्त करना चाहिए था और उसका शिक्षा स्तर पैटर्न इंग्लिस में चाहिए था। ताकि यह शिक्षा की असमानता दूर हो सके। शहरी एवं गांव के बच्चे की शिक्षा का अंतर समाप्त हो सके।

2. विद्यालय की फीस कम होनी चाहिए थी ताकि एक गरीब से गरीब परिवार अपने बच्चे को विद्यालय में शिक्षा के लिये भेज सके। अभी बहुत से उदाहरण सामने आ रहे हैं कि एक तेज बच्चा गरीब परिवार से संबंध रखता है तो उच्च फीस के कारण अपना कैरियर बनाने से वंचित रह जाता है, वह इस तरह से कैरियर बर्बाद कर लेता है।

इस स्थिति में मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों के लिये आवश्यक योजना चलाई जाये। ताकि ऐसे बच्चे अपना कैरियर बनाने से वंचित ना हों।

3. हर जिला स्तर पर एक केन्द्रीय विद्यालय होना चाहिए ताकि बच्चे अपने गांव की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उसको अच्छी शिक्षा के लिये अपने क्षेत्र से बाहर ना जाना पड़े। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरा जिला अमरेली को ले। जिसमें कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है।

इसके लिये सरकार को प्राथमिकता देते हुये आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

4. गरीब बच्चों के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान होना चाहिए ताकि गरीब मेहनती बच्चें अपने ऊपर निर्भर हो कर शिक्षा प्राप्त कर सके।

5. आदिवासी बच्चों के लिये शिक्षा का विशेष प्रावधान होना चाहिए उसकी हर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए ताकि वो शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके।

6. पिछड़े वर्ग के बच्चों को शोषण से बचाना चाहिए जैसे बाल विवाह, बाल मजदूर इत्यादि जैसी चीजों के लिये सरकार को आवश्यक योजनाएं चलानी चाहिए। अभी ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं।

7. महिला विकास के लिये हर गांव में एक महिला विकास केन्द्र होना चाहिए। ताकि सरकार द्वारा महिला के विकास के लिये उठाए गए कदमों का हर महिला को लाभ मिल सके।

यहां मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी तक महिला एवं बाल विकास के लिये जितनी भी योजनाएँ बनी उसका लाभ 100 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत लोगों को ही मिल पाता है। ये योजनाएँ पेपर तक ही सीमित रह जाती है। इसके लिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों के लिये छोटे गांव में एक योजना प्रशिक्षण केन्द्र होना चाहिए। ताकि एक-एक नागरिक को सरकार द्वारा उठाये गये विकास की योजनाओं के बारे में पता चल सके तथा उसका लाभ मिल सके।

श्रीमती मीना सिंह (आरा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इस मंत्रालय का नाम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। परंतु सच्चाई यह है कि आजादी के इतने अरसे के बाद भी सही मायने में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए कोई ठोस एवं कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं। आज भी गांव की महिलाओं, यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को यह सरकार पौष्टिक आहार तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान उचित उपचार के बिना दम तोड़ देती हैं। यदि कोई गरीब महिला किसी तरह से बच्चों को जन्म देती है तो वे कुपोषण का शिकार होते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने डब्ल्यू.एच.ओ. के आंकड़ों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में जितने भी कुपोषण के शिकार बच्चें हैं, उनकी करीब आधी आबादी अकेले भारत में है। मैं माननीय मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं, परंतु मैं उनसे इतना जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या इन आंकड़ों को देखने के बाद उन्हें ऐसा नहीं लगता कि बाल विकास के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वे कागजी हैं। हम बाल विकास के लिए जो भी दावे कर रहे हैं, वे खोखले हैं।

महोदय, यह सच्चाई है कि भारत की नई पीढ़ी पर देश और दुनिया को गर्व है। दुनिया में सबसे अधिक करीब 54 करोड़ युवा आबादी भारत की है। इस सदन में हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। आज के बच्चे कल के युवा बनेंगे, लेकिन आज के बच्चों का बचपन उनसे छिन्ता जा रहा है। उनके चेहरे से बाल सुलभ मुस्कान हटती जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी।

महोदय, अब मैं महिलाओं की समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। आज गांवों में जाकर देखने पर ऐसा लगता है कि एक ओर महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कम योजनाएं हैं तो दूसरी ओर उनमें व्यापक पैमाने पर लूट-खसोट और भ्रष्टाचार है, जिसके कारण उनका सही लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए सरकार की बहुत ही महत्वकांक्षी योजना आंगनबाड़ी है। मैं इस योजना में कार्यरत सेविका एवं सहायिका की कठिनाइयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। देश भर में महिलाओं एवं छः साल तक के बच्चों की देखभाल करना सेविकाओं के जिम्मे है। लेकिन मुझे यह बताने में शर्म आ रही है कि इन सेविकाओं का मासिक वेतन केन्द्र एवं राज्य सरकार की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 127 रुपये, बिहार में 97 रुपये, गुजरात में 100 रुपये, हरियाणा में अकुशल मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी 147 रुपये जबकि आंगनवाड़ी में कार्यरत सेविका को, जो 10वीं पास है, मात्र 1500 रुपये प्रतिमाह यानी प्रतिदिन केवल 50 रुपये मिलते हैं। यह सरकार महिलाओं के उत्थान की बात करती है जो सेविका को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे सकती है और उनका उत्थान करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से मांग करना चाहती हूँ कि वह आंगनवाड़ी में कार्यरत सेविकाओं को कम से कम न्यूनतम मजदूरी दिलाने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मंत्री जी से मांग करूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र आरा और बिहार प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की पहल करें क्योंकि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना महिलाओं के समग्र विकास और उत्थान करने के लिये शुरु की गई थी। विगत वित्तीय वर्ष में मात्र 31 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे घटाकर इस वर्ष 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों किया गया है? सभी इस सच्चाई से अवगत हैं कि जो महिलायें घर से बाहर निकलकर शहरों में काम करने के लिये जाती हैं, उन्हें कदम-कदम पर ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके लिये एक विकट समस्या आवास की होती है। विगत वर्ष कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टेल के निर्माण हेतु 9.88 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था जिसे इस साल घटाकर 8.98 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा करके सरकार महिलाओं की समस्यायें बढ़ाना चाहती है या घटाना चाहती है? जो महिलायें दिल्ली जैसे महानगर में काम करती हैं, आये दिन ऐसा सुनने को आता है कि किसी मकान मालिक ने महिला की हत्या कर दी। मेरी मांग है कि महिलाओं के होस्टेल के लिये आवंटन घटाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहिये था ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

उपाध्यक्ष जी, हमारी बहिन सुमित्रा जी ने जो कहा ,उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रताड़ित महिलाओं के लिये 53 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिये। उनकी जो भी सहायता हो रही है, उनके लिये मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, मैं माननीया मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि जो भी योजनायें सरकार द्वारा महिलाओं के लिये चलाई जा रही हैं, वे केवल कागजों पर न हों, वरना जमीन पर दिखाई दें ताकि महिलायें समाज में

सम्मान के साथ जी सकें। वे स्वस्थ रहें ताकि उनके स्वस्थ बच्चे हों। आज महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से कम से कम इतना मज़बूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि अपने बच्चों का पेट पालने के लिये, अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये उन्हें कोई गलत कदम उठाने के लिये विवश न होना पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Respected Deputy-Speaker, Sir, as per 2001 census, India has around 157.86 million of children constituting 15.42 per cent of the total population who are below the age group of six years.

15.59 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

Approximately, 40 per cent of the total Indian population is consisted of children who are below the age of 18 years.

16.00 hrs.

Sex ratio of children in the age group of below six years is 927 girls per thousand boys. Many of these children live in such social and economic environment which impede their mental and physical development.

In 1974, the Congress Government under the Prime Ministership of ever regarded Shrimati Indira Gandhi proclaimed a national policy on child declaring the child as a supremely important asset providing the required framework for assigning priority to different needs of the children. In 1975, ICDS was launched in 33 Blocks seeking to provide integrated package of services in a convergent manner for the holistic development of children. However, Government's endeavour in this regard has not been able to fulfil this desire due to

lack of infrastructure, poor quality of food particularly in remote villages, and to some extent the negative approach of parents in the urban areas.

Launched in 1974 August, ICDS in 33 Blocks now represents one of the world's largest programmes for the development of the early childhood. ICDS is the foremost symbol of India's commitment to our children; i.e. India's response to the challenge of providing pre-primary education to all children more hard and, breaking of the vicious circle of malnutrition, morbidity, mortality, and reduced learning capacity in the other hand.

India is the home to the largest child population. This is not because as they are most valunerable but because they are our supreme asset. Development of children should be the first priority of country's developmental agenda. India would be secured in future if the child born is safe, live, healthy. In the 2009-10 all-inclusive Budget for growth and development, hon. Finance Minister has proposed to allocate Rs.500 crore for self-help groups for empowerment of women. It is commendable. But empowerment of women is not at all possible unless the female illiteracy rate is reduced. According to data available to me which is published by the UNESCO, India's position when it comes to female literacy rate is not so good. But there is a point to note with pleasure that female literacy rate has increased from 8.86 per cent in 1951 to the present level of 50 per cent.

Many factors have been responsible for the poor rate of female literacy in the country. They are: (1) gender based inequality, (2) social discrimination, (3) economic exploitation, (4) low enrolment of girl children in the school, (5) working of girl child for domestic purposes, (6) low retention rate, and (7) high drop out rate. Many of these factors have been identified and measures have been taken for increasing female literacy in the country. Though provisional educational opportunities for women has been an important part of our national endeavour. But this endeavour has not yield the desired result due to gender disparity persisting with uncompromising tenacity in the country, particularly in the rural areas. So, our mission should be to mitigate this gender disparity.

The principle of gender equality has been cherished in the Constitution of India in the chapters of Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy. The Constitution of India not only grants equality to women but also allows positive discrimination towards women. Unfortunately, this is not the practiced in anywhere in India. A holistic approach to the nutrition of women, which include both nutrition and health service, is much needed. If we are not able to stop child marriage, could not ensure the reproductive rights of the women, we will not be able to stop the health hazards. Lack of nutrition invites infection, diseases, malnutrition and anaemia. Deficiency of other micro-nutrients continue to be a cause of great concern. The nutritional needs of women must be paid due attention because of the critical link between the women's health and the health of an infant and children.

Sir, it is a matter of shame that in our country female foeticide still occurs in the twenty-first century. It is a matter of regret that women are being tortured for giving birth to a girl child. It is a matter of distress that the women still can not decide to have the choice when to have the child and how many child she should have. I think Indian Govt. alone cannot solve this problem. We all, beyond the party line, should come forward to solve this problem so as to make India strong.

Sir, I would like to conclude by speed with a few words of Swami Vivekanand. "Educate your women first and let them leave them to line themselves. Then they will tell you what reform is necessary for them. Our rights of interference are limited entirely to giving education. Women must be put in a position so that they can solve their own problems in their own way. Indian woman is as capable of doing it as any woman in the world". I support the Budget.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Chairman, Sir, I rise to speak on one of the most important topics of our country that is women and child welfare. I express my sincere thanks for giving me an opportunity to speak on this challenging topic of the recent times for which a broad discussion is quite essential.

At this juncture, it is my duty to acknowledge the outstanding achievements of the Government of Tamil Nadu under the Leadership of Thamizhina Thalaivar Dr. Kalaignar in the areas of women & child welfare. I may say that the Government of India can take Tamil Nadu State as a role model for planning and implementing schemes for women and children. Tamil Nadu is a fore-runner in giving 33 per cent reservation to women in the Panchayats, which is first in India. Tamil Nadu Government is also giving 30 per cent reservation to women in Government jobs and all the primary school teachers are women in Tamil Nadu. Hence, we are second to none in insisting that the Women's Reservation Bill, which proposes to give 33 per cent reservation to women in Parliament and State Legislatures, should be passed in this House at the earliest.

I would like to appreciate the Budget provisions for the empowerment of weaker sections. Especially, I would like to appreciate the target of enrolling at least 50 per cent of our rural women as Members of Self Help Groups over the next five years.

Also I would like to appreciate the hon. Prime Minister for clearing the much awaited Integrated Child Protection Scheme and for granting huge amount of money for higher education. I rise to state that the Government should associate the Non-Governmental

Organizations in the Integrated Child Protection Scheme, so that the Scheme will be effectively implemented.

Sir, I would like to present the national women and child development scenario and my proposals under the following topics based on their living environment, as each group has different needs - tribal women and children, rural illiterate women and children and urban women and children living in slums.

We are very much aware of the pathetic conditions of the Tribal Women and Children and it is our duty to give a sympathetic consideration to their needs. I like to suggest the following recommendations in this regard.

1. The major cause for diseases in the tribal pocket is malnutrition. The reason for malnutrition is landlessness. The tribals are the owners of their lands, but they are exploited by the outsiders, especially, rich landlords and most of the tribal population is suffering. The most affected people are poor tribal women and children. So, I would request the Government to pass very strict laws regarding tribal land exploitation. I take this opportunity to state that the people, who are involving in the crime of tribal land exploitation should not be allowed to contest the elections.

2. The Non-Governmental Organisations, which are really sincere in working for the under-privileged women and children should be encouraged and supported. In this context, let me state that the real NGOs whether it is small or big should be identified. In my opinion, small NGOs are more effective than larger ones.

3. A National Commission for Non-Governmental Organisations can be established as a statutory body with social workers and social scientists as its Chairman and members and it can be empowered to identify, network and standardize Non-Governmental Organisations. This Commission can have a special focus on tribal women and children supporting Non-Governmental Organizations.

Sir, let me point out the problems of other underprivileged rural women and children. I am happy and I congratulate the Government for its initiatives in the development of Self-Help Groups. Let me present the following recommendation in this regard.

Rural Health Mission is a major initiative of our Government and it is our duty to bring the benefits of Rural Health Mission to reach its beneficiaries. For this purpose, before selecting a medical or para-medical professional for this noble task, "Attitude Test on Commitment" should be done by learned professionals in this area. Reference checks with NGOs also can be done. Also, strict laws can be enacted against the medical or para-Medical professionals who are failing in their duty.

Thirdly, urban women and children living in slums are again a neglected community to be considered on par with the rural women. I request the privileges of Rural Health Mission to be extended to the urban women and children living in slums.

Also I rise to state that the various schemes implemented by the Government of Tamil Nadu for the welfare of women and children is to be taken as a model scheme by the Government of India and can also be implemented throughout the country for the welfare of women and children.

The Government of Tamil Nadu is implementing a number schemes for the marriage of women in poor families, widow's daughters, destitute orphan women and widow re-marriage. Tailoring machines are given to widows, physically handicapped and destitute women. Also, widows' children are given free notebooks for their school education. Under women-children protection scheme, parents with girl-child are supported, under certain guidelines. Child Homes are functioning in different parts of the State for the welfare of small children who are in need. Government supported homes are functioning at different places for the welfare of poor and destitute women. Pregnant women are also given monetary support based on their need. Vaccination schemes are implemented specially for young women and children.

Mr. Chairman, Sir, I request the Government of India to follow the model of Government of Tamil Nadu for the welfare of Women and Children. Also, I would like to request the Government for implementation of the yellow fever vaccination scheme for pregnant women and the Government should also take immediate initiatives to provide medicines high in iron content and other need based medicines for all the pregnant women of the country.

Let us together build a healthy Nation with healthy women and healthy children.

Mr. Chairman, Sir, while appreciating the Indian Government for its various schemes to cater to all the citizens of India irrespective of their caste, creed, gender, age and geographical origin, I would like to mention that children, who are often referred as the leaders of tomorrow, should be given due care by the Government through various means and measures. I am sorry to state the pathetic condition of tribal and illiterate children in our country even after six decades of Independence.

I have confidence in our present Government that it will take proper initiatives and draw up action plans to cater to the needs of the poor and downtrodden women and children.

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम लोग जानते हैं कि महिलाएं संसार में सारे काम करती हैं, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं रखतीं। हम लोग देखते हैं कि भारत में 79.3 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनकी रोज की आमदनी बीस रुपए भी नहीं होती। महिलाएं ऑफिस में काम करती हैं, किचन में खाना बनाती हैं, लेकिन उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता है। महंगाई बढ़ रही है, चावल, दाल, आलू आदि सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। आज बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं, लेकिन उन्हें खाने को नहीं मिलता है। जब उसे पेट भर खाना ही नहीं मिलेगा तो उसकी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी और वह कैसे शिक्षित होगी?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि हमारा जो गांव है, जहां आईसीडीएस सेंटर है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि युनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, 17 लाख, आंगनवाड़ी सेंटर अगर होगा तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी, एससी, ओबीसी या जो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी देखते हैं, अभी जो दस लाख सेंटर्स हैं, उनके लिए अगर 17 लाख करेंगे तो उसमें बीस साल लग जाएंगे और फिर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर के लिए बढ़ाने का काम होना चाहिए। वहां जो महिलाएं काम करती हैं, जो सहायककर्मि हैं, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिलता है। उन्हें पांच हजार के करीब पैसा मिलना चाहिए। जो आशा स्कीम है, वहां भी बहुत सी महिलाएं काम करती हैं, उन्हें भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, उन्हें भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। हम चाहते हैं कि यह स्कीम रेगुलराइज हो, इस तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम जानते हैं कि जिसके पास पैसा है, उसे सब सुविधाएं मिलती हैं। अगर कॉलेज में किसी को डाक्टर बनना है, मेडिकल फैसिलिटी सब पैसे वालों को ही मिलती है। हमारी जो मांगें हैं, उन पर आप ध्यान दें। हम लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए। Food, shelter and clothing are the birth rights of people. But here I would like to ask the Government as to what we have done after 60 years of Independence for the street children.

सभापति महोदय, हाउस से एंटी चाइल्ड लेबर बिल पास हो गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड लेबर के रूप में बच्चे अभी भी सड़कों, दुकानों, मकानों और ढाबों में काम करते हैं। इस बिल के पारित होने के कारण उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है। इस बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, लेकिन अभी तक देश से चाइल्ड लेबर एबॉलिश नहीं हो सका है। हम लोग चाइल्ड लेबर को समाप्त कराने के पक्ष में हैं। बच्चों से काम नहीं लिया जाना चाहिए। अभी भी चाइल्ड लेबर काम कर रही है और उन्हें पैसा भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि चाइल्ड लेबर से काम नहीं कराया जा सके।

महोदय, महिला तो समाज की आधार हैं। डॉमैस्टिक वायलेंस में उसे न्याय नहीं मिलता है। जब वह थाने में केस दर्ज कराने जाती है, तो उसका केस थानेदार दर्ज नहीं करता है, क्योंकि उसके पति के घर वाले उससे पहले ही थाने पहुंच जाते हैं और थानेदार को दे-लेकर उसका मुंह बन्द कर देते हैं। इसलिए मैं जानती हूँ कि बहुत सी महिलाएं केस ही दर्ज नहीं करा पाती हैं। जब वे धारा 498(ए) में केस दर्ज कराने जाती हैं, तो उनका केस दर्ज नहीं होता, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका केस धारा 306 में दर्ज कर लिया जाता है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, हम सभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार को इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। हमारे यहां मेल और फीमेल में अभी भी बहुत डिफरेंस किया जाता है। हमारी सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वह इसे दूर करे। यदि इसी प्रकार से चलता रहा, तो आप देखेंगे कि वर्ष 2022 या 2025 में लड़कों से लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और तब किसी लड़के को शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी। ऐसी नौबत आ जाएगी। इसलिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, सदन में वित्त मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय मौजूद हैं। मैं दोनों से निवेदन करूंगी कि वे आई.सी.डी.एस. में थोड़ा धन और बढ़ाएं और उसमें सुधार लाएं। मेरा निवेदन है कि बी.पी.एल. तालिका में भी बहुत गड़बड़ी है और बहुत से लोग बी.पी.एल. तालिका में शामिल करने से रह गए हैं। अभी भी 57 परसेंट लोगों के पास बी.पी.एल. के कार्ड नहीं हैं। सरकार ने घोषित किया है कि जिन लोगों के पास बी.पी.एल. के कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी चावल मिलेगा। मेरा निवेदन है कि जिन्हें चावल नहीं मिल रहा है, उन्हें ऐसे कार्ड तुरन्त दिए जाने चाहिए, ताकि वे सस्ती दर पर चावल प्राप्त कर सकें।

महोदय, महिलाएं ही खाना पकाती हैं, वे ही बच्चों को संभालती हैं। उन्हीं के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी होती है। अगर महिला अच्छी तरह से रहेगी, तो उसका असर समाज पर पड़ेगा और जब समाज अच्छा होगा, तो देश भी अच्छा होगा। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बी.पी.एल. के कार्ड धारकों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, तो हमारा भारत भी स्वस्थ होगा। अभी माननीय सदस्या, डॉ. गिरिजा व्यास जी बोल रही थीं कि हमारे देश के बच्चे स्वस्थ होंगे, तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा।

महोदय, यहां कई प्रकार की बातें कही गईं, उनमें प्रमुख रूप से मैल-न्यूट्रीशन और शिक्षा में ड्रॉप-आउट रेट की बात कही गई। मुस्लिम, एस.सी. और एस.टी. लड़कियों का शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। वे लोग बहुत कम स्कूल जाती हैं। इसके लिए भी सरकार को बहुत सोचना चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए, ताकि ड्रॉप आउट रेट कम हो।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Mr. Chairman Sir, I am very much obliged that you have given me this opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Women and Child Development.

Sir, women play an important role in the society in building a healthy family as well as the nation. According to 2001 census, the female population is 49.6 crores and the population of children is 19 crores. Thus, the population of women and children comes to 67 per cent of the total population. The development of women and children is thus of paramount importance and sets the pace of the overall development of the country. But the budgetary provision for this Ministry is only Rs. 7428 crore. It is Rs. 509 crore more than the previous year's Budget. So, in my opinion, this amount will not be sufficient to address the problems of the 67 per cent of the population, that is women and children. So, I expect that the hon. Minister should look into it and enhance this Budget allocation.

The ICDS was launched in 1975 for holistic development of children below six years, for pregnant and lactating mothers of disadvantaged sections, for providing a package of integrated services, comprising supplementary nutrition, immunisation, health check-up, pre-school and non-formal education, nutrition, health, education, etc. But, I do not think that the results are up to our expectations.

I can cite the example of my constituency, Kandhamal. As you know, during the last two years, Kandhamal has become a very problematic area. I come from that area. In Kandhamal the Infant Mortality is 119 for 1,000 live births, in comparison to the national IMR average of 57. In Orissa the IMR is 65. So, you can imagine what is the magnitude of the poverty in Kandhamal. It is published in *The Hindu* of 26th October, 2008 that the poverty and food insecurity index is the maximum in Kandhamal among thirty districts of the State. It is the lowest in all the parameters of food security index. There, the food availability is the lowest, access to food is the lowest, food absorption is the lowest, the food security index is the lowest. On food security outcome, the index is the lowest. Therefore, it is a great concern for us.

I would request the hon. Minister to kindly pay a visit to Kandhamal and see the situation of the poor *adivasi* women and children, as to how they are living there. It is not the duty of only the State Government to manage the show, it is the duty also of our Union Government to rise to the occasion. It is because during the last two years the situation in Kandhamal is very precarious. There, most of the fields have not been harvested. The situation is very terrifying. Some people have lost their houses and the *adivasis* out of fear of arrest have fled to jungles. So, the paddy fields have not been harvested and cultivated. Therefore, it is our duty to please rise to the occasion and see that how we can save the people. The women *adivasis* have become helpless. The Self-Help Groups in those areas are not working. They do not have money. So, how to save them is a much bigger concern for us. It is the national responsibility to save the district. Therefore, I gave a Memorandum to the hon. Home Minister during his last visit to Kandhamal. There, I narrated all these things. I had requested him to kindly allot 25,000 more Antyodaya Cards to these people. Otherwise, the people will die of hunger.

Similarly, I have two more suggestions. The ICDS was launched in 1975 with a holistic approach for development of women and children. But I would like to say one thing about it. I am talking about Orissa and I do not know about other States. All these *anganwadi* centres do not have their own buildings. So, to store the foods stuffs, to impart peaceful schooling to the boys and girls and other things, there are no facilities. I expect that some budgetary provision is earmarked for the construction of buildings for *anganwadi* centres; otherwise, the Scheme cannot be implemented properly.

I would like to give my next suggestion and which is a very important suggestion. The Government of India's guideline is to have one *anganwadi* centre one for 500 people in plain areas and 200 in tribal areas. The Supreme Court also has given a verdict that the Government should try that the work of *anganwadis* reach every village. So, I would request the Government to change the guideline and all the villages should have the *anganwadi* centres, and in *adivasi* tribal pockets, all hamlets should have *anganwadi* centres or the feeding centre.

Sir, with these few words, I conclude my speech.

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौर (शिरडी): माननीय सभापति महोदय, जो आईसीडीएस प्रोग्राम है, यह देश के लिए बहुत इंपार्टेंट प्रोग्राम है, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उसमें अनंत त्रुटियां हैं, जैसे जो आंगनबाड़ी वर्कर है या जिसको आंगनबाड़ी सेविका कहा जाता है,

उसको जो मानधन दिया जाता है, वह बहुत कम है। महाराष्ट्र में उसे 1,800 रूपए दिया जाता है। वह सुबह से शाम तक काम करती है, उसके काम का मूल्यांकन किया जाए। उसे जन्म से मृत्यु तक का रिकार्ड रखना पड़ता है, लेकिन उसे पार्ट-टाइम समझा जाता है और पार्ट-टाइम समझने के कारण गवर्नमेंट उसे पार्ट-टाइम का मानधन देती है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि पार्ट-टाइम न समझकर उनको फुल टाइम मानकर, गवर्नमेंट की तृतीय श्रेणी कर्मचारी में अंतर्भाव किया जाए, जिससे वे अच्छी तरह से काम करें। इससे उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है, वह बंद हो जाएगा। मानधन के कारण आफ्टर रिटायरमेंट उनके लिए कोई पेंशन या दूसरी सुविधा नहीं है, जैसे आफ्टर 60 ईयर, अनेक महिलाएं जो आंगनबाड़ी वर्कर के पद से रिटायर हो गयीं, पैसा न होने के कारण आज वे अत्यंत दयनीय अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। मेरी प्रार्थना है कि आंगनबाड़ी वर्कर को गवर्नमेंट इंप्लॉई की तरह ट्रीट किया जाए, जिससे उसका कार्यक्रम रेग्युलेट करने में अच्छी तरह से सहयोग मिलेगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो पोषण-आहार दिया जाता है, महाराष्ट्र में महिला बचत गट के माध्यम से दिया जाता है। पेपर में महिला बचत गट के माध्यम से दिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ठेकेदार के माध्यम से दिया जाता है। उनको जो यूनिट्स मिलनी चाहिए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जो खाद्य पदार्थ मिलना चाहिए, वह प्रमाण के साथ नहीं मिल पाता है। ठेकेदार वहां अपनी मनमानी कर आहार का किराँठा करता है। जो प्रैक्टिकल और कागज में लिखे हुए नियम हैं, वे निश्चित रूप से गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार ही होने चाहिए।

महोदय, आंगनबाड़ी कर्मचारी का जो वेतन है, महाराष्ट्र में अभी भी 3-4 महीने तक उनको वेतन नहीं मिलता है। इसका कारण है कि जो धनराशि महाराष्ट्र में दी जाती है, वह धनराशि दूसरे कार्यक्रम के उपयोग में लायी जाती है। उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है और वह भी समय पर नहीं दिया जाता है, तीन-तीन महीने देर से दिया जाता है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ उपाय करना चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मचारी की जो नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जाती है, उसकी जो कमेटी है, उसके चेयरमैन स्थानीय एमएलए होते हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए उस कमेटी का चेयरमैन स्थानीय सांसद होना चाहिए, जिससे एक्वाइंटमेंट वगैरह में सांसद का सहयोग मिल सके। हमें कोई एतराज नहीं है कि वहां का एमएलए कमेटी का सदस्य हो।

आंगनवाड़ी का स्टॉफ जैसे सुपरवाइजर, सीडीपी, जिसे बाल विकास प्रकल्प कहा जाता है, ऐसे लोगों को आंगनवाड़ी में लिया जाये। यदि उनकी भर्ती, प्रमोशन आदि पर ध्यान दिया जायेगा, तो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में सुविधा होगी। आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर का परसेंटेज 20-30 है, जिसे बढ़ाकर 60-70 परसेंट किया जाये। सुपरवाइजर से सीडीपीओ की प्रमोशन को 50 प्रतिशत से अधिक किया जाये। ऐसा करने से स्कीम अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो सकेगी और स्कीम चलाने वाले लोग भी अनुभवी मिलेंगे।

महिलाओं के संगठनों के लिए ग्राम में महिला भवन होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने विचारों के आदान-प्रदान में सुविधा होगी। अभी कई माननीय सदस्यों ने बताया कि अभी भी कई ट्राइबल एरियाज में आंगनवाड़ी वर्कर्स धूप-छांव यानी खुले आकाश में बैठकर कार्य करते हैं। उनके लिए इमारत की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप इस कार्य को टॉप प्रायोरिटी में रखिए। वहां छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जिनके लिए निश्चित रूप से इमारत की सुविधा होनी चाहिए।

गांवों में वृद्ध महिलाओं को काफी मदद की जरूरत होती है, जबकि आपकी हर योजना बीपीएल कार्ड से जोड़ी जाती है। जिसके पास बीपीएल कार्ड है, उसे घर मिलेगा, पेंशन मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बीपीएल के मापदंड बहुत गलत हैं, जिसकी चर्चा इस सदन में बहुत बार हो चुकी है। ...(व्यवधान) मेरा सुझाव है कि ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए गांव की ग्राम सभा को अधिकार दिया जाये जिससे वे उनके घर और पेंशन योजनाओं को देख सकें। ...(व्यवधान)

महिला बचत योजना का स्वरूप बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पोलिटिकल रूप से यूज किया जाता है। चाहे कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसका यूज पोलिटिकली किया जाता है। हमारी मांग है कि उनके गुप्स के लिए कोई निश्चित योजना हो, जिसके अन्तर्गत उनको बिजनेस आदि के माध्यम से सबलता प्राप्त हो। वे गुप्स खाली कागज पर दिखते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस या धंधा आदि नहीं करते हैं। उनको इसके लिए जो लोन दिया है, उसे भी माफ किया जाये। ...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। समय कम होने की वजह से अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूँ।

* मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल कल्याण के अन्तर्गत आंगन बाड़ी का जो आईसीडीएस का जो कार्यक्रम है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम में भावी पीढ़ी का निर्माण किया जाता है । इसके अन्तर्गत बच्चा पैदा होने के पहले एवं बाद में सब देखभाल इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है लेकिन यह आंगनबाड़ी जो महिलाएं चलाती हैं, इनकी हालत अत्यन्त दयनीय है क्योंकि जो राशि इन्हें प्रतिमाह प्रदान की जाती है वह केवल मात्र 1800 रूपए है जो कि बिल्कुल नगण्य है । सरकार इसे पार्ट टाइम काम समझती है जबकि जन्म से मृत्यु तक बच्चे से लेकर बड़े होने तक वह पूरा रिकार्ड रखती है जो कि पूरे दिन का कार्य है । इन्हें तृतीय श्रेणी का कर्मचारी घोषित

करके सरकार उन्हें आर्थिक दृष्टि से सबल बनाए एवं पेंशन की भी व्यवस्था की जाए क्योंकि बुढ़ापे में उनकी दशा बहुत ही शोचनीय हो जाती है । आज बहुत सी महिलाएं 60 साल के बाद पीड़ित अवस्था में जीवन व्यतीत कर रही हैं ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पोषण आहार बच्चों के लिए दिया जाता है, वह वास्तविक और नियमानुसार नहीं मिल पाता क्योंकि ठेकेदार जो नियुक्ति करते हैं तथा जो आहार उपलब्ध करवाया जाता है उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता बिल्कुल भी मानदंडों के अनुसार नहीं है ।

â€| This part of the Speech was laid on the Table

आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनका वेतन भी तीन-तीन चार-चार माह के बाद दिया जाता है जिससे उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । मान्यवर, मैं महाराष्ट्र राज्य से चुन कर आया हूं मेरे राज्य में जो धनराशि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है वह अन्य योजनाओं में खर्च कर दी जाती है । जिससे यह कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में बुरी तरह पिछड़ रहा है ।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा की जाती है जिसका चेयरमैन एम.एल.ए. होता है, जबकि यह योजना केन्द्र सरकार की है और इसके लिए धनराशि भी केन्द्र द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है , इसीलिए इस कमेटी का चेयरमैन स्थानीय सांसद होना चाहिए, बेशक एम0एल0ए0 इस कमेटी में सदस्य नामित किया जाए, ऐसी मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है ।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के जो सुपरवाइजर हैं उनको पांचवे वेतन आयोग में जो वेतन दिया गया था उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थीं जिनको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में दुरुस्त किया जाए ।

जो बाल विकास अधिकारी की प्रमोशन का मानदंड है, उसका 60औं कोटा महिलाओं को दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके अनुभव का लाभ उन्हें समुचित मात्रा में मिल के जिससे कार्य में उनकी दक्षता में सुधार आए । इसी तरह जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का प्रमोशन 75औं मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इत्यादि उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर प्रमोशन दिया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार महिलाओं के संगठनों के लिए ग्राम ग्राम में महिला भवन होना चाहिए जिनके माध्यम से महिलाएं अपने विचारों और नीतियों का आदान-प्रदान सुगमता से कर सकें तथा उन भवनों के निर्माणार्थ राशि केन्द्र सरकार से उपलब्ध कराई जाए ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन कई ग्रामों में नहीं हैं और वह खुले आकाश के नीचे बरसात, धूप इत्यादि में परेशानी में चल रहे हैं। मेरी मांग है कि सभी जगहों पर एक बहुआयामी केन्द्र की स्थापना की जाए जिससे टीकाकरण, भोजन, खेलकूद इत्यादि की व्यवस्था एक ही केन्द्र से संचालित हो ऐसा एक माडल तैयार कर पूरे देश में लागू किया जाए।

गांवों में कई परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनमें गर्भवती स्त्रियों को उचित आहार और टीकाकरण होता है उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती जिसके कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं वह जन्मजात ही कुपोषण का शिकार होते हैं और अधिकतर आहार एवं स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर न मिल पाने के कारण समय से पूर्व ही मर जाते हैं तथा जो बचते हैं वे सारी उम्र अपंग तथा कुपोषित होकर परिवार पर और देश पर बोझ बने रहते हैं।

इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एक कार्यक्रम आवश्यक कार्यक्रम बने जिसमें ज्यादा राशि देकर सबल बनाए जाए और आरोग्य, भोजन तथा अन्य सभी सुविधाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। दत्तक योजना के तहत इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ही ले ऐसा कार्यक्रम बनना चाहिए।

महिला बचत योजना का जो कार्यक्रम है वह केवल कागज पर ही है वास्तविकता में नहीं है। महिलाओं का इस्तेमाल केवल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है जबकि यह योजना ऐसी बननी चाहिए जिससे कि महिलाओं को काम मिलने के बाद पैसा मिले। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं हो पा रहा है और महिला बचत योजना पूर्ण रूप से फेल हो गई है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और महिलाओं को जितना भी लोन दिया है वह माफ किया जाना चाहिए क्योंकि लोन चुकाने की स्थिति में अधिकतर महिलाएं नहीं हैं और लोन न चुका पाने के कारण कई स्थानों पर उनका शोषण किया जा रहा है।

गांवों में कुछ वृद्ध महिलाएं हैं जो कि वृद्ध होने के पश्चात कुछ तकनीकी कारणों द्वारा बीपीएल योजना से बाहर हो जाती हैं या जिन्हें इस योजना से वंचित कर दिया जाता है, ऐसे में उनकी देखभाल समुचित रूप से नहीं हो पाती है, ऐसी महिलाओं को चयनित करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए क्योंकि ग्राम सभा भी एक सशक्त माध्यम है तथा ग्राम सभाओं को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिसके द्वारा वृद्ध महिलाओं के लिए और अच्छे कार्यक्रम बनाएं जा सकें, ऐसी मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार ऐसे कार्यक्रम बनाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उक्त सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में कार्यक्रम तैयार कर धनराशि उपलब्ध कराए। *

*SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to participate in this discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Women and Child Development.

Women and children put together constitute 75 per cent of our total population. But still the budgetary allocation for them has been further scaled down by Rs. 343 crore. This is quite disheartening. Hence I urge upon the Union Finance Minister to allocate more funds for this Ministry.

Our leader and General Secretary of our party All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam is a lady. Our Union Minister of Railways and the leader of Trinamool Congress is also a lady. The leader of Bahujan Samaj Party is a lady. The leader of the Congress Party is again a lady. The Presiding Officer of this august House, the Speaker, is a lady. The country's President is a lady. This gives a sort of relief that at least some women leaders could occupy certain positions in public life. But at the same time, I would like to point out that the lot of women in this country is still a matter of concern to us as it remains a pitiable one and this state of affairs needs to be changed still because economic and social freedom is still eluding them.

I would like to point at the place of women in the Indian society. The first stage of a woman commences from her birth. Till her marriage she is under the care of her parents and is entirely dependent on them. When she enters the second stage of her life after her wedding, after being given away in marriage, she is with her husband as long as her body can cooperate with her to work in raising a home there. She is forced to move to the third stage of her life in her old age left in the care of the family heirs under their care entirely depending on them. There is also

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

a fourth stage for those who do not have anyone to take care of them in their old age and their condition remains pathetic. That is why women must get opportunity in education and jobs. When the condition of women remains to be so, we are talking about women development and their independence to lead a life without having to depend on others.

Women can be empowered. So there is a need to provide for 33 per cent reservation in Parliament and State Legislatures. I would like to emphasize the need to go in for this legislation and I reiterate this on behalf of our party AIADMK and our leader and General Secretary, the former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi (Revolutionary Leader) Amma.

To improve the lot of women, several welfare measures that were revolutionary in nature were evolved and brought about by our leader Puratchi Thalaivi Amma J. Jayalalitha when she was the Chief Minister of Tamil Nadu. The foremost among such laudable measures

as acclaimed by one and all remains to be Cradle Baby Scheme. This was her reply to the social evil female infanticide resorted to either by mother herself or by any of the family members. Instead of being done away with, girl children could be handed over to the Government. They can even be left in the cradle kept in Government offices specifically for the purpose of collecting babies sought to be abandoned so. That great scheme was widely appreciated and the world renowned social worker and the poor's saint Mother Teresa came to our leader's house to congratulate her for this noble measure.

A woman cannot easily narrate or complain about the atrocities inflicted on her to a man. But she can come out and speak out without any inhibition to another woman about any injustice meted out to her. That is why our leader, when she was the Chief Minister of Tamil Nadu, Amma, had established All Women Police Stations setting up one station for every police district. Due to this women could get redressal and justice as they were able to talk openly about their problems to women police officers in All Women Police Stations. This was a significant achievement.

Much more than that, our leader introduced a measure that was significant in its own way for raising the status of women in the society. I hope the women Members of this august House would be appreciative of that move by our leader to give the right to children to have the mother's name too as their initial. It is only a mother who is fully responsible for the growth of her child whom she had borne in her womb for 10 months. A mother is responsible for the child till it can walk and handle things in life by itself. But a mother's name could not be given as the initial of a child. Only a father can give his name as the initial to his child. Our leader, as the Chief Minister of Tamil Nadu, brought about a revolutionary change and legislated to see that a mother's name can also be the initial of her child.

Our leader took the initiative to establish Women Self Help Groups so that they can get awareness about their rights and place in the society and get social and economic advancement. Women were encouraged to go in for small savings and were helped to get Government's assistance in the form of Rotation Fund to start some manufacturing activity for which liberal loans from banks were also arranged. SHGs were helped to start their own small scale industrial units so that the women members can earn and get economic freedom.

Our leader also promoted education for children especially girl children. All children from Class 1 to 12 were provided with text books free of cost. Bicycles were distributed free of cost to Plus Two students. During her tenure, our leader made arrangements to provide noon meals in high-revenue-earning temples for the benefit of destitute aged people and children.

The dowry evil continues to remain a very big social evil coming in the way of the lives of many of our women. We have anti-dowry laws in place, but still the society is not free from it as yet. It is saddening us. We find so many premature deaths of young women both as killings and suicidal deaths. To put an end to this, mere legislation is not enough. The mindset of the society must change. An awareness against the evil dowry must be spread. All the citizens of the country must work for its eradication, rising above all differences. Political parties, voluntary organizations and social activists must take up a big campaign to bring about a change of heart in those who perpetrate this evil. The Government must come forward to encourage such anti-dowry campaigns.

The next among the social evil that affects girl children is child marriage. Children at the age of 10, 12 and 15 years are married even at a time when legally permissible age is 18. This leads to many problems, especially death during pregnancy and delivery. In order to save young girls, this social practice must be curbed.

Pre-natal and post-natal care must be given enough priority to save women and children. Child birth and delivery, if not attended by trained medical personnel, it leads to so many complications affecting the health of both the mother and child. Even today, deliveries take place in houses instead of rushing such pregnant women nursing homes nearby. Awareness must be created in the minds of the people about the danger involved in the delayed delivery resulting in insufficient oxygen supply to the child's brain can lead to deformity. It is saddening to note that infant mortality is at its height in India. It is reported that about 2 crore children below the age of 5 die every year. Enough number of doctors and health care staff must be appointed in hospitals, Primary Health Centres and Maternity Homes all over the country to help save our women population and also the future generation.

We call the language we have learnt from our mothers as mother tongue. We call our country motherland. We call this earth as mother earth (Boomadevi). We consider our rivers as mothers and name them after women. We commence our speech saying 'Ladies and Gentlemen', but still the question lingers as to when our women would be really liberated and emancipated.

*Women and children are forced to leave their jobs and educational institutions because of sexual harassment in work places and educational institutions. Stringent measures must be in place to stem this rot and help women to live in a secured fashion.

Stringent laws are in place against child labour, but still it has been found out that about 1.12 crore children are still losing their childhood as child labour. This figure is available from the 1991 Census. But ILO statistics point out that 2.32 crore children are exploited as child labour in our country. Special efforts and measures should be there to identify these children and give them back their childhood along with special education and the Government must come forward to meet their needs till they are provided with education to come up in life.

Working women, finding themselves away from home, in towns and cities are facing the problem of getting accommodation. The Government must come forward to establish more women hostels involving voluntary organizations and even private bodies to ease this problem.

The male domination in the society comes in the way of women's development. Hence, we must work for equal rights to women which will lead to the development of both women and children. With this, we can find prosperity and growth both in our country and in our respective homes. The Government must gear up to contribute its mite evolving constructive measures and schemes to really benefit the women and children of our country who are both the future and the repository of our future. For this, enough funds must be allocated by the Government apart from evolving plans and strategies. Impressing upon the need to build a healthy nation with the development of women and children, I conclude.*

*DR. N. SIVAPRASAD (CHITTOOR) : Hon'ble Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on behalf of Telugu Desam Party, which is pro-women. Sir, 50% of our population consists of women. Are we making use of intelligence and skills of our women? 'NO' is the answer. Our constitution has provided for equal rights to both men and women. Even then, why women are lagging behind? Our cultural background is one reason and social discrimination is another. Also, there is no political motivation to provide equality to women. This is how the rights of women are being suppressed. In our country, woman is regarded as 'Origin of Power'. It is also said that "Where women are worshipped, there Goddesses live". Our country was known for matriarchal system, which is not to be seen anywhere. Patriarchal system replaced it and is firmly rooted. This system suppressed women and their rights. I feel sad to mention here that even after a woman Prime Minister headed our country, the conditions of our women did not improve. In such a scenario, late Shri N.T.Rama Rao, who founded Telugu Desam Party, started giving importance of the issues of women. Houses, plots and loans were given to the women. Also, reservations for women were provided in Government offices, departments and in local bodies. Telugu Desam Party had taken many initiatives to empower women. By forming Self Help Groups (SHG), lakhs of women could be empowered. By providing crores of rupees as corpus fund, women could be empowered financially. Thus, enabling women share same platform with men and this credit goes to Telugu Desam Party.

If we look at this august House, Speaker is a woman. A woman is running this Government. We have many successful Ministers, who are woman. We have

many talented woman members in the opposition party, who sit in front rows. But, what is the ground reality? We are still facing many hurdles in providing 33% of reservation for women. This Government promised 33% of reservation for

women in 100 days after coming to power. But if we look at the meagre allocation of budget for women and child welfare, it speaks for this Government's commitment.

For 2008-2009, the budgetary allocation for this Ministry was Rs.7,200 crores, which was revised to Rs.6,550 crores. For 2009-10, the allocation has been enhanced by only Rs.300 crores and only Rs.7,300 crores has been allocated for women and children, who can determine the destiny of our country. Today, we have 6,284 ICDS projects. We have 9,40,00,000 Anganwadi centres. The conditions of these Anganwadi workers are pathetic and they receive very meagre wages. We want their contribution in shaping our future. And to ensure this, we should give adequate allocations for the salaries of these Anganwadi workers.

There are around 22 lakh women Self Help Groups, which should be linked with banks. The corpus fund of 'Mahila Rashtriya Kosh' may be enhanced to Rs.500 crores from Rs.100 crores. Female literacy plays a vital role in the progress of our country. If a man is educated, that education is confined to that individual only. But if a woman is educated, a family is educated, a village is educated and a state is educated. For our country's progress, female literacy is very important. Children upto the age of 6 years should be protected and taken care of. The Ministry should provide nutrition and education for these children. The Government should provide nursing care for pregnant women and lactating mothers. Adolescent girls should be protected through Anganwadi centres. Working women's hostels should be set up. There is a Support to Training and Empowerment Programme (STEP). There is a need to impart training to women in agriculture, fisheries, animal husbandry, diary, handlooms and handcrafts. We should also bring awareness among rural women and empower them, so that they can come together to solve their problems. Also, mentally retarded women, widows and destitute should be protected and taken care of. With these words, I conclude and thank you for giving me this opportunity.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Chairman, Sir. At the very outset, I must thank the Chair for choosing this subject, namely, the Demands for Grants on the Ministry of Women and Child Development. I think, this is the first time, so far as my Parliamentary tenure is concerned, that I am participating in this discussion. I think, hon. Madam Speaker has chosen the subject. This is the first time and so, I must congratulate her and compliment the Chair.

So far as this discussion is concerned, hon. Madam Sumitra Mahajan, Dr. Girija Vyas, and other hon. Members have very clearly narrated the picture so far as the condition of women and children of our country is concerned.

I am not going into that. I would only just take the privilege to refer to what is said about the women community in *Manu Samhita* – woman is not independent. It says:

पिता रक्षति कौमार्यं, भर्ता रक्षति यौवनः

वार्धक्य रक्षति पुत्रः ना स्त्री स्वतंत्र महति

So, till today this situation persists. I do not know when this situation will be overcome.

Now, I come to the Demand for Grant under the control of the Ministry of Women and Child Development.

So far as the schemes for women's welfare under the Ministry of Women and Child Development is concerned, it is observed that it has registered a staggering decline of 42 per cent, from Rs. 427 crore in 2008-09 Budget Estimate to Rs. 246 crore in 2009-10 Budget Estimate. When compared to the figure of 2008-09 Revised Estimate, the increase is insignificant; it is only three per cent increase in nominal terms but in real terms if we take into account the present price rise, then it is not an increase but it is only a decline.

The allocation for the schemes such as Swayam Siddha, Scheme for Leadership Development of Minority Women, Hostels of Working Women, Scheme for Combating Trafficking have recorded an outstanding decline in absolute numbers.

In the Union Budget, the hon. Finance Minister, respected Shri Pranab Mukherjee announced that the corpus of the Rashtriya Mahila Kosh would be increased from Rs. 100 crore to Rs. 500 crore over the next few years but the allocation for this sector has declined from Rs. 32 crore to Rs. 20 crore.

Sir, the allocation for the National Scheme for Incentive to Girls for Secondary Education has gone down. There are other anomalies. Indira Awas Yojana and Rashtriya Gram Swaraj Yojana, all these items have been put under Part-I and Part 'B'. These are not exclusively for the development of women but all these things have been put under Part I and Part 'B' of the Gender Budgeting statement. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, I am only mentioning the points, and I am not making a speech. Some important points are there. Please allow me to speak for two more minutes. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: You may conclude your speech by making one more point.

SHRI PRABODH PANDA : Several schemes under the Ministry of Youth Affairs and Sports such as Nehru Yuva Kendra, National Service Scheme, the Scheme of Scouting and Guiding have been put under Part 'B'.

Sir, the new scheme, Conditional Maternity Benefit Scheme aimed at providing cash directly to pregnant and lactating women has been started with a meager amount of Rs. 3.6 crore only.

The much-hyped National Mission for Empowerment of Women also finds a mention in the Budget document but there is only a token outlay, only Rs. 1 crore.

The promises made in the 11th Five Year Plan need to be implemented. Most promises made in the Plan are yet to see the light of day. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You have been given enough time.

Now, Shrimati Paramjit Kaur Gulshan.

SHRI PRABODH PANDA : Please allow me to make only two more points. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: If you want, you can lay the rest of your speech on the Table of the House.

SHRI PRABODH PANDA : Okay, Sir. I will lay the rest of my speech on the Table.

*Other institutional mechanisms that have been created like the National Women Commission and State Women's Commissions need to be strengthened and given more teeth and National Commission for Women Act needs to be amended.

Child

Sir, the total allocation for all child specific scheme had registered a welcome rise from 2.2 (03-04) to 4.93% in (07-08) But it has shown decline in last two budgets.

(2) The new intervention for children proposed mainly to child education while the other three sectors viz., Child health, Child developments and child protection have not been paid much attention.

(3) The allocation for schemes addressing the problems of child labourers (NCLP) has been reduced from 156 crore in 2008-09 (BE) to only 90 crore in (2009-10 BE).

(4) ICDS – Finance Minister announces that by March 2012 – it would be extended with quality to every child under the age of six so visible measures have to be taken. However, the allocation for SSA-MDM remained the same.*

*SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT): Mr. Chairman Sir, thank you, I am associating with my sister Sumitra Mahajan who has spoken in detail on the Budget. I thank the department which has after long time brought this issue before the house. I also regret that today despite being the day for an important issue to be raised about women, but due to the less time given discrimination has been done against women.

Guru Nanak Dev ji had put women on a very high pedestal, he had said "why blame that person who has given birth to kings". A woman is a mother and is the developer of the society. It is said, but I do not know whether men would reconcile with this fact that "after every successful man behind there is a woman".

It is not a big development that after 62 years, 59 women members have been elected in the house. In parliament what ever may we boast about but in the outside world the condition of women, especially dalit women is very pitiful.

The woman who is being called 'Devi'; to feed itself and her children have to become prostitutes, there number is ever increasing.

Woman's honour isn't secure. Whether she is going somewhere, working in farms, in job, even a woman who is mentally retarded and living in Nari Niketan is not spared. Girl child's childhood is not safe.

Dowry seekers are burning women alive. This is the reason that parents are reluctant to have a girl child. Female foeticide is increasing in the country.

Why is this happening though new laws are being made in the country. Our responsibility does not end by making the laws, until these laws are strictly implemented and the woman does not get a high status in the society and feels secure.

A woman has to be politically strengthened. We are watching that for the last 5 years a discussion is going on in the House that 33% reservation would be given to women, but no thorough discussion has taken place.

In work the right of woman has to be given to them. The woman should be made literate if she has to be strengthened. Because woman would not be strengthened until they have knowledge of their rights.

It is said that "if one male is made literate he would improve a generation, but if a woman is made literate she improves two generations".

Health facilities should be given to women. Lots of women i.e. lakhs, and crores are dying because their is dearth of health facilities for women, lack of lady doctors. The women are reluctant to approach male doctors for deliveries due to embarrassment. So they go to untrained female quacks in villages leading to their death. Until we provide health facilities to women they would not be strengthened.

On woman old age is a big curse. The son on whose birth we celebrate, he turns away the woman out of her house when she gets old. We have to think seriously about women in their old age. Widows are in a bad position after the death of their husband. She is also at

risk to be turned out of her house by her children. So the pension given to widows, which is currently not enough, should be increased as per inflation.

Until a woman becomes strong physically, mentally, politically and economically than our country and woman would not be strong.

When a woman becomes a strong than our children's difficulties would be automatically solved.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, एक मशहूर अंग्रेज लेखक ने सिल्विफिस जेंट के संबंध में लेख लिखा कि एक सिल्विफिस जेंट था। उसके पास बड़ा भारी बगीचा था। उसमें छोटे-छोटे बच्चे खेलते थे, उसमें वसंत आता था, फूल खिलते थे, चिड़िया चहचहाती थीं। एक दिन उस सम्पूर्ण बगीचे को उसने चारदीवारी से घिरवा दिया। लेकिन उसके बाद बच्चों का उसमें जाना बंद हो गया, वसंत भी उसमें नहीं आया, फूल मुरझा गये, चिड़ियां भी उसमें नहीं चहचहाती थीं। वह दुखी होकर तीर्थ के लिए चला गया। बाद में कुछ वर्ष बाद जब वह दुखी हो गया और उसकी चारदीवारी भी टूट गई तो फिर छोटे बच्चे उसमें जाने लगे। उसी दौरान लौटकर आया और देखा कि फिर उस बगीचे में चिड़ियां चहचहा रही हैं, वसंत भी आ गया है और फूल खिल गये हैं। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह बच्चों की ओर दौड़ा। जो बच्चे सयाने थे, वे तो भाग गये लेकिन एक छोटा बच्चा रह गया और दूर से देखा कि उस छोटे बच्चे को वह राक्षस क्या करता है? उसने उसे कंधे पर उठाया और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। उस समय लेखक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि The children are the representatives of God's kingdom. बच्चे भगवान के किंगडम के सदस्य होते हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने शायद यही पढ़ा और उन पर असर हुआ। इसीलिए उनको बच्चों से कितना प्यार था, यह सभी जानते हैं। इसलिए चाचा नेहरू के नाम से वह प्रसिद्ध हुए और 14 नवम्बर को पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की जयन्ती मनाई जाती है। इसलिए हिन्दुस्तान में 40 फीसदी बच्चे हैं और महिलाएं 50 फीसदी होंगी। महिला और बाल विकास के बजट पर यह बहस है तो करीब देश की 80 करोड़ आबादी की बहस है लेकिन बजट 7400 करोड़ है। अब ज्यादा बजट है, कम बजट है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और जानी-विज्ञानी विचार करें कि 80 करोड़ आबादी महिला और बाल-बच्चों की है और केवल 7400 करोड़ रुपये का ही बजट में प्रावधान किया गया है। यह बहुत नगण्य बजट है। इसलिए यह हम देखते हैं कि अभी तक जो योजनाएं चलीं, डबल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि दुनिया में जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उसमें 49 फीसदी हिन्दुस्तान है। सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार हुए बच्चों का देश हिन्दुस्तान है। यह कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है। इस पर हम जब गंभीरता से विचार करते हैं तो इन सभी योजनाओं पर विचार करना चाहिए। अब 40 फीसदी बच्चों की आबादी है लेकिन बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन पर 4.13 फीसदी खर्च वर्ष 2008-09 में हुआ और 2009-2010 में 4.15 फीसदी यानी 2 फीसदी की बढ़ोतरी केवल एक साल में हुई है। इसलिए बजट का प्रावधान बहुत कमजोर है।

लेकिन हमने इनका कागज देखा। इस महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन 33 योजनाएं हैं। राजीव गांधी जी के नाम पर दो योजनाएं हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना और किशोरी सशक्तीकरण योजना लेकिन मैं सदन में जानना चाहता हूं कि कितने माननीय सदस्य 33 योजनाओं का नाम जानते हैं कि उनका क्या काम हो रहा है और उसमें कहां क्या हो रहा है। इसलिए सवाल यह है कि सदस्यों की जानकारी और भागीदारी के लिए सरकार की क्या योजना है? माननीय सदस्यों को उन 33 योजनाओं के संबंध में जानकारी होनी चाहिए कि ये योजनाएं कहां कार्यरत हैं? आईसीडीएस-आईसीडीएस समझते हैं जो 33 योजनाओं में एक योजना है। 32 योजनाओं का क्या हुआ? इस योजना में क्या काम हो रहा है? काम हो रहा है या नहीं? सवाल है कि केवल माननीय सदस्यों की ही जानकारी, भागीदारी क्यों हो, इसमें आम जनता की जानकारी और भागीदारी होनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए। लेकिन जागरूकता के नाम पर क्या हो रहा है? पंचायती राज के 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, भारत के संविधान की धारा 243 में ग्राम सभा है, जैसे लोकसभा और विधान सभा है। लेकिन ग्राम सभा को कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं है, इसकी कोई भागीदारी नहीं है जबकि जन कार्य की भागीदारी में ये सब बातें आती हैं। इस कार्य में एनजीओज और गैर सरकारी संस्थाएं ज्यादा कर्तव्य निर्वहन कर सकती हैं। इसमें जानकारी, भागीदारी, स्ट्रिकट विजिलेंस और मॉनिटरिंग, एकाउंटिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारा पांच सूत्री कार्यक्रम के बारे में एक सुझाव है। लेकिन इनका रिस्पांस क्या है?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Dr. Singh, please conclude.

Hon. Members, please do not disturb him.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सहायिका और आंगनवाड़ी सेविका को वेतन 750 और 1500 रुपए मासिक भत्ता मिलता है। श्रीमती मीना न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रही थी। मैं कन्कलूड कर रहा हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shrimati J. Shantha. No cross-talk please.

...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : छः लाख आशा एकेडिट सोशल हैल्थ वर्कर हैं, बिना पैसा लिए हैं, उनको एक पैसा नहीं मिल रहा है। हैल्थ मिनिस्ट्री का दोहरा मापदंड क्यों है?

MR. CHAIRMAN: Shrimati J. Shantha, please start.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सवाल है ...(व्यवधान) क्योंकि सरकार ने पास किया है और इसे लागू कराना है।

MR. CHAIRMAN: No. Dr. Singh, please sit down. Okay, you raise your last point. Do not disturb him please.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम चाहते हैं कि सहायिका को कम से कम 3000 रुपए प्रति माह और सेविका को 1500 रुपए दिए जाएं। आशा में छः लाख हैल्थ वर्कर हैं, सरजमीं पर ग्रास रूट वर्कर हैं, वे बिना मासिक भत्ते के हैं, उनको कोई मासिक भत्ता नहीं मिलता है। उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ही गांव में सेविका को 1500 रुपए और सहायिका को भत्ता मुफ्त में दे रहे हैं। आशा अब निराश चल रही है।
...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You have made your point. You have taken too much time.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : केंद्र बिना पानी और पखाना के है। वहां पानी और पखाना होना अनिवार्य है। माननीय मंत्री जी बताएं कि कितने प्रतिशत केंद्रों में पानी और पखाना की व्यवस्था है और कितने प्रतिशत में व्यवस्था नहीं है।

MR. CHAIRMAN: It is enough.

Shrimati Shantha, you can start now.

...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सैल्फ हैल्प ग्रुप के बारे में कई माननीय सदस्य और सदस्याओं ने सवाल उठाया है कि इनके बिना वूमन एम्पावरमेंट नहीं होने वाला है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) â€† *

MR. CHAIRMAN: Shrimati Shantha, you start please.

* Not recorded

*SHRIMATI J. SHANTHA (BELLARY): Chairman Sir, in Indian culture since the time of Vedas women are highly respected. According to a Sanskrit saying "God is there where women are respected". Rivers are the life line of our country. River Ganga, Sindhu, Saraswati, Yamuna, Godavari, Krishna, Sarayu all these are named after women. It shows our reverence to women. As per our constitution Parliament is the highest democratic forum of our nation. I am very happy to be elected to this august House as the

only woman member of BJP from Karnataka. I am grateful to the Hon'ble Speaker and leader of my party for giving me this opportunity to take part in the discussion.

As far as the problem of women in India are concerned, they are innumerable. Atrocities against women are being committed both inside and outside the family. They are being subjected to sexual exploitation, rape molestation and dowry harassment these problems are on the rise. Women always feel insecure and unsafe. I am sorry that our laws have failed to yield the expected result. It appears to me that it is because of under representation of women in our legislative bodies. Out of 543 Lok Sabha Members only a few of them are women. We can count them with our fingertips. Similarly out of 28 Lok Sabha Members I am the lone woman member from Karnataka. It shows the lack of proper representation of women.

As far as women and children welfare is concerned, I hope all of us eager to know whether the fruits of our welfare schemes are reaching the poor women of our country. I feel proud to say that in my state, Karnataka, the BJP Government led by Hon'ble Chief Minister B.S.Yeddyurappa has taken several measures to ensure the welfare of women and children.

To check female foeticide and change the mindset of the parents of girls, 'Bhagyalakshmi' scheme has been introduced. Now, people feel happy to have girl child, as the Government deposits some money in the name of girl child. Such scheme may be introduced by the Union Government for the entire country.

Government of Karnataka introduced a scheme to distribute free bi-cycles to encourage girls from rural areas to go to schools. This created a kind of revolution in Karnataka.

Women empowerment would help women to become self sufficient. That is why I impress upon the Government to encourage women to set up Self Help Groups like the 'Stree Shakti Sangha' and give priority to women education. Apart from this top priority should be attached to the health of babies and lactating mothers in the country in general and in the rural areas in particular. Training programme should be conducted for Anganwaadi workers to create awareness among women and children about their health.

There are incidents of death of pregnant women while being rushed to hospital. As per the report of National Rural Health Mission 100 out of 1 lakh pregnant women are dying during childbirth. Therefore, I urge upon the Government to take steps to ensure safe and risk free delivery in the country. Another point I would like to mention is about monetary assistance. Under National Rural Health Mission the Government of India is giving Rs.3000 to every pregnant women in 3 installments. Deputy Collectors of the districts concerned and chief Executive officers of zila panchayats are the distributing authorities. But this money is being provided only after the delivery. Therefore this procedure needs to be streamline and it should be made available as per the guidelines. Blood bank should be set up in every taluk headquarters. This can help overcome problems during childbirth. To meet such exigencies the Government of Karnataka has introduced with 108 vans, Emergency Ambulance Service for rural women. It is really a very good programme. This Emergency Ambulance Service is providing a very good service to the people of my state. But I understand such programmes are not there in all the states. Therefore I request the Government of India to look into this and take steps to introduce it at a national level.

*As far as women reservation is concerned the subject is being discussed in this House for the last one and a half decades. We want to know about the status of Women Reservation Bill. We are providing separate counter, separate seats to women passengers in railways, in buses and also in Planes. But it is not enough. We should give exclusive opportunity in state legislatures, Lok Sabha and Rajya Sabha. That is why Women Reservation Bill should be passed to ensure adequate representation of women in this House. Our former Prime Minister, Atal Bihari Vajapayee ji, was also in favour of 33% of reservation for women in Legislative Assembly and Parliament. He also introduced it in the House. It is high time that we should fulfil his dream. Our party the BJP will support this whole heartedly. I am proud to mention that the leader of the Opposition Shri Lal Krishna Advani ji and Deputy leader of the Opposition Smt. Sushma Swaraj ji have made clear the stand of the BJP in this regard. The President of BJP Shri Rajanath Singh ji had made sincere efforts to ensure 33% of reservation in all the BJP units from grass root to national level. Women Reservation is the right of women.

Before concluding my speech, I once again congratulate the Hon'ble Chair for allowing me to speak in this august House and I believe you would definitely encourage me to speak in future also.*

*English translation of this part of the speech was originally laid on the Table in Kannada

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज हम महिलाएं यहां खड़ी हैं और आज हम महिलाओं को जो इतनी शक्ति मिली है, इसकी प्रेरणास्रोत हमारी पहली महिला प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। उन्होंने 1960 के दशक में करोड़ों महिलाओं को तब शक्ति दी, जब महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। आज यहां बहुत सारी महिलायें खड़ी हैं। वही हमारी प्रेरणा-स्रोत थीं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिये बहुत कुछ किया है। जब उन्हें लगा कि महिलाओं और बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है तो उन्होंने एक नये मंत्रालय का गठन किया जिसे महिला और बाल कल्याण मंत्रालय नाम दिया। इस नये मंत्रालय के लिये धनराशि का आवंटन किया गया। यहां हमारी कई महिला साथियों ने कई विषयों पर अपने विचार रखे हैं। विशेषकर आंगनवाड़ी विषय पर बहुत कुछ कहा है। हमारी यू.पी.ए. सरकार की तरफ से यह एक सफल योजना रही है। इस योजना के अंतर्गत लाखों बहिनों को नौकरी दी गई है जो गांवों में हैं। मैं उन सभी साथियों के सुर में अपना सुर मिलाते हुये सरकार से आग्रह करूंगी कि आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं के मानदेय में वृद्धि होनी चाहिये।

17.22 hrs.

(Madam Speaker in the Chair)

जब उत्तराखंड में श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में आंगनवाड़ी महिलाओं और वर्कर्स के लिये 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय किया गया था। मैं सभी प्रदेश सरकारों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करूंगी कि पार्टी लाइन को छोड़कर हम बहिनों की मदद कीजिये। मैं राज्य सरकारों से यह भी मांग करती हूँ कि वे केन्द्र सरकार पर इस विषय को न छोड़ें। जम्मू कश्मीर राज्य में महिला सेविका को राज्य के कर्मचारियों के बराबर मान दिया है। मैं केन्द्रीय महिला और बाल कल्याण विभाग से भी कहूंगी कि हमारी बहिनें, जो आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं, उन्हें नरेगा के अंतर्गत मिलने वाले मानदेय से कम न दिया जाये। आज नरेगा में प्रतिदिन 100 रुपये दिया जाता है। इसलिये आंगनवाड़ी और आशा में मानदेय कुछ न कुछ बढ़ाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से आती हूँ। यहां पर ICDS के बारे में कहा गया। मेरे जिले में यह स्कीम सफल रूप से काम नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि एमपीज़ को अपने जिले में इस योजना के अंतर्गत भागीदारी दी जानी चाहिये। जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने मांग की है, मैं भी यही मांग करती हूँ कि सभी एमपीज़ को सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने का मौका दिया जाये। मेरा यह भी कहना है कि महिलाओं को एक पॉज़िटिव एटीट्यूड से चलना चाहिये। जैसे यू.पी.ए. चेयरपरसन श्रीमती सोनिया जी, विपक्ष में हमारी बहिन सुषमा जी और अध्यक्ष महोदय आप भी हैं तो क्यों हम अपने आपको एक अबला समझें? हमें भी एक मजबूत महिला की तरह ऊपर उठना चाहिये। मुझे विश्वास है कि हमारी यू.पी.ए. की सरकार महिलाओं और बच्चों के लिये बहुत कुछ करेगी।

MADAM SPEAKER: Before I call the hon. Minister to reply to the debate, I give the floor to Shri Pawan Kumar Bansal.

***DR. PRABHA KISHOR TAVIAD (DAHOD):** Thank you for granting me permission to express my views on demands for grants for 2009-10 under the control of Ministry of Women & Child Development. I am here to support the demands.

It is appreciable that Hon'ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee has presented Budget for Aam - Aadmi with the guidance of UPA Chairperson Madam Soniaji and Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singhji.

As we know that women & Children (0-18 years) constitute 71.14% of India's Population (As per 2001 Census of India).

For Country's progress, there is supreme importance of development of women & children. Hence our Finance minister has allotted total Rs. 7428 crores. Out of which 6405 will be spend only on child welfare. Out of which Rs. 6026.30 crores for the implementation ICDS programme. Out of which Rs. 243.73 crores for the women welfare.

Thanks to F.M. for this huge allotment of grants to Women & Child Development Ministry. Which has a vision for **"ensuring overall survival, development, protection, participation of women & children of our country"**.

Healthy mother & healthy child leads to healthy nation:

The development of child starts from the conception Childhood care for overall development of children below 6 years age, pregnant and lactating mothers through this package of services namely

1. Supplementary nutrition

2. Immunization

3. Health Checkup

4. Pre School/Non Formal Education, Nutrition & Health Education

ICDS Scheme covers rural/tribal area and slum population in urban areas. ICDS is centrally sponsored scheme implemented by the State Governments with 100% financial assistance from Central Govt. This Govt. is committed to universalisation of ICDS Scheme in country. By March, 2012, all services under ICDS would be extended, with quality, to every child under the age of six. Hon. Finance Minister has made provision of 6026.30 crores rupees for ICDS & additional amount of Rs. 678.70 crores will be provided for implementing the scheme in North Eastern States.

7073 projects, 13.56 lakh of Anganwadi. One Anganwadi worker and one Tdagar per 700 population. One ASHA worker per 1000 population. All of three are from the same village. One ANM per 3000 population is there. Vaccination/antenatal clinic day once in a week.

Adolescent girl in school are given once a week Iron Folic tablets. Adolescent girls if they are not going to school are enrolled in the Anganwadi. Antenatal mothers, nursing mothers and 0 to 6 years children are enrolled in the Anganwadi. These ladies are given Iron Folic Tablets and supplementary nutritive food & fortified Atta. They were advised health education also.

Vaccination of the pregnant mother and the children is carried out.

These women are in constant contact with Anganwadi worker, Tdagar, ASHA worker & ANM. So they are easily motivated by them for free hospital delivery, in Govt. as well as private hospital with the help of Chiranjivi Yojna. They are given Rs. 500 for nutritive diet after delivery. Hospital Delivery is necessary to reduce the morbidity and mortality of mother.

Thanks to Madam Soniaji and Hon'ble Prime Minister, there is a facility of free 108 ambulance. So the transportation of easy nowadays. Otherwise the poor people were making in ambulance by a putting thread cot in the tempo or truck and transporting the patients in it.

Rupture Uterus is nowadays rare entity e.g. patient from a village Zabuma-Dahod-Ghodna.

1st 5 minutes of birth are very important for the baby so expert attendance is necessary which is possible by the hospital delivery.

* Price control – Methulergomerin, prostatgland F2x Calcium e.g. Prostodin, Carbopost.

Colostrums – 1st feed after birth is important for the immunity of baby. It is protecting the baby against neonatal diseases.

1st 6 month- exclusive breast feeding is advisable for good brain development. After 6 month supplementary – fortified Atta- baby food is given with breast feed.

The babies which are breast fed are having 11% more I.Q. and about 8% more puzzle solving capacity as compared to top fed babies.

The nursing mothers are given supplementary food, sukhandi, chane and Iron Folic Tablets. Breast is advisable upto 2 years of age. Children of 3-6 years of age are given nutritive food- fortified Atta & nutritive chocolate.

Brain development

At the time of birth 80%

Up to 1 year about 95%

Up to 2 year about 99%

After that only we are training the child.

This is period we are taking care of the child step by step.

The Ministry of women and child development has under taken a number of initiatives to ensure the survival and welfare of GIRL CHILD by effective implementation of pre-natal diagnostic out, Girl Child should deliver & should live.

Other important schemes for welfare, development and protection of children are as under:

- Rajiv Gandhi, National crÃ“che scheme for the children of working mothers.
- Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls and Kishori Shakti Yojna: Adolescent girls (11-18 years) are given supplementary diet and Vitamins, Iron, Health and formal education at Anganvadi.
- Scheme for welfare of working children in need of care & protection.
- Integrated scheme for street children.
- Integrated scheme for protection & control of Juvenile Social Maladjustment.
- Shishu Greha Scheme providing institutional care to children below the age of six years and their rehabilitation by (Central Adoption Resource Agency).
- Integrated child protection scheme.
- Conditional Cash Transfer Scheme for the Girl Child with Insurance cover – to eliminate discrimination against girl child.
- National Children Board.
- Bravery award for children.

Finance Minister has made budget provision above schemes.

As per 2001 censuses, women constitute 48% of total population of India. Govt. of India is trying continuously to ensure all round well being, development & empowerment of women. The national minimum programme is meant to empower women politically, educationally, economically & legally.

National rural livelihood Mission has time bound focus for poverty eradication by 2014-15. Stress will be laid on the formation of women self help Groups (SHGS).

The women's self help group movement is bringing about profound transformation in rural areas. There are over 22 lakh such groups which are linked with banks. Govt's objective is to enrol at least 50% of all rural women in India as members of SHGS over next five years. All these members will be linked with banks. It is proposed to provide capital subsidy as well as provide interest subsidy to poor households for loan up to one lakh from bank. Women have learnt to save money & deposit in banks.

Women takes loan from banks for income generation activities. Women have taken skill development training.

Thus swaymsidha SHGS have benefited women by increasing income, awareness for decision making process, taking part in political & social activities. They have knowledge for their legal right & health issues.

Awareness on various social issues has been created among women. Women now enjoy more freedom and there is no restriction on their movement outside home for social & business purpose, they are now demanding their right from family, community & Government. Women are now knowing the social evils like alcoholism, dowry female feticide, there is increase in sex ratio at villages. Women now feel that they have security.

Now a days politically women are active they participate in Gram Sabha activities. Due to efforts of late Shri Rajiv Gandhi there are 33% reservation in local bodies for women. Many have been elected in village Panchayat, Block/Distt. Panchayat & Urban Panchayat-bodies. Women are now more sensitive about political issues. During 15th Lok Sabha election the percentage of women voting has gone up considerably.

Rashtriya Mahila Kosh is working for credit support or micro finance to poor women. Its role for social-economic change & development. Finance Minister has increased the corpus of the kosh 20 crores, Rs. 500/.

The low level of female literacy to be grave concern, Govt. has decided to start National Mission for female literacy. Covering SC/ST minorities & other groups. New Kendriya Vidyalay will be started in the Distt. having low female literacy.

Other women welfare programmes are as under:

- Condensed course for women education

- Hostel for working women and their children
- short stay homes
- Awareness Generation Programme
- Support to Training & Employment Programme (STEP) improve women's skills in traditional sectors such as agriculture, dairy & handlooms etc.
- Centre Welfare Board
- National Commission for Women
- Priyadarshini Scheme
- Conditional caste transfer scheme for minority
- Conditional maternity benefits scheme for pregnant and lactating women
- Other programme of Rehabilitation of Rape victims, HIV/AIDS victims.

The Finance Minister has made provision for grants above all schemes. I support the demand of Ministry for the women and child development. Once again I thank Finance Minister Shri Pranab Mukherjee for above grants allotments.

*DR. KRUPARANI KILLI (SRIKAKULAM): Thank you very much for giving me an opportunity to express my views in the August House on the issue of Women and Child Development.

The subject is very much important and indicates the development of our country among the world. It gives me pleasure to say that the Department of Women and Child Development was set up in the year 1985 to give the much needed impetus to the holistic development of women and children.

When and where, powerful and strong healthy human sources are available, there exists a knowledgeable and healthy society. Where Women and Child Development is given importance there the BPL families can develop vigorously. UPA Govt. is taking many policy decisions to reduce death rate of mothers and children when compared to the previous death rates. UPA Govt. is implementing successful projects like when a child is born they were admitted in Anganwadis and also provided with nutritious food and qualitative education.

In our country:-

- Children homes are established for girls of age 6-16 years.
- Service homes are organized for widows and destitute women for the age of 16-35 years.

- Working women hostels were open for employed women, but most of these buildings are hired or rented. I request the government to take firm decisions in granting government buildings for effective development and security of the women.
- In States like AP, girl child protection scheme was being run by the state government for BPL families. By this scheme a BPL family with one girl child will be awarded with a life insurance of one lakh and a family with only two girls will be awarded with life insurance policy of Rs. 60,000/-. I request the union government to extend the financial support in the form of some special grants to these friendly schemes.

For the holistic development of the child, the Ministry has been implementing the world's largest and most unique and outreach programme of Integrated Child Development Scheme by providing a package of services comprising supplementary nutrition, immunization, health check up and referral services, pre-school non-formal education. At present, funds provided under this Ministry are very much less and there is dire need to increase the budgetary allocation more. Ministry is also implementing Swayamsidha which is an integrated scheme for empowerment of women. No doubt, this is a unique scheme but the implementation should be strengthened by giving the more powers and budgetary allocation.

I conclude that a mother and child is nothing but creation which everybody should respect and obey. It is the source of creation of human and his existence. So, the importance may be kindly understood by the highly respectable Parliament.

*SHRIMATI JHANSI LAKSHMI BOTCHA (VIZIANAGARAM): I support the Demand for Grants for the Department of Women and Child Development for the year 2009-10. I thank the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi ji, hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji, Shri Pranab Mukherjee, Finance Minister and Shrimati Krishna Tirath ji, hon. Minister for Women and Child Development for initiating several welfare programmes. "Today's children are tomorrow's nation." In fact, the Department of Women and Child Development was set up in the year 1985 as a part of the Ministry of Human Resource Development to give the necessary impetus to the holistic development of women and children. With effect from 30.01.2006, the Department has been made a separate Ministry. It is a nodal Ministry for the advancement of women and children. It formulates plans, policies and programmes, guides and coordinates the efforts of both governmental and non-governmental organizations working in the field of women and child development. In fact, the Ministry implements certain innovative programmes for women and children. These programmes cover welfare and support services, training for employment and income generation and gender sensitization. These programmes help the other developmental programmes in the field of health, education, rural development, etc. All these efforts ensure that women are empowered both economically and socially and thus become equal partners in national development along with me. I congratulate the Ministry for her efforts in this direction.

I compliment the Ministry for implementing the world's largest and most unique programme of Integrated Child Development Services which provides supplementary nutrition, immunization, health check up and referral services, pre-school non-formal education.

Above all the Ministry is also implementing Swayamsidha which is an integrated scheme for empowerment of women. We all know that most of the programmes of the Ministry are run through non-governmental organizations. They should encourage NGOs.

The major policy undertaken by the Ministry is universalisation of ICDS and Kishore Shakti Yojana, launching a nutrition programme for adolescent girls, establishment of the Commission for protection of Child Rights and passing of Protection of Women from Domestic Violence Act. This Act needs to be implemented effectively.

In my Vizianagaram parliamentary constituency, the District Women and Child Development Agency is implementing various programmes for the welfare of women and children, particularly through 17 ICDS projects covering main anganwadi centres and mini anganwadi centres. Under III phase expansion of ICDS projects, proposals for sanction of 211 main anganwadi centers, 458 mini anganwadi centers were submitted to the Government. I request the Minister to expedite the approval for these proposals.

We are also ensuring child well being. During the campaign we have identified SNP beneficiaries, malnourished and disabled children in the area maps of the AWCs with assistance of ASHA workers, registration of pregnant women was taken up. We are also distributing pamphlets for awareness to this campaign.

I would like to submit that Swayamsidha Programme with 100 Self Help Groups with 1189 members is being implemented only in one ICDS block i.e. , Gantayada in a successful manner. I request the Ministry to extend the scheme to all 17 ICDS blocks in Vizianagaram with 1700 groups. Each group may be sanctioned a revolving loan of Rs. 10,000 each.

With regard to supplementary nutrition programme, location food model supplementary nutrition programme is being implemented in 14 ICDS projects. RTE Food Model SNP is being implemented in 3 ICDS blocks of Vizianagaram district. I request the Minister to extend the hot cooked food instead of ready to eat food in all the ICDS block of the Vizianagaram district. Adolescent girls should be given IFA tablets on a regular basis. And adolescent girls who are underweight should be given double take home ration. There is an order to provide hot cooked food instead of ready to eat food. there is an order from the Supreme Court also. I suggest to the Government to issue orders to provide hot cooked food to all children across the State. At present ready to eat food is being provided to three to four ICDS blocks in each district.

I request the Government to allocate sufficient funds for construction of full-fledged anganwadi centers in all the districts of the country. The Government can think of sharing the expenditure between the State and the Centre.

Though there is an increase in the number of anganwadi centers, but there is no matching increase in the field level supervisory staff.

At present we are imparting training skills to anganwadi workers/helpers with obsolete techniques. There is a need to provide them training in latest methodologies in pre-school management, community participation practices and effective sanitation.

Under World Bank, Phase four thirteen districts were selected for implementation of the ICDS, for eradication of malnutrition and training for Information Education and Communication (IEC). I thank the Government for giving Andhra Pradesh this project. It is a good programme. But so far it could not be implemented due to non-release of funds. Plan of action submitted to the Government of India. Everything was done.

The infant mortality rate in Andhra Pradesh is 54 per 1000. It can be brought down further if the Government enhances the budget for this scheme.

You will be surprised to know that during 2007-08, the percentage of immunization to children, pregnant and lactating mothers was 89.28 percent. We are trying to improve it. We need Government's financial assistance to achieve hundred percent.

So far as women trafficking are concerned, it is rampant in Andhra Pradesh. So it is a source for trafficking. There is no proper mechanism to address the issue. I request the Minister to constitute a committee with people's representative of the constituency in each constituency of the country.

*SHRIMATI PRIYA DUTT (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Thank you for giving me the opportunity to speak on Demands for Grants for the Ministry of Women and Child Development. Women and child both are of equal importance and I would hope one day we would have separate Ministries for each of them.

I want to begin my submission with issues relating to children. I feel that not enough discussion is taking place on issues relating to children, may be because children are not our voter. Issues relating to children are plenty and not just about education and nutrition. I would like to congratulate UPA Government for all the schemes for the benefits of children in ICDS and education. My main concern is protection of the rights of children, safety of the child and rehabilitation of children in conflict with law. Every day we have read horror stories of children being raped and abused. Child pornography and child trafficking has become very common today. After the recent floods in Bihar there have been cases of children being sold for the flesh trade and child labour. In the city of Mumbai we see street children from various states engaged in beggary, drug trafficking and prostitution.

We need to sensitize the police to stop the menace of child trafficking. Every police station should be equipped with special cells who could address matter dealing with women and children. These special cells should be manned by female police officer. Children must, therefore, become our most priority. They are the future of the country.

A child in another ten to twelve years become adults and what kind of contribution will they be able to make towards better tomorrow when their today is uncertain and disturbed.

I would like to make some suggestions like introduction of helpline for women and children which shall be directly connected to special police control rooms. Proper rehabilitation of children rescued from forced labour with provisions for heavy penalties to the employers. These fines should be redirected for the rehabilitation of the children. There should be special homes for street and runaway children. Special centers at railway station and inter-state bus stand to identify children being brought to big cities or runaway children. In process NGOs and railway police can also be involved.

Special awareness programme on importance of breast-feeding should be made so that malnutrition of infants can be addressed to.

Adoption process of a child by childless couple should be made easy. Any childless couple adopting street children shall be given special tax incentives to encourage them.

I would like now, to speak on women issues. On one side we see women progressing in every field and making great contributions in the field of politics, aviation, science, sports and every such field which was considered male dominated and then on the other hand we have women in our country who are still being killed, murdered, raped and humiliated because of her caste, her gender. We still have numerous cases of female foeticide in our country. On one hand we worship Goddess Laxmi and Durga and on the other hand we destroy that very Laxmi in our homes through dowry deaths and female infanticide.

Poverty and social pressure are one of the reasons but as hon'ble member Smt. Girija Vyas has said our mind sets and our attitudes must change we must be able to accept women in a new role not just as a mother, wife, sister and daughter but a person in an equal position in society who contributes to decision making and change in the society. Our country needs to become child and women friendly.

I request hon'ble Minister to please take note of these points and I am sure we will see change and progress in the Ministry under your able leadership.

*श्रीमती कमला देवी पटले (जांजगीर-चम्पा): देश में एक बार फिर से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। यही नहीं विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों में की हर साल लाखों की संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं। बड़े शहरों की स्थिति और भी चिंताजनक है। केवल देश की राजधानी की बात करें तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जून, 2008 से लेकर जनवरी, 2009 तक दिल्ली में कुल 2210 बच्चे गायब हुए। आज दिल्ली में हर रोज औसतन 17 बच्चे गायब हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत में 45,000 बच्चे गायब हो रहे हैं। वर्ष 2007 में

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सबसे अधिक बच्चे झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से गायब हो रहे हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के जोड़ - घटाने से यह सवाल उभरा है। पहले आंकड़ों के मुताबिक 8.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। दूसरे आंकड़ों में पांच से चौदह साल के 1.3 करोड़ बच्चे मजदूर हैं। अगर 8.5 करोड़ में से 1.3 करोड़ घटा दें तो 7.2 करोड़ बचते हैं। यह उन बच्चों की संख्या है जो न छात्र हैं, न ही मजदूर। तो फिर यह क्या है, कहां है और कैसे है, इसका हिसाब भी किसी किताब या रिकार्ड में नहीं मिलता।

देश में प्रसव व गर्भ संबंधी जटिलताओं के कारण प्रत्येक सात मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। उस देश के बच्चों का भविष्य कैसा होगा। एक माँ की मृत्यु से पूरा परिवार बिखर जाता है इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बाल्यकाल में कुपोषण, कम उम्र में शादी असमय मातृत्व और गर्भावस्था व प्रसवकाल के समय अच्छी व मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण साल में 1 लाख महिलाएं मृत्यु की शिकार होती हैं। सरकार मातृ मृत्यु दर में कमी लाना चाहती है इसके लिए कई योजनाएं बनी हैं और विदेशों से सहायता भी मिल रही है, लेकिन माताओं और बच्चों की असमय मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है वजह यह है कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की भारी कमी है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नीतियां और प्रणालियां तो घोषित हुईं लेकिन उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूकता की कमी सुविधाओं तक पहुंच न होना और सुविधाएं उपलब्ध कराने वालों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण इस पर काबू पाना कठिन हो रहा है। गांवों में सुरक्षित प्रसव अथवा स्वैच्छिक गर्भपात दोनों की ही समुचित व्यवस्था न होने, प्रशिक्षित डाक्टर एवं नर्सों की कमी की देखरेख खान पान साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण 60 प्रतिशत महिलाएं अप्रशिक्षित दाइयों पर निर्भर हैं और प्रायः घर में ही बच्चे को जन्म देती हैं। प्रसव बिगड़ने पर जो महिलाएं अस्पताल पहुंचती हैं। नजरअंदाज कर मरने दुनिया में हाने वाली मातृ मृत्यु का 20 प्रतिशत अकेले भारत में है। प्रसव के दौरान जिन बच्चों की मां की मृत्यु हो जाती है उन बच्चों की दो साल के अंदर मृत्यु की आशंका अन्य बच्चों की अपेक्षा उसे 10 गुना अधिक हो जाती है। दुखद स्थिति यह है कि अकाल के दौरान तो मौते हम रोक पाए हैं पर समय रहते ज्यादातर महिलाओं को आज भी मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। महिलाओं को परिवार नियोजन के आधुनिक सुरक्षित और कारगर उपायों की जानकारी और समुचित डाक्टरी सेवाएं मिल जाए तो इनमें से एक तिहाई महिलाओं का जीवन बचाया ही जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा स्वसहायता समूहों के गठन व सुदृढीकरण के लिए पूर्व में स्वयंसिद्धा योजना संचालित की गई थी। परियोजना अवधि समाप्त हो गई है। राज्य में गठित पुराने स्वसहायता समूह तथा नवीन स्वसहायता समूहों के गठन एवं सुदृढीकरण के लिए शीघ्र ही नवीन योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की जाए।

कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के दो विकासखंडों में केंद्र शासन द्वारा धनलक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। योजना राज्य के सभी विकासखंड में प्रारंभ करने की सहमति दी जाए।

छत्तीसगढ़ में किशोरी बालिकाओं को विगत दो वर्षों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार देने संबंधी स्पष्ट निर्देश के अभाव में राज्य द्वारा 92 करोड़ रुपए की राशि इस कार्य में व्यय हुआ है। अनुरोध है कि व्यय की गयी राशि का 50 प्रतिशत केंद्रांश के रूप में राज्य को उपलब्ध कराया जाए।

महिला वसति गृह के निर्माण के लिए केंद्र शासन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। किंतु इसके अनुरक्षण एवं सुधार के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण अनेक भवन जर्जर हो रहे हैं। महिला वसति गृहों के अनुरक्षण एवं नियमित रख रखाव के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध करायी जाए।

राज्य के पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में महिला तथा बच्चों की स्थिति का अध्ययन कर उपयुक्त योजना चलायी जाए ताकि उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें लाभान्वित किया जा सके। प्रारंभ में विभिन्न कारकों पर रिसर्च कराया जाए।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रियदर्शनी योजना संचालित है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी प्रियदर्शनी योजना की तरह ही नवीन योजना स्वीकृत किया जाए।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** वर्ष 2009-10 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा पर मैं आपके माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से महिलाओं एवं बालकों के विकास हेतु मांग / सुझाव प्रस्तुत करता हूँ -

केंद्रीय बजट वर्ष 2009-10 के पैरा संख्या 48 में स्वयं सहायता समूह का जिक्र करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि अभी तक 22 लाख स्वयं सहायता समूह बैंकों से जुड़े हैं और आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंकों से जोड़े जाने का उद्देश्य रखा गया है। इस पवित्र उद्देश्य के लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन इतने बड़े उद्देश्य की पूर्ति आगामी 5 वर्षों में किस तरह से करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आबादी को देखते हुए उद्देश्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि विगत 15 वर्षों से स्वयं सहायता समूह का कार्य चल रहा है, इसके उपरांत भी आज तक 22 लाख समूह ही बैंकों से जुड़े हैं। एक समूह में 15 महिलाओं की संख्या माने तो यह संख्या 1 करोड़ 10 लाख होती है। भारत की वर्तमान आबादी 120 करोड़ के आसपास है। उसमें आधी आबादी महिलाओं की है अतः कुल 60 करोड़ महिलाओं की संख्या आती है, इसमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं की संख्या निकालें तो यह संख्या 42 करोड़ के आस पास आती है। विगत 15 वर्षों में यह प्रगती 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को बैंकों से जोड़ने की हुई है, तो आगामी 5 वर्षों में 42 करोड़ महिलाओं को इसी रफ्तार से कैसे जोड़ा जा सकता है।

अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इसकी पुख्ता रणनीति बनाए अन्यथा यह उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में पूर्ण होना संभव नहीं है।

स्वयं सहायता समूह के संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए नेशनल लेवल के रेप्टेड गैर सरकारी संगठनों को एस एल बी सी का सदस्य मनोनीत किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को ऋण देने की बात राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति में पुख्ता तरीके से उठ सके, क्योंकि वर्तमान में बैंकों का रूझान कम से कम महिलाओं का ऋण देने का होता है।

बजट के पैरा 51 में आईसीडीएस (एकीकृत महिला बाल विकास योजना) के माच 1012 तक युनीवर्सलाइजेशन करने की बात कही गई है। लेकिन आईसीडीएस प्रोजेक्ट का जिक्र कहीं नहीं किया गया। योजना आयोग द्वारा आईसीडीएस प्रोजेक्ट - 4 को लागू करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आईसीडीएस के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढीकरण, स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं उनके द्वारा उत्पादित माल के विपणन तक की व्यवस्था का सुझाव मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने आईसीडीएस - 4 की स्वीकृति हेतु प्रोजेक्ट भेज रखा है। उस पर भी स्वीकृति शीघ्रता से जारी की जानी चाहिए।

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन का बजट 1 करोड़ ही कर देना चिंता का विषय है, क्योंकि नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के तहत

0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 100 ग्राम में पोषक फूड के लिए राशि तय की जाती है। वर्तमान में यह राशि 3.45/- रुपए प्रति सौ ग्राम निर्धारित कर रखी है, जो बाजार मूल्य से कम है। क्योंकि 3.45/- रुपए में सोयाबीन, गेहूं, चीनी एवं पोये सम्मिलित है और इस महंगाई के कारण प्रतिदिन दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। अतः स्वयं सहायत समूह द्वारा तैयार किया जाने वाले न्यूट्रीशन फूड की दरों में प्रतिमास समीक्षा करके बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

स्वयं सहायत समूह द्वारा तैयार माल में छीजत की दर 5 प्रतिशत तय की गई है जो बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए। भुनाई, पैकिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन की दर को भी भारत सरकार के स्तर से बाजार मूल्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पोषाहार दिया जाता है, इसकी मोनिटरिंग के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं जिस राज्य राजस्थान से आता हूं, वहां सभी आंगनवाड़ी के लिए भवन उपलब्ध नहीं है, कुछ आंगनवाड़ी केंद्र तो किराए के भवन में चल रहे हैं। राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अतः आंगनवाड़ी के भवन हेतु भी सरकार को एक सक्षम कमेटी द्वारा आकलन कर बजट में ही राशि का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

मैं भारत सरकार की सर्वे रिपोर्ट पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस रिपोर्ट के अनुसार देश के 12 राज्यों में बच्चों में कुपोषण ज्यादा पाया गया एवं राजस्थान भी उसमें सम्मिलित था। राजस्थान के 20 रेगिस्थानी जिलों में कुपोषण ज्यादा पाया गया, जिसमें बीकानेर जिला - जहां से मैं आता हूं यह जिला भी सम्मिलित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुपोषण की समस्या के निदान हेतु आईसीडीएस - 4 की स्वीकृति यथाशीघ्र जारी करने की व्यवस्था कराएं।

ग्रामीण महिला को स्थानीय परिवेश के अनुसार स्थानीय कलाओं तथा कुशलता का प्रशिक्षण देना होगा। इस हेतु मेरी मांग है कि राजस्थान के बुनकरों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों को संरक्षित करने की योजना में लिंग आधारित प्रोत्साहन तथा आरक्षण हो। बीकानेर का ऊन, पापाड़ एवं भुजिया उद्योग विश्व प्रसिद्ध यह उद्योग मूल रूप से महिलाओं द्वारा सृजित है, लेकिन इसका संचालन पुरुषों द्वारा किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि महिलाओं के नाम से इन उद्योगों की संस्थाओं के पंजीकरण कराने पर विशेष सब्सिडी व प्रोत्साहन दिया जाए। यदि केंद्र सरकार इन उद्योगों को महिलाओं के नाम से पंजीकरण कराने पर विशेष प्रोत्साहन राशि जारी करती है, तो इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम होगा।

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए तहसील स्तर थाने के साथ ही महिला परामर्श एवं सहायता केंद्र की अनिवार्य रूप से स्थापना हो।

स्कूली शिक्षा में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक महान सफल स्त्रीयों का चरित्र पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिन्होंने उच्च स्तर पर सफल होने के साथ साथ अपने परिवार को कुशलता से संभाला एवं संवारा।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं चौराहों पर बाल अपचारियों के गिरोह पनप रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इन बालकों को अभियान चलाकर बालक सुधार गृह भेजा जाए और उनके चरित्र निर्माण एवं शिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था की जाए, जिससे नया स्वस्थ समाज तैयार हो।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):** मुझे महिला और बाल कल्याण की बजट की मांगों पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं भी एक महिला होने के नाते और पिछले कई वर्षों से मुझे इसी क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला है, इसलिए गौरव का अनुभव करती हूं।

केन्द्र ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवा, पुलिस बल, व आयकर विभाग संबंधी अपनी तमाम प्रतियोगी और विभागीय परिक्षाओं में बैठने वाली महिला उम्मीदवारों से परीक्षा शुल्क नहीं देने का निर्णय किया है और राष्ट्रपति जी के सुझाव पर 10 या इससे अधिक पदों संबंधी चयन बोर्ड में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य बनाया है, ये कदम सराहनीय है।

आप, मैं और पूरा सदन जानता है कि आज की महिला कमजोर नहीं रही है। आज भारतवर्ष और पूरे विश्व पर नजर डाली जाए तो पता

चलता है कि हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने बल बूते पर नाम कमाया है और अपना योग्य स्थान कायम किया है।

किसी ने सच ही कहा है कि - "Womens occupy half the sky"

आज महिलाएं कमजोर नहीं बल्कि एक शक्ति हैं। प्राचीन से अर्वाचीन समय तक महिला को एक शक्ति स्वरूपा के रूप में माना गया है और पूजा हो रही है। महिलाओं का यह एक अनोखा परिचय है।

मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ,
मातृभूमि पर मर मिटने वाले उन वीरों की पीर हूँ,
उन पुत्रों की दुविधा हूँ जो हंस-हंस झूला झूल गये,
उन शेरों की माता हूँ, जो रण प्रांगण में जूझ गये।
मेरा परिचय इतना है कि

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के तीसरे पन्ने पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अभिभाषण के आठवें मुद्दे में प्राथमिकता वाले 10 विस्तृत क्षेत्र में चौथा पैराग्राफ है जिसमें लिखा है महिलाओं, जवानों, बच्चों अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, भिन्न रूप से सक्षम तथा बुजुर्गों के कल्याण के लिए संगठित कार्यवाही और सुदृढीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।।

महिला और बच्चों को सुरक्षा देना जरूरी है क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का 2009-10 का निष्कर्ष बजट जो प्रिंट हुआ है उसके पेज नं. 2 पर लिखा है कि मानव विकास के लक्ष्यों को महिलाओं और बच्चों के कल्याण, विकास तथा सशक्तिकरण से गहरा नाता है। महिलाओं और बच्चों की देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 48.3 प्रतिशत वहीं दूसरी ओर बच्चों का प्रतिशत लगभग 34 प्रतिशत है। महिलाएं और बच्चे न केवल देश के मूल्यवान मानव संसाधन हैं अपितु इनके सामाजिक, आर्थिक विकास से शेष अर्थव्यवस्था के विकास में, भी गति आती है।

मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूँ कि आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत लागू करने के उपरांत इसके वित्तीय आबंटन में वृद्धि करना अति आवश्यक है क्योंकि सीमित आबंटन से जिला और ताल्लुका स्तर तक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय ढांचा सुसंगत नहीं होता है।

वर्तमान में इसी स्कीम की अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए महिलाओं और शिक्षित महिलाओं में काफी हद तक चेतना आई है। हमारे कुछ ऐसे क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और शिक्षा का स्तर ना के बराबर है। आज आंगनवाड़ी कार्यक्रम द्वारा हम बच्चों में संस्कार, शिक्षा, और सामाजिक नींव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं जिससे यही बच्चे देश का भविष्य बनेंगे।

गुजरात सरकार ने बच्चों के लिए पूरक पोषण की नई योजना के अंतर्गत फोरटीफाड प्रमिक्स के रूप में लाभान्वितों को पैकड होम राशन देने का इसी महीने से शुरू किया जाएगा। इस राशन पैक से सिर्फ 10 ही मिनट में हलवा, उपमा और सुखड़ी का गरमा गरम पोशक आहार बन सकता है। ये पूरक पोषण आहार के अंतर्गत प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम, थामामिन, रिबोफ्लेविन, मियासिन, विटामिन सी और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर प्रिमिक्स तैयार किया जाता है जिससे कुपोषित बच्चों, सगर्भा व धात्रा माताओं के लिए अति आवश्यक है। हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता की बातें बताई हैं लेकिन उसे आज तक असली जामा नहीं पहनाया गया है।

भारत सरकार और सभी राज्यों की सरकारों ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चलाया जा रहा है और कई कार्यक्रमों, स्कीमों चलाई जा रही हैं लेकिन महिलाओं और बच्चों के समक्ष निरंतर आ रही समस्याओं में प्रतिकूल बालिका/बालक अनुपात शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु की ऊंची दरें साक्षरता, मजदूरी की दरें तथा स्वास्थ्य जैसे विषयों में महिला एवं पुरुषों के बीच व्यापक विद्यमान अंतर महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के मामलों में वृद्धि इत्यादि शामिल है।

बच्चों का अनैतिक व्यापार, महिलाओं में एच.आई.वी., एड्स संक्रमण, बाल विवाह की रोकथाम, बालिकाओं और घरेलू नौकरों का संरक्षण इत्यादि अनेक चिंताजनक क्षेत्र हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तले बीस मुख्य कार्यक्रम/स्कीमों चलाई जा रही हैं लेकिन जितनी तेज गति से महिला विकास और महिला सशक्तिकरण होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। वह मंद गति से हो रहा है। इसमें आमूल परिवर्तन आना चाहिए। महिला को जब तक प्रगति में उचित और समान सम्माननीय भागीदारी नहीं दिलाई जाती तब तक ये सभी कार्यक्रम सिर्फ खोखलेपन के अगतस्य मुति के वायदे ही बने रहेंगे।

हम सब जानते हैं कि पिछले जनगणना में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 75 से अधिक था तो महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत सिर्फ 54 ही था। महिला सशक्तिकरण का एक ही आधार स्तम्भ महिला साक्षरता ही है। महिला साक्षरता का निम्न स्तर हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके बारे में सामान्य बजट में राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, इसकी मैं सराहना करती हूँ और सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

सरकार ने 100 दिनों के भीतर उपायों की बात में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत और राज्य विधान मंडलों तथा संसद में महिलाओं को एक तिहार आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान में संशोधन करके महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित कराने की बात में पीछे हट रही है वह एक चर्चा की चिंता की बात है।

भारत सरकार ने उसे एक संकल्प के रूप में लेना चाहिए। मेरी भा.ज.पा. ने तो पहले ही दिन से उसे पारित कराने में सहयोग देने का कृत संकल्प लिया है। भारत सरकार को अब पहल करनी चाहिए और महिला सशक्तिकरण की इस अपूर्ण कड़ी को जोड़ देना चाहिए।

सामान्य बजट में एकीकृत बाल विकास सेवा के बारे में जो बाह कही है उसे स्पष्ट कर देना चाहिए और इस दिशा में तेजी से कार्यान्वयन करना चाहिए क्योंकि बच्चे कल के भारत के भावी नागरिक हैं। महिला एवं बाल विकास के निष्कर्ष बजट में राष्ट्रीय महिला आयोग के बजट के बारे में कोई खास वृद्धि न करके सभी महिलाओं को निराश किया है। सिर्फ 5 करोड़ रूपयों का जो योगदान किया है इसे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए समान अवसर सृजित करने वाले कुछ ठोस प्रस्तावित कदम उठाने चाहिए। महिलाओं के बारे में आज तक और अभी भी राजनीति चल रही है। इसे छोड़ के सर्वसम्मति की राजनीति अपनाई जाए। महिला आरक्षण का विधेयक पारित किया जाये जो महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने के लिए निर्णायक साबित होगा।

गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में 2008-09 में 280 करोड़ रूपयों का आबंटन किया था तो इसी वर्ष 2009-10 में इसे बढ़ाकर 723 करोड़ रूपयों का आबंटन किया है। गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास की नीति आज भी पूरे देश का मार्गदर्शन कर रही है। गुजरात सरकार ने सगर्भा माताओं के स्वास्थ्य की बारे में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत बालसखा योजना बनाकर पूरे देश भर में पहल की है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में खासकर अनुसूचित जनजातियों वाले पिछड़े इलाकों में दूध संजीवनी योजना का कार्यान्वयन करके अलग से सोचा है। गुजरात सरकार ने पूरे भारत भर में चिल्ड्र यूनिवर्सिटी बनाने का सोचा है। वो भी एक अलग सा कार्यक्रम है।

में गुजरात में बाल और महिला विकास कार्यों के अंतर्गत चलायी जा रही योजनाओं के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

1. कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए बाल अभियोजना जिसमें बच्चों को न्यूट्रीकेन्डी, चाकलेट इत्यादि जिसमें 7 प्रकार के तत्वों का समावेश होता है और फौरेटी फाइड आटा द्वारा उनके भोजन में दिया जाता है। यह योजना वर्तमान में देश के अन्य किसी हिस्सों में लागू नहीं है।
2. इस वर्ष से बच्चों को रेडी टू ईट जिसमें शीरा (हलवा), उपमा, दलिया, सुखडी इत्यादि का आटा बनाकर उसमें बाल भाग का आटा तैयार किया जाता है।
3. आंगनबाड़ी में नियुक्त महिलाकर्मियों को 500 रु. प्रति माह वेतन में वृद्धि दो जोड़ी साड़ियों के हिसाब से 2 लाख चालीस हजार साड़ियां 6 करोड़ के भुगतान से इन महिलाओं को शान बढ़ाने के लिए खरीदा गया।
4. माता जसोदा अवार्ड से श्रेष्ठ आंगनवाड़ी को दिया जाता है जो आंगनवाड़ी प्रदेश में प्रथम क्रमांक आने पर राज्य स्तर, 51000 रूपया जिला स्तर पर, 31000 और तालुका स्तर 25000 राशि का नगद भुगतान किया जाता है। 630 महिला कार्यकर्ताओं को एक करोड़, 10 लाख के अवार्ड प्रदान किये गये।
5. "माता जसोदा गौरव निधि बीमा योजना " के अन्तर्गत 50 रूपये की राशि प्रत्येक महिला और 50 रूपये की राशि प्रदेश सरकार द्वारा देकर आंगनबाड़ी की महिलाकर्मियों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया गया है और यह महिलाकर्मों सेवा-निवृत्त हो तब उन्हें डेढ़ से दो लाख जितनी इनकी बचत राशि इन्हें इनकी आजीविका के लिए प्राप्त हो सके।

में मानती हूँ कि केन्द्र सरकार को भी यह योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिए ताकि इस योजना से इन्हें इनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात् एक मुश्त रकम की सहायता उन्हें मिल जाए।

में मानती हूँ कि सरकार को आंगनबाड़ी के लिए पक्के मकान, जन साधारण सुविधाएं बिजली पेयजल इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इस समय राज्य में 44,000 आंगनवाड़ी कार्यरत हैं। 500 आवासों का निर्माण किया गया। राज्य सरकार ने 100 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार को भी आंगनवाड़ी के भवन निर्माण के लिए सहायता देनी चाहिए।

15 अगस्त, 1997 के दिन वाजपेयी जी की एन.डी.ए. सरकार ने बालिका समृद्धि योजना घोषित की थी। इस योजना के अन्तर्गत समाज में जिस बालिका को कोई अपनाता या अपनाया नहीं जा रहा हो, ऐसी बालिकाओं को सुरक्षित करने और इनका पालन पोषण करने हेतु उनके नाम बचत खाता खुलवाकर प्रतिवर्ष 500 रूपये की राशि जमा करवाकर और उसकी आयु 18 वर्ष होने पर इसे दिया इसकी शिक्षा-दीक्षा के खर्च पर उपयोग में लाया जा सके। लेकिन वर्ष 2006-07 के दौरान इस योजना को यूपीए सरकार ने स्थगित कर दिया था उसे पुनः स्थापित किया जाए।

गुजरात सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत बेटे बचाओ कार्यक्रम को शामिल कर प्रति 6 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया। बेटे-बचाओ, कार्यक्रम मातृवंदना कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 बालकों की तुलना में 894 की संख्या दर्ज की गई।

विधवा पुनः स्थापित विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत 18 से 40 साल की विधवा महिलाओं को प्रशिक्षित कर 5000 की वित्तीय सहायता

देकर उन्हें स्वालंबित किया जा रहा है।

ग्रामीण आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों विशेषतः- गन्ने का खेत, दूरदराज के क्षेत्रों, ईट भट्टा में कार्यरत महिलाकर्मियों के श्रमिक, भवन निर्माण में कार्यरत महिला कर्मियों के बच्चों के लिए बालभोग योजना प्रारंभ की जा रही है। 10 मोबाइल आँगनबाड़ी प्रारंभ की गई प्रदेश 10 जिलों में प्रारंभ करने की योजना है।

100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय प्रावधान में वृद्धि करके इसमें से 10 प्रतिशत वित्तीय सहायता बाल कल्याण विकास के लिए आबंटित करनी चाहिए।

वर्तमान में प्रदेश में 7 जिलों में जारी अदालतें 20 जगह से क्रियान्वित है जिसमें महिलाएं ही इसका संचालन कर रही हैं। पुरुष वर्ग भी न्याय के लिए इन अदालतों में आते हैं।

गुजरात की तर्ज पर नारी द्वारा संचालित न्यायालयों का गठन पूरे देश में जिलेवार करना चाहिए जिसे प्रदेश की सरकार सहायता प्रदान कर रही है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में प्रवेश कार्यक्रम को एक उत्सव स्वरूप में पाठशाला में प्रवेश योजना शुरू की गई है जिससे शिक्षा को छोड़ने वाली बालिकाओं के प्रतिशत में कमी आयी है। देश में सात साल की प्रत्येक बालिका को अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू करना चाहिए। विद्यालय योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक की राशि का बीमा योजना का लाभ स्कूली बच्चों को दिया जा रहा है।

विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कक्षा-1 में दाखिला लेने वाली बच्चियों को रूपए 1000 बाण्ड और सातवीं कक्षा के बाद ब्याज समेत इस राशि को उस लौटाया जाता है।

पाठशाला आरोग्य जांच कार्यक्रम के अंतर्गत सवा करोड़ बच्चों की शारीरिक जांच कैंसर, किडनी, हृदय इत्यादि की जांच शल्य चिकित्सा का लाभ कक्षा 12वीं तक के बच्चों को प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है।

8000 बच्चों के आपरेशन हुए तथा जो आपरेशन गुजरात में संभव नहीं है। जैसे 100 आपरेशन चेन्नई के अपोलो में आपरेशन करवाये गये जिनका सारा खर्च गुजरात सरकार दे रही है।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** आपने मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुपूरक मांग पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मैं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के नालन्दा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ । एक समय नालन्दा, पूरे विश्व का ज्ञान ज्योति केन्द्र था । पूरे विश्व से लोग यहां विद्याध्ययन के लिए आते थे । नालन्दा, महात्मा बुद्ध , भगवान महावीर, सम्राट अशोक, महान् सम्राट बिम्बिसार, सम्राट अजातशत्रु आदि की धरती रहा है ।

केन्द्रीय सरकार की आंगनबाड़ी योजना एक बहुत अच्छी योजना है । योजना का उद्देश्य पूरा हो, इसके लिए सार्थक प्रयास की जरूरत है । आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में सरकारी नीति एवं नियम का पालन नहीं होता है । मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नालन्दा जिले के इस्लामपुर प्रखंड के बरीडीह ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका के चयन सी डी पी ओ के द्वारा भारी अनियमिततायें बरती गयी । जो मेरिट लिस्ट में सबसे प्रथम स्थान पर है, उस महिला का चयन नहीं किया जा रहा है, जबकि केन्द्र सरकार के अधिकारी (आई सी डी एस) का स्पष्ट निर्देश आया, फिर भी इस निदेश की धज्जी सी डी पी ओ उड़ा दी ।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि वो इस बारे में स्पष्ट निदेश दे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं बरती जाये।

* Speech was laid on the Table

दूसरी बात, आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या को मेरे संसदीय क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । मैं सरकार से इसकी मांग करता हूँ ।

आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय भत्ता बढ़ाये जाने की जरूरत है । मैं सरकार से इसकी मांग करता हूँ ।

साथ ही साथ आंगनबाड़ी केन्द्र को असामाजिक तत्वों से बचाये जाने के लिए सुरक्षा भी दिए जाने की जरूरत है । मैं सरकार से इसकी मांग करता हूँ ।

***श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** महिला एवं बाल विकास की अनुदाना मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की महिलाएं दुनिया के किसी भी विकसित देश की महिलाओं से प्रतिभा में किसी भी तरह कम नहीं हैं उन्होंने अपनी योग्यताओं से सारे विश्व के सामने यह प्रमाणित कर दिया कि अगर उन्हें अवसर मिले तो अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावल व सुनिता विलियम्स बन सकती हैं। सड़क किनारे भट्टी पर लोहा पीटने का काम कर परिवार का हाथ बंट सकती हैं सेना में तथा प्रशासनिक पदों पर बैठकर कुशलपूर्वक प्रशासन चला सकती हैं शिक्षिका बनकर समाज को ज्ञान दे सकती हैं आटो रिक्शा से लेकर बस भी चला सकती हैं बहुत ही सहनशीलता एवं गंभीरता से प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर सकती हैं।

हमने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने बहुत सी योजनाएं बनाई किन्तु उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो योजनाओं का पैसा गांवों तक पहुंच कर बेहतर ढंग से उपयोगी हो किन्तु देखने में आ रहा है आंगनबाड़ी केन्द्रों से जहां महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होने की बात सोची गई थी कि वहाँ बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का भाव योजना में था वास्तविक रूप में देखें तो भवनों के अभाव में यह आंगनबाड़ी केन्द्र सहायिका वास्तविक रूप में देखें तो भवनों के अभाव में यह आंगनबाड़ी केन्द्र सहायिक कार्यकर्ता के मकान में चल रहे हैं जहां कभी बच्चों को बुलाया जाता है कभी नहीं तथा पोषण आहार भी कभी कभी दिया जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्यकर्ता सहायिक सरपंच अथवा गांव के प्रभावशाली परिवार की महिलाएं बनती हैं अतः योजना के ठीक ढंग से संचालन हेतु सेवा का भाव रखकर निर्धन परिवारों की शिक्षित महिलाओं की योजना में भागीदारी बढ़ाना चाहिए।

घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का कार्य करने वाली महिलाओं को जो असंगठित क्षेत्र से आती हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा बच्चों की पढ़ाई सामाजिक सुरक्षा प्राविडेंट फंड पेंशन आदि की कोई योजना का लाभ नहीं मिलने से असुरक्षा के भाव को लेकर अनिश्चितता का जीवन जीने को मजबूर हैं। इनके परिवार की छोटी छोटी लड़कियां भी पढ़ने की उम्र में पढ़ाई छोड़कर घरों में सफाई बर्तन मांजने का कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती हैं इनके पुनर्वास के प्रति सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए इनको रोजगारमूलक शिक्षा देने की पहल होना चाहिए। हमको बहुत

अधिक दर्द उस समय होता है जब हम देखते हैं कि 10-12 साल की बच्ची किसी छोटे बच्चे को गोद में उठाकर भीख मांग रही होती है। यह दृश्य समूची मानवता के लिए गंभीर चुनौती है इस दिशा में समाज सेवी संगठनों का साथ लेकर सरकार को विशेष कार्य योजना उनके पुनर्वास के लिए बनाना चाहिए तथा अगर कोई व्यक्ति उनसे योजनाबद्ध तरीके से भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है तो उनके विरुद्ध सख्ती से कदम उठाना चाहिए।

देश के आदिवासी अंचलों की महिलाओं में हस्तकला की अद्भुत क्षमता होती है वह महिलाएं चाहे पूर्वोत्तर राज्यों की हों अथवा छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड हो अच्छे वस्त्र एवं कलात्मक वस्तुएं उनके द्वारा सारे देश में बनाई जाती हैं सरकार को उन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र चलाकर तथा कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर उनके द्वारा निर्मित चलाकर तथा कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराकर उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बड़े शहरों में प्रदर्शनी द्वारा अच्छे विक्रय केन्द्र से बेचने की व्यवस्था करना चाहिए जिससे उनमें आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ सके।

बाल श्रम की स्थिति बहुत ही गंभीर है छोटे-छोटे बच्चों से बहुत अधिक काम कराकर उनको कम पैसा दिया जाता है तथा जोखिम वाले कार्यों में काम करने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा जोखिम वाले कार्यों में काम करने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमने बाल श्रम अधिनियम तो बनाया किन्तु उसका पालन कराने के प्रति जितनी गंभीरता दिखनी चाहिए वह नहीं मिल रही है यह बालक जहां अलीगढ़ के ताला उद्योग में मिजापुर भदौरी के कालीन उद्योग में शिवाकाशी के पटाखा, माचिस तथा मुद्रण कार्य में एवं सेंटीग्रेट के बीच भट्टी के बीच कार्य करने के लिए मजबूर है तथा वहां के श्रम अधिकारी जानबूझकर ऐसे संस्थानों पर या तो जाते नहीं हैं अथवा अनदेखा कर देते हैं जिससे बाल श्रमिकों का लगातार शोषण जारी है अतः बाल श्रम अधिनियम का सख्ती से पालन होना चाहिए तथा बालकों का पुनर्वास कर उनको शिक्षा तथा रोजगार के प्रयत्न शासन द्वारा किए जाना चाहिए।

महिलाओं पर अत्याचार की बात करते समय सदन में देखने में आता है कि सत्ता पक्ष की महिला नेत्रियां विरोधी दलों की राज्य सरकारों पर तीखे कटाक्ष करती हैं किन्तु दिल्ली देश की राजधानी है जहां राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा का विशेष प्रबंध किए जाते हैं किन्तु इसके बावजूद भी उत्तर पूर्वी जिलों में गए एक साल में 259 लड़कियों व महिलाओं का अपहरण हो चुका है चौंकाने वाली बात है इनमें से 107 नाबालिक हैं। राजधानी में दस जिले हैं तथा एक जिले में हर माह करीब दो दर्जन महिलाओं व लड़कियों का अपहरण होता है। अपहरण के कुल 152 मामलों में पुलिस केवल 83 मामले ही सुलझा पाई है वहीं 69 मामलों में अभी भी जांच चल रही है राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के दावे खोखले हैं और महिलाएं लगातार अपराधी तत्वों का शिकार हो रही हैं।

हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं यह चर्चा हमारे सामने आई गंभीर चुनौतियों को स्वीकार कर महिलाओं एवं बच्चों के लिए बनाई योजनाओं का क्रियान्वयन देश के सभी राज्यों में हो ऐसी बात एवं भाव चर्चा से निकल कर आनी चाहिए तथा विपक्षी सदस्यों के सुझावों को भी सकारात्मक भाव से स्वीकार कर उन पर कार्यवाही होनी चाहिए।

***श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई):** महोदया, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश की मातृ शक्ति एवं हमारे राष्ट्रीय धरोहर बच्चों की चिंता सदन ने की और हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब हमारे देश के महिला एवं बच्चे स्वस्थ एवं सशक्त होंगे तभी हम एक स्वस्थ भारत की कल्पना कर सकते हैं।

सरकार की ओर से बच्चों एवं महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए आई सी डी एस की योजना है जिसके द्वारा गर्भवती महिलाओं, दुग्धपान कराने वाली महिलाओं एवं 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण एवं पोषाहार देने की योजना है लेकिन इसके बावजूद हजारों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी सरकार इस देश कुपोषण से निजात नहीं दिला पा रही है। आज हमारे देश के 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।

इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 2007 तक के सर्वे के अनुसार कुपोषण की वजह से मृत्यु की तादाद 118 देशों की सूची में भारत 94 नम्बर पर है।

सरकार ने 100 दिनों में 10,000 आंगनवाडी केन्द्र खोलने की बात कही है। हम स्वागत करते हैं। मंत्री जी अपने व्यक्तव्य में राज्यवार उत्तर दें। मेरा क्षेत्र हरदोई इसमें शामिल है या नहीं, कृपया मंत्री जी हरदोई भी शामिल करें।

प्रसव के दौरान मां एवं बच्चों की निरंतर मृत्यु क्यों हो रही है इसके लिए सरकार को जागरूक होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र हरदोई में पिछले दो महीनों में प्रसव के दौरान बच्चों एवं मां की मृत्यु में वृद्धि हुई है जब मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जानकारी करनी चाही तो इसकी वजह उन्होंने कुपोषण एवं रक्त की कमी बताया।

किशोरी, सशक्तीकरण की आवश्यकता है। सरकार ने अपने बजट में किशोरियों की जांच करके महीने में 30-35 कि०ग्रा० अनाज देने की

बात कही है, अच्छी योजना है लेकिन शीघ्र ही लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि भविष्य में उन पर मातृत्व का बोझ पड़ने वाला है।

नारी अगर कमजोर होती है तो परिवार कमजोर होता है, परिवार कमजोर होता है तो समाज कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है तो भारत कमजोर होता है। पोषाहार में सुधार करने की आवश्यकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि आंगनबाड़ी की जो शिकायतें आती हैं उसमें कमी आयेगी।

* Speech was laid on the Table

महिलाओं को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए कम ब्याज पर ऋण देकर महिलाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। नःसहाय विधवायें, प्राकृतिक आपदाओं से जीवित बची महिलाएं, हिंसा की शिकार महिलायें, जेल से छूटी कैदी महिलाओं को हेय की दृष्टि से न देखकर उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन की योजना होनी चाहिए।

सचर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारत के सबसे बड़े वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग जिसकी संख्या 13.83 करोड़ है, उनको विकास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2009-10 के बजट में एक करोड़ का प्रावधान है, लागू करने की आवश्यकता है।

बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब किसी इमारत की नींव मजबूत होती है तो उस पर एक मजबूत इमारत भी बनकर तैयार होती है।

इसके आलावा मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि जिस प्रकार गर्भवती महिला एवं बच्चों का टीककरण आवश्यक होता है उसी प्रकार 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं का शारीरिक परीक्षण भी अनिवार्य रूप से निशुल्क होना चाहिए, जिससे महिलायें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जायें।

मेरे क्षेत्र हरदोई जनपद में घर-घर में महिला एवं बच्चे जरवोजी का कार्य चिकन की कढ़ाई का कार्य एवं धागे की टोपी बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के मुताबिक उनकी आय नहीं हो पाती है। मेरी मंत्री जी से मांग है कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना होनी चाहिए, जिससे उनकी मेहनत के मुताबिक उनकी आय हो सके।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): धन्यवाद महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि सभी संसद सदस्यों में से करीब 18 मंत्रों इस विषय पर बोले और उन्होंने चिंता जतायी कि इस विभाग को पहली बार डिस्कशन में लाया गया है। मुझे अति प्रसन्नता है कि मैं इस पर बोल रही हूं। इनकी तरह मेरी चिंता भी यही है कि बच्चों की और महिलाओं की पूरी सुरक्षा की जाए। इस बारे में इस मंत्रालय में आज तक जो काम हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी, स्कीम्स के बारे में बताना चाहूंगी। कई माननीय पुरुष सदस्यों ने कहा कि उन्हें इन स्कीम्स के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ये स्कीम्स जो महिलाओं और बच्चों के लिए हैं और पूरे देश की जनसंख्या का तकरीबन 75 परसेंट पॉपुलेशन इसमें है। उन्होंने बजट पर चिंता की, आईसीडीएस के बारे में सभी ने कहा, जनरल बजटिंग पर कहा, ये सब जानते हैं कि जागरूकता के तहत हम इन सारी योजनाओं को बताते रहे हैं।

महोदया, आज मैं इन सारी स्कीम्स को यहां बताना चाहूंगी, National Mission for Empowerment of Women, Relief to Rehabilitation of Rape Victims, Leadership Development of Minority Women, स्वाधार, Working Women Hostel, Swayam Siddha-II, Priya Darshini, National Commission for Women, Support to Training and Empowerment of Women, Integrated Child Development Scheme, Food and Nutrition Board, National Institute of Public Cooperation and Child Development, Kishori Shakti Yojana, Nutrition Programme for Adolescent Girls, Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls, Conditional Maternity Benefit Scheme, Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mother, Juvenile Justice Act, Integrated Programme for Street Children, Scheme for Welfare of Working Children in Need of Care and Protection, Integrated Child Protection Scheme, Shishu Grah, Central Adoption Resource Agency, Research Scheme, General Grant-in-aid Scheme, General Budgeting, Dhanlakshmi, उज्जवला, Information and Technology, Central Social Welfare Board, National Commission on Protection of Child Right, Rashtriya Mahila Kosh. इसके लिए मुझे यह कहना है कि 4 जून 2009 में संसद के दोनों सदनों में महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत जोर देकर जो कहा, मैं उस पर ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। जिसमें सरकार महिलाओं को अधिकारिक अवसर प्रदान करने और विशेष रूप से कमजोर वर्गों को सामाजिक संरक्षण के उपाय को मजबूती प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराये। महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कुछ

ठोस उपायों से, निर्वाचित निकायों, नौकरियों में उनके लिए आरक्षण तथा राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन शामिल है।

महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन पर हम काम करें। इस मिशन के तहत हमारे मंत्रालय को नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम करना है, जिसे स्वयं देश के प्रधानमंत्री चेयर करेंगे और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के होंगे। इसमें हमारे बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें Ministries of Human Resource Development, Finance, Housing and Urban Development, Poverty Alleviation, Rural Development, Panchayati-Raj, Agriculture and Cooperation, Health and Family Welfare, Small and Medium Enterprises, Law and Justice, Environment and Forests, Labour and Employment, Social Justice आदि-आदि शामिल हैं। इसे पूरा करने के लिए मंत्रालय में कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मुझे खुशी है कि सभी ने इस पर कहा और मेरे सामने बैठें मेरी आदरणीय सांसद साथी श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, कहकर अपनी बात कही। मुझे पता है कि हमें खुद को अबला नहीं समझना चाहिए, हमारे अंदर एक शक्ति आनी चाहिए। मुझे वह दिन याद है जब देश की आजादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठायी थी। चम्मक उठी सन् सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो महिला तलवार उठा सकती है, वह किसलिए डरती है। हमारी सरकारों का काम रहा है कि हम कानून बनाएँ। अनेकानेक कानून बने हैं, अनेकानेक धाराओं द्वारा बहुत सी सुविधाएँ देश के गाँव-गाँव में, आदिवासी क्षेत्रों में तथा देश के हर क्षेत्र में गई हैं। सभी ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है और आईसीडीएस की बात की है। मैं बताना चाहती हूँ कि आईसीडीएस का जो यूनिवर्सलाइजेशन किया है - सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था - उसके तहत हमारे यहाँ 10,44,000 आंगनवाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। अभी भी हमारे पास 14 लाख की सैंकशंस पड़ी हैं पर किसी प्रदेश से कोई लैटर ही नहीं आता कि हमारे यहाँ आंगनवाड़ी खोलिये। यूपी के तथा कुछ और माननीय सदस्यों ने यहाँ कहा कि हमारे यहाँ आंगनवाड़ियाँ नहीं हैं। मैं इन तमाम मैम्बरान से कहना चाहती हूँ कि आप अपने अपने प्रदेशों से कहिए कि आंगनवाड़ियों के लिए पत्र भिजवाएँ। जिस दिन पत्र आएगा, उसके कुछ ही दिनों के भीतर वहाँ आंगनवाड़ी शुरू कर दी जाएगी। यह हमारा प्लान है, हम सैंकशन करके बैठे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 42,400 करोड़ रुपये का बजटरी प्रोविज़न हमने किया है। हम चाहते हैं कि आईसीडीएस के तहत हम अपने बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, पूर्ण रूप से खाना दें। अभी उसमें हमने खाने के साथ उनके सुबह के नाश्ते का प्रबंध भी किया है। इसी तरह से जो कार्यक्रम है, उनमें छः माह से 72 माह तक के बच्चों को पहले दो रुपये दिये जाते थे, आज चार रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें खाना दिया जा रहा है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की बात आई। उनके खाने के लिए हमने 2.70 रुपये से बढ़ाकर छः रुपये के खाने का इंतज़ाम किया है। गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के लिए 2.30 रुपये से बढ़ाकर पाँच रुपये का प्रावधान किया है। यह हमारी सरकार ने काम किया है। हम चाहते हैं कि हर माँ और बच्चा सशक्त हो, अपने पैरों पर खड़ा हो। हम उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी तंदुरुस्त करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि राजीव गांधी जी ने अपने समय में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों और लोकल बॉडीज़ में किया था। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि हम उसे पचास प्रतिशत करने जा रहे हैं।

महोदय, 24 फरवरी 2009 के पत्र संख्या 5-9-2005 में डी एंड टी वैल्यू वॉल्यूम 2 में हमने इसको संशोधित राशि दी है जो एस एंड पी में है, वह है छः से 72 माह के बच्चों को 300 कैलोरी पहले देते थे और प्रोटीन 8 से 10 ग्राम तक देते थे। आज जो हमने उन्हें देना शुरू किया है, वह 500 कैलोरी और प्रोटीन 12 से 15 ग्राम देना शुरू किया है जिससे कुपोषण खत्म हो। अत्यधिक कुपोषण के शिकार बच्चों की 600 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन को बढ़ाकर 800 कैलोरी और 25 ग्राम तक प्रोटीन देने का काम किया है। गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए 500 कैलोरी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन था, अब 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है। यही नहीं, इसके तहत हमारी इन्हीं आंगनवाड़ियों पर हैल्थ विभाग की ओर से आयरन और फोलिक एसिड की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। हम चाहते हैं कि माँ बनने वाली महिला सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे, उसमें किसी तरह की कमी न आए। इसलिए हमने चाहा कि उसे वे चीज़ें दी जाएँ जिससे वह स्वयं और आने वाला बच्चा जो इस देश का भविष्य है, वह सुरक्षित और मज़बूत रहे। इन्हीं बातों को देखते हुए इस बजट में इसके लिए 42400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैंने पहले भी कहा, सभी संसद सदस्य जिनको यह जानकारी नहीं थी, वे जानकारी ले लें। एक सदस्य ने कहा मॉनीटरिंग के लिए। आप अपने इलाकों में मानीटरिंग कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। यह आपका अधिकार है। जो चीज़ें यूनिवर्सलाइज हैं, जो काम पब्लिक में हो रहे हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में उसको मॉनीटर करें और यदि कोई कमियाँ पाई गई हों तो उसे पूरा करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमारी सरकार ने हमेशा आम आदमी के साथ चलने का वादा किया है।

यहाँ बहुत सारी बातें कही गई हैं। गिरिजा जी ने भी कहा था कि हर मंत्रालय में हमने 30 प्रतिशत जैन्डर बजटिंग का काम किया है। इसके लिए 56 मंत्रालयों ने अपने-अपने विभागों में एक-एक सैल बनाया है। हम एक कमीशन बनाने जा रहे हैं जो सभी मंत्रालयों के साथ, चाहे वह हेल्थ हो, पोवरटी एलिवेशन हो, ग्रामीण मंत्रालय हो, सभी के साथ मिलकर उन पैसों से गाँव-गाँव में कम्यूनिटी सेंटर, टायलेट, अस्पताल, आंगनवाड़ी और छोटी डिस्पेंसरी का प्रावधान किया जाएगा। हमारा मंत्रालय यह प्रयास कर रहा है कि जनरल बजटिंग को पंचायतीराज इन्स्टीट्यूशन में लागू किया जाए।

महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती सरोज आईसीडीएस स्कीम के बारे में बोल रही थीं, कुपोषण को दूर करने के बारे में बोल रही थीं। कुपोषण को दूर करने के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। इन्होंने यूपी और लखनऊ के बारे में बात कही थी। इसके लिए आप जागरूक रहें और जनता को भी यहाँ से जानी वाली स्कीम्स के बारे में जागरूक करें। आप अपनी राज्य सरकारों से भी कहें और देखें कि यहाँ से जो पैसा जाता है, उसका लाभ आम आदमी को मिले। आपने मोहनलालगंज के चिकन के बारे में भी कहा। हमने आरएमके के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इन महिलाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इसका बजट भी सौ करोड़ से बढ़ाकर पाँच सौ करोड़ रुपये आने वाले सालों में किया गया है, जिसका आप लाभ उठाएँ। हर महिला, चाहे वह चिकन का काम करती हो, चाहे वह बर्तन बनाती हो, चाहे वह खेतीकर हो, जिस चीज के लिए भी पैसा चाहिए, उसके लिए हमारा पूरा प्रावधान है, आप लेने वाले बनिए। आप

महिलाओं को मजबूत करने के लिए जागरूक रहिए।

महोदया, श्रीमती सुशीला सरोज जी ने आईसीडीएस और अनौपचारिक शिक्षा की बात कही। हम लोग आईसीडीएस में पोषक आहार के साथ प्रीस्कूल एजुकेशन भी देते हैं। उनको घर ले जाने के लिए भी खाना दिया जाता है। उनके लिए टीकाकरण एवं अन्य कार्यक्रम आंगनवाड़ी में कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाते हैं।

महोदया, श्रीमती मीना सिंह जी ने योजनाओं को कागजी बताया था। मैं कहना चाहती हूँ कि यह योजनाएं कागजी नहीं हैं, आप उन्हें प्रैक्टिकल रूप में परिणत करवाइए। यदि उनमें कोई कमी होती है, तो आप उन्हें दूर करने के लिए कह सकती हैं। इन्होंने भी आरएमके की बात कही है। मैंने पहले भी कहा था कि आरएमके का फंड बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं को, खेतिहर महिलाओं को, गरीब महिलाओं को पूरा पैसा देने का प्रावधान है।

महोदया, श्रीमती मीना सिंह जी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के हिसाब से मिनीमम वैजिस न दिए जाने की बात कही है। वर्ष 2008 में हमने उसमें वृद्धि की है और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एक हजार से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है, हेल्पर के लिए 750 रुपये कर दिए हैं। आपने जो चिंता व्यक्त की है, हमें उसकी चिंता है। आने वाले समय में उसको दुरुस्त करने के प्रयास जरूर किए जाएंगे। आपने न्यूनतम वेतन की बात कही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यूनतम वेतन इन पर लागू नहीं होता है, यह होनरैरियम है, यह लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं।

महोदया, डॉ. रत्ना डे जी ने बाल विवाह को रोकने की बात कही है। प्रिवेन्शन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 में बाल विवाह को रोकने का प्रावधान है। बाल विवाह को रोकने के लिए पूरे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। बाल विवाह बच्चियों का नहीं, लड़के भी उसी में आते हैं, इसलिए समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून बना है, उसके तहत वहां रिश्तेदार और बाराती भी आते हैं। कोई एक व्यक्ति हिम्मत से बात करे और इसकी खबर पुलिस स्टेशन को दे। हमने जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया है, उसके तहत उसे सजा मिले।

अध्यक्ष महोदया, हमारे तमिलनाडु के माननीय सदस्य ने समर्थन तो किया है, उन्होंने 33 परसेंट आरक्षण की बात कही। उन्होंने तमिलनाडु सरकार की बहुत सारी बातें बताई हैं। मॉल न्यूट्रीशन के बारे में मैंने बता दिया, उन्होंने जो बात कही थी। श्रीमती सुस्मिता बाउरी जी ने कहा कि आशा, जो सोशल हैल्थ एक्टीविस्ट्स हैं, उन्हें कम पैसा मिलता है। आशा को हैल्थ विभाग पैसा देता है, मेरा विभाग नहीं देता है। आप कहेंगी तो मैं हैल्थ विभाग को यह बात कह दूंगी। उन्होंने चाइल्ड लेबर का भी जिक्र किया, यह सब्जेक्ट भी लेबर डिपार्टमेंट का है। लेकिन अगर बच्चे वहां से पकड़ कर लाते हैं तो हमारे एनजीओज़ उनका रख-रखाव करते हैं और जिस जगह से ये पकड़े जाते हैं, उसकी पैनल्टी लेबर डिपार्टमेंट फैक्ट्री या इंडस्ट्री मालिक पर डालता है। फिर उस पैसे से उसका वेलफेयर किया जाता है। उसके लिए खाने, रख-रखाव और शिक्षा देने की बात उसी पैसे से की जाती है। श्री रुद्र जी ने भी एक बात यहां कही है कि 67 प्रतिशत पूरी आबादी है, आईसीडीएस की जो बात कही, इनका क्षेत्र कंधमाल है, इन्होंने वहां का दौरा करने की बात कही है। 14 लाख आंगनवाड़ी सेंकशन है, यदि आपके वहां नहीं हैं तो आप जरूर लिखें, मैं करूंगी और जो दौरा करने की बात आपने कही है, मैं पहले इसकी पूरी इंकवायरी करा लूं कि कहां कौन सी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए जरूर मेरा विभाग काम करेगा। नौवें सदस्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात कही कि उनके आर्थिक शोषण की बात है, उन्हें पैसा कम मिल रहा है, उन्हें पेंशन भी मिलनी चाहिए। आपकी यह बात ठीक है, इस बात को सोचा जा सकता है कि कैसे उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद की जाए, जो बहुत समय से सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और कोई काम करने के लिए जरूर कोई ऐसी योजना के तहत उसकी मदद करेंगे। एक माननीय सदस्य ने आंगनवाड़ी पक्की बनाए जाने की बात कही है। यह बात ठीक है कि मैंने भी अखबारों में पढ़ा कि जो मिड-डे-मील मिल रहा है, वह क्यों और कैसे आया, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिला। इसीलिए आंगनवाड़ी के साथ एक आंगनवाड़ी पक्की हो, उसके साथ एक किचन के प्रावधान के लिए, उसमें अच्छे यूटेंसिल्स हों, खाना पकाने का एक अच्छा चूल्हा हो और हम उसमें कोई ऐसा साधन भी रखें जो खाना अच्छी तरह पका कर बच्चों को दे सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि उन्हें गर्म खाना दिया जाना चाहिए, खाना पौष्टिक हो, उसमें प्रोटीन और कैलोरीस पूरी हों। मैं चाहती हूँ कि आपके भी सुझाव लूं और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना कर, उनके भी सुझाव लिए जाएं कि किस तरह इसका इंतजाम किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, हमारे पास फंड है, कुछ स्टेट का फंड मिले और हम दोनों मिल कर इस काम को पूरा कर सकें। कंडीशनल मेटरिनिटी बेनिफिट के बारे में हमारी जो स्कीम है, इसके अंतर्गत टोकन प्रावधान रखा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ का आबंटन रखा गया है। श्री पांडा जी ने यह बात कही थी। श्री ओ.एस. मणियन जी ने कहा है कि 33 परसेंट आरक्षण किया जाना चाहिए। यह राजीव गांधी जी ने पहले किया ही है, उस सराहना को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज हमारी सरकार उसे 50 परसेंट करने जा रही है। दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने की बात कही गई है। इस बारे में मैं पहले बोल चुकी हूँ, दहेज जैसी प्रथा को रोकने के लिए भी कानून है। कानून के तहत, हम और आपको समाज में एक ऐसा दायरा बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऐसी कुछ कमेटियां बनानी पड़ेंगी, इसके तहत अगर कहते हैं कि कानून नहीं मानते हैं तो हम कहीं सामाजिक बाँयकाट उनका कर सकते हैं। सबसे बड़ी उसके लिए सजा यह है कि उस व्यक्ति का सोशली बाँयकाट करें, जो आपसे दहेज लेने और देने की बात करता है। अगर उसे कानून सजा नहीं देता है तो उसका सोशली बाँयकाट करें, यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। कुछ बहनों ने कहा कि हम पुलिस में जाते हैं तो लड़के वाले पुलिस का मुंह बंद कर देते हैं। हम इनको क्यों कहें, हम क्यों नहीं कुछ एनजीओज़, वेलफेयर एसोसिएशन, रेजीडेंट वेलफेयर को मिला कर समाज और गली-गली और मौहल्ले-मौहल्ले में हम लोग ऐसी व्यवस्था करें कि जो दहेज मांगे, ले या दे, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए।

अध्यक्षा जी, सबसे बड़ी सजा उन्हें यही होगी कि उनका सामाजिक बायकाट किया जाए। हमारी एक माननीय सदस्या ने कहा कि महिलाएं पैदा होते ही मां-बाप, युवा होने पर भाई और जब शादी हो जाती है, तो पति के अधीन होती हैं। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए।

आज महिलाओं ने बहुत तरक्की की है। हमने उन्हें शिक्षा देने का काम किया है। जब वह शिक्षित है, तो अपने पैरों पर खड़ी है। हम उन्हें अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए बहुत सारे एन.जी.ओ. के माध्यम से, राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से और बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से पैसा देकर अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। इसलिए उसकी अधीनता की बात नहीं आती है। उसकी अधीनता को रोकने के लिए भी हम सबको, जो हम कर सकती हैं, वह करना चाहिए। अगर हम अपने-अपने क्षेत्र में यह सोच लें कि हमें उसे कैसे मदद करनी है, तो वह अधीन नहीं रहेगी। यदि वह शारीरिक रूप से कमजोर है, तो हमारी जो इस प्रकार की स्कीमें हैं, उनके माध्यम से उसे पूरा खाना खिलाने का प्रबन्ध करें, यदि वह बीमार है, तो अस्पतालों से दवाएं दिलाकर उसका इलाज कराएं और अगर वह इकनॉमिकली वीक है, तो उसके लिए जो विभिन्न योजनाओं में फंड मुहैया कराए गए हैं, उनके अन्तर्गत ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास सोशल वेलफेयर बोर्ड है, निफ्ट्स और अन्य संस्थाएं हैं, जिनके अन्तर्गत हम ट्रेनिंग दिला सकते हैं, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके।

महोदय, एक माननीय सदस्या ने कहा कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के नाम से एक ऐसी योजना चलाई जा रही है, जिसमें सभी को शिक्षा दिए जाने का काम किया जा रहा है। यहां कहा गया कि एम्पावरमेंट ऑफ विमेन मिशन में केवल एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं बताना चाहती हूँ कि यह एक करोड़ रुपए केवल टोकन मनी है। जब इसका एक पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा, तब इसे देश के प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी चेयर करेंगे। उसके बाद इसके लिए पूरे बजट का प्रावधान किया जाएगा। तब देश की कोई महिला और कोई बच्चा, अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा।

जो, 13वीं पंजाब की सांसद बोलीं, उन्होंने कहा कि जो महिलाएं कृषि क्षेत्र में लगी हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। मैं फिर बार-बार यही कहूंगी कि हमने राष्ट्रीय महिला कोष को रीस्ट्रक्चर किया है, उसके अधीन बहुत धन उपलब्ध है। उसमें से सैल्फ-हैल्प ग्रुप के माध्यम से उन्हें पैसा दिलाए। यहां कहा गया कि नारी रक्षा समिति में जो महिलाएं हैं, वे सुरक्षित नहीं हैं। अब यह सुरक्षा तो जो उस राज्य की पुलिस है या वहां के जो एस.डी.एम. या डी.एम. हैं, वे देंगे। यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है, तो आप अपने आप में सक्षम हैं। आप उन्हें पूरी ताकत दे सकती हैं, क्योंकि आप वहां की सांसद सदस्य हैं। दहेज की बात कही गई। फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने चाहिए। दहेज लेने वालों का सोशल बायकाट करना चाहिए।

महोदय, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने पं. जवाहर लाल नेहरू जी से अपनी बात शुरू की। पं. जवाहर लाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उनके जन्म दिन को हम 14 नवम्बर के दिन बाल दिवास के रूप में मनाते हैं। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने एक राक्षस की कहानी सुनाई कि वह राक्षस जिस बाग में रहता था, उसमें खेलने के लिए आने वाले बच्चों को भगा देता था। जब उस बाग के फल-फूल सूख गए, तो वह बहुत उदास हुआ। जब बच्चे आए, तो फिर फूल खिल गए, लेकिन राक्षस को देखते ही सब बच्चे भागे, लेकिन एक छोटा बच्चा बाग में रह गया। मैं मानती हूँ कि बच्चों से बहार आती है। बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं। बच्चे हमारे बुलाए हुए मेहमान हैं। बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास करना है, यह हमारी, आपकी और सभी की जिम्मेदारी है। माता-पिता की भी जिम्मेदारी है और जितनी केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, उतनी ही प्रदेश सरकारों की भी है। हमारी मदद लेकर बच्चों के लिए जो एन.जी.ओ. काम कर रही हैं, विशेषरूप से उनकी भी जिम्मेदारी है। आपने लोकल बॉडीज में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी। वह हमने पहले से ही दे रखा है। आपने कहा कि केन्द्र की स्कीमों के बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए अवेयरनेस के लिए काम किया जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने सदन में सभी स्कीमों के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में पूरे देश में समाचारपत्रों के माध्यम से और बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएंगे और कहेंगे कि ये हमारी स्कीम्स हैं, इनके बारे में जानिए, पहचानिए और इनका फायदा उठाए।

15वीं महिला सदस्य हमारी बी.जे.पी. की कर्नाटक की हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेली ऐसी महिला हूँ जो कर्नाटक राज्य से सांसद के रूप में जीत कर आई हूँ। वहां की जनता का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। मैं जानती हूँ। आप महिलाओं को जनता के बीच से जीतकर ज्यादा तादाद में आना चाहिए। आप जितनी ज्यादा संख्या में जीतकर आएंगी, मुझे भी उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी।

हमारी एक 16वीं महिला ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में कहा कि उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए उन्हें जितना पैसा 'नरेगा' में मिलता है, उतना मिलना चाहिए। मैं बताना चाहती हूँ कि 'नरेगा' एक अलग स्कीम है और इसमें जो हम पैसा देते हैं, वह ऑनरेरियम के रूप में देते हैं।

महोदय, यहां अनेक बातें कही गईं। हमारी कई स्कीम्स और चल रही हैं। जैसे मैंने बताया कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम चल रही है। इसमें 11 साल से 18 साल तक की जिन बच्चियों के अंदर कमजोरी है, उन्हें आगे आने वाले समय में मां बनने में परेशानी आती है।

उनका विवाह होने में परेशानी आती है और अगर वे ऐसे ही रहेंगी तो एक नई जेनरेशन चालू नहीं होगी। इसलिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम के तहत उनको खाने के लिए अन्न देने की बात कही गई है। वे अन्न घर लेकर जाती हैं। वे भरपेट खाना खाएँ, उनको खेलने, कूदने, व्यायाम करने के लिए, इस तरह की चीजें उन्हें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिससे वे सशक्त बनें।

मैं एक बात और चाहती हूँ, समय हो रहा है, क्योंकि अभी बजट का काम लेना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि सब के जवाब मैंने दिये हैं।...(व्यवधान) इसी के साथ मैं एक बात बता दूँ कि जो बच्चों की बात आपने कही कि बच्चे कभी सड़क पर मिलते हैं, कभी लोग जो कहीं-कहीं छोड़ जाते हैं, उसके लिए हमारी हैल्पलाइन काम करती है। 1098 नं. लाइन पर आप बात करें, बच्चे की क्या परेशानी है, बच्चा घर में परेशान है या बाहर, सड़क पर है या कहीं और, उसके लिए 1098 मिलाकर अगर आप इसकी बात कहेंगे तो तुरन्त उसकी सुविधा का इन्तजाम होगा। इसमें अभी पीछे 1998 से 2008 तक 1,35,51,134 से अधिक कालें आईं और उनके उत्तर दिये गये।

हमारी जो एडॉप्शन स्कीम है, उसमें हम बच्चों को एडॉप्ट करके जिन घरों में बच्चे नहीं हैं, अगर वे बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम उनको बच्चा देते हैं। एक और बड़ी चिन्ता की बात है। रेप विक्टिम के लिए हमने एक स्कीम बनाई है, उसमें प्रावधान रखा है, मैं पूरे सदन के सामने कहना चाहती हूँ, आपके सुझाव भी आये हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हम इसकी जो बात अभी कही गई, सुमित्रा महाजन जी ने भी यह बात शुरू की कि रेप विक्टिम को हम कुछ पैसा देकर उनको बेइज्जत करना नहीं चाहते। अभी यू.पी. में एक ऐसा प्रकरण हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। इसमें पैसा देने के बजाय मेरा मानना यह है कि उस पैसे से को लगाकर हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू करें, जिसमें उसको न्याय मिले, उसका रिहैबिलिटेशन हो। उसका रिहैबिलिटेशन कहाँ होना है, इसको हम देखें। उसको जल्दी न्याय नहीं मिलता, सबसे बड़ी गलती यह है कि रेप विक्टिम 12-12, 15-15 साल तक कोर्ट के धक्के खाती रहती है, ऐसे कई केसेज सामने आये हैं। मेरा मानना है और मैं मंत्रालय से यह कहना चाहूँगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस बात को तय किया जाये कि इसके तहत जो महिलाएं विक्टिम हैं, उनको तुरन्त सुविधा मिले और जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय दिलाया जाये।

समय की सम्पूर्णता को देखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ यहां पर कहा गया है, जो बात आपने कही, मैंने उस सब को लिखा है, जहां-जहां कोई कमी, कोई सुझाव आपका आएगा तो उस सुझाव को पूरा करने के लिए मेरा मंत्रालय हमेशा तैयार रहेगा। मैंने जो कहा कि जो मैं और आगे करना चाहती हूँ, चाहे निपसिड की बात आई, ट्रेनिंग की बात आई, सोशल वेलफेयर बोर्ड की जो बात आई, विभिन्न क्षेत्रों में मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीजों को हम राज्यों तक ले जायें और राज्यों में जगह-जगह ये बनें, जिससे लोगों को सुविधा हो और हर राज्य में इस स्कीम के तहत काम हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

MADAM SPEAKER: I shall now put cut motion nos. 1 and 2 moved by Shri S.K. Saidul Haque to the Demand for Grant relating to the Ministry of Women and Child Development to the vote of the House.

All the cut motions were put and negated.

MADAM SPEAKER: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Women and Child Development to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand No. 104 relating to the Ministry of Women and Child Development."

The motion was adopted.

GUILLOTINE

Submission of outstanding demands to vote of the House

MADAM SPEAKER: The House will now take up item no. 16.

I shall now put the Outstanding Demands for Grants relating to the Ministries/Departments to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof, against:-

- (1) Demand Nos. 4 and 5 relating to Department of Atomic Energy;
- (2) Demand Nos. 6 to 8 relating to Ministry of Chemicals and Fertilizers;

- (3) Demand No. 9 relating to Ministry of Civil Aviation;
- (4) Demand No. 10 relating to Ministry of Coal
- (5) Demand Nos. 11 and 12 relating to Ministry of Commerce and Industry;
- (6) Demand Nos. 13 to 15 relating to Ministry of Communications and Information Technology;
- (7) Demand No. 18 relating to Ministry of Corporate Affairs;
- (8) Demand No. 19 relating to Ministry of Culture;
- (9) Demand Nos. 20 to 27 relating to Ministry of Defence;

18.00 hrs.

- (10) Demand No. 28, relating to Ministry of Development of North Eastern Region;
- (11) Demand No. 29, relating to Ministry of Earth Sciences.
- (12) Demand No. 30 relating to Ministry of Environment and Forests.
- (13) Demand No. 31 relating to Ministry of External Affairs.
- (14) Demand Nos. 32, 33, 35, 36, 38 to 44 relating to Ministry of Finance.
- (15) Demand No. 45 relating to Ministry of Food Processing Industries.
- (16) Demand Nos. 46 to 48 relating to Ministry of Health and Family Welfare.
- (17) Demand Nos. 49 and 50 relating to Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.
- (18) Demand No. 56 relating to Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.
- (19) Demand No. 59 relating to Ministry of Information and Broadcasting.
- (20) Demand No. 60 relating to Ministry of Labour and Employment.
- (21) Demand Nos. 61 to 62 relating to Ministry of Law and Justice.
- (22) Demand No. 64 relating to Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
- (23) Demand No. 65 relating to Ministry of Mines.
- (24) Demand No. 66 relating to Ministry of Minority Affairs.
- (25) Demand No. 67 relating to Ministry of New and Renewable Energy.
- (26) Demand No. 68 relating to Ministry of Overseas Indian Affairs.
- (27) Demand No. 69 relating to Ministry of Panchayati Raj.
- (28) Demand No. 70 relating to Ministry of Parliamentary Affairs.
- (29) Demand No. 71 relating to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- (30) Demand No. 72 relating to Ministry of Petroleum and Natural Gas.
- (31) Demand No. 73 relating to Ministry of Planning.
- (32) Demand No. 76 relating to Lok Sabha.
- (33) Demand No. 77 relating to Rajya Sabha.

- (34) Demand No. 79 relating to Secretariat of the Vice-President.
- (35) Demand Nos. 80 to 82 relating to Ministry of Rural Development.
- (36) Demand Nos. 83 to 85 relating to Ministry of Science and Technology.
- (37) Demand No. 86 relating to Ministry of Shipping.
- (38) Demand No. 87 relating to Ministry of Road Transport and Highways.
- (39) Demand No. 88 relating to Ministry of Social Justice and Empowerment.
- (40) Demand No. 89 relating to Department of Space.
- (41) Demand No. 90 relating to Ministry of Statistics and Programme Implementation.
- (42) Demand No. 91 relating to Ministry of Steel.
- (43) Demand No. 92 relating to Ministry of Textiles.
- (44) Demand No. 93 relating to Ministry of Tourism.
- (45) Demand No. 94 relating to Ministry of Tribal Affairs.
- (46) Demand Nos. 100 to 102 relating to Ministry of Urban Development.
- (47) Demand No. 103 relating to Ministry of Water Resources.
- (48) Demand No. 105 relating to Ministry of Youth Affairs and Sports.